एस.सी.ई.आर.टी., बिहार
द्वारा विकसित

1.3

दो वर्षीय सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा)

भाषा और शिक्षा

भाग–1 (प्रथम सत्र)

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्रू, पटना, बिहार

बिहार सरकार

एस.सी.ई.आर.टी., बिहार द्वारा विकसित

दो वर्षीय सेवाकालीन
डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा)

भाषा और शिक्षा

भाग–1 (प्रथम सत्र)

S1.3

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्रू, पटना, बिहार - 800006

तकनीकी सहायता : ISA, SCERT

प्रकाशक

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
(एस.सी.ई.आर.टी.), महेन्द्रू, पटना, बिहार

© दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, (एस.सी.ई.आर.टी.), बिहार

ISBN	**978-93-84709-43-3**
डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा) कार्यक्रम	
सत्र	प्रथम
विषयपत्र	भाषा और शिक्षा
प्रकाशन	जून, 2016
प्रतियाँ	7000

विश्व बैंक सम्पोशित परियोजना के अन्तर्गत

डी.एल.एड. (ओ.डी.एल.) के साधनसेवियों एवं प्रशिक्षुओं (कार्यरत शिक्षिकाओं-शिक्षकों) के स्वाध्याय हेतु निःशुल्क उपलब्ध

पठन सामग्री विकास समूह
विषय-पत्र : भाषा और शिक्षा

दिशाबोध

- श्री संजीवन सिन्हा, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना
- डॉ. सैयद अब्दुल मोईन, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर.टी, पटना
- डॉ. प्रमिला मनोहरन, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, हाजीपुर (वैशाली)

परामर्श

- प्रोफेसर रमाकान्त अग्निहोत्री, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

संपादन

- डॉ॰ ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, हाजीपुर (वैशाली)
- डॉ॰ निरंजन सहाय, एसोसियेट प्रोफेसर, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

लेखन

- डॉ॰ निरंजन सहाय, एसोसियेट प्रोफेसर, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- डॉ॰ उषा शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, सी.आई.ई., शिक्षाशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- श्री सुमन कुमार सिंह, बी.आर.सी., भगवानपुर हाट, सिवान

संयोजन

- डॉ॰ बीर कुमारी कुजूर, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना।

आमुख

हमारे बिहार के विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की ज़रूरत है जिसके लिए शिक्षण वृत्ति एक स्वाभाविक प्रतिबद्धता हो और जो शिक्षण को एक आनन्ददायी कार्य मानते हों। उन्हें पढ़ाये जाने वाले विषय व पढ़ाने के कौशल तो अच्छी तरह से आते ही हों, साथ ही वह उन बच्चों को भी बेहतर तरीक़े से जानते व समझते हों जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं। अतः विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, खासकर उपेक्षित वर्ग से आनेवाले बच्चों के प्रति विद्यालय के शिक्षकों में सजगता एवं संवेदनशीलता होना सबसे जरूरी है, जिसके बिना उन बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल कर पाना असम्भव है। साथ ही, एक शिक्षक या शिक्षिका में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लगाव उसे सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व सहज बनाने में सहायी होता है। बिहार जैसे बहुलतावादी समाज में बेहतर शिक्षा तभी संभव हो सकती है जबकि हम 'समता' व 'बहुलता' की समझ को अपनी शिक्षा प्रक्रिया के केन्द्र में रखें।

बीसवीं सदी के आख़िरी दशक और इस सदी के शुरुआत में पाठ्यक्रम का बदलाव एक गहरा सामाजिक और राजनैतिक सवाल बनकर उभरा है। जब पाठ्यक्रम में बदलाव 'तेज़ी' से हो रहा हो तो 'शिक्षक' में इस संभावना को खोजा जाना लाज़मी है कि वह नयी अकादमिक स्थितियों से सामंजस्य कर सके और ज़रूरत हो तो उनसे मुक़ाबला भी कर सके। उदाहरण के तौर पर, एक संकुचित अवधारणा यह है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की बातों को गन्तव्य (बच्चों) तक पहुँचाने वाला एक एजेन्ट मात्र है जो कि बच्चों को पाठ्य–पुस्तकों में लिखी बातों को रटवायेगा व बच्चे उसे परीक्षा में पुनरोत्पादित करेंगे। शिक्षक की इस रूढ़ीगत भूमिका को तत्काल बदले जाने की ज़रूरत है। नवीन पाठ्यचर्या पर आधारित इस विषयपत्र के माध्यम से यह अपेक्षा है कि प्रशिक्षित शिक्षक अपनी नयी भूमिका में बच्चों को उन स्थितियों को आलोचनात्मक तरीके से समझने में मदद करेंगे जिनमें वे रहते हैं। बच्चें विभिन्न माध्यमों (पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, परिवेश आदि) से दिये जाने वाले 'ज्ञान' को मात्र स्वीकार न करें बल्कि प्रश्नचिह्न भी लगा सकें। ऐसी आदर्श शैक्षिक स्थिति का निर्माण एक सक्षम शिक्षक या शिक्षिका के माध्यम से ही हो सकता है, जिसकी तैयारी की आशा इस विषयपत्र के विभिन्न इकाइयों के विषयवस्तु के माध्यम से की गई है। प्रयास यह किया गया है कि प्रस्तुत पठन सामग्री, सरल, तथ्यात्मक रूप से सटीक, विषयवस्तु में निरन्तरता बनाए हुए हो। यथास्थान गतिविधियों

के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सक्रिय रूप से सहभागिता निभाने का अवसर दिया गया। आशा है आप इस पाठ्यसामग्री के माध्यम से शिक्षा की समकालीन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे।

अंत में, यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि इस पठन सामग्री को आप अंतिम न माने। इसके साथ–साथ, प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और विभिन्न प्रकार की आई.सी.टी. सामग्रियों को भी अपने अध्ययन का हिस्सा अनिवार्य रूप से बनाएं, तभी आपकी समझ में खुलापन और जिज्ञासा बनी रह पाएगी, अन्यथा आपका विद्यालयी शिक्षण का कार्य नीरस हो जाएगा। इस पठन सामग्री को और संवर्द्धित करने के लिए आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं।

निदेशक
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार

विषयसूची

इकाई	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
1	भाषा की प्रकृति	11 - 33
2	भाषायी विविधता व बहुभाषिकता	35 - 54
3	बच्चे और भाषा	55 - 83
4	विद्यालय में भाषा	85 - 132
5	भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संदर्भ	133 - 154
	उपयोगी पठन सामग्री की सूची	155 - 157

आगे दिए गए विभिन्न इकाइयों की समझ को व्यापक बनाने के लिए निम्नलिखित ई-ससांधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करें:

- इकाइयों के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इकाइयों से सम्बंधित हों।
- इकाइयों के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब–रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।

इकाई 1

भाषा की प्रकृति

1.1 परिचय

1.2 सीखने के उद्देश्य

1.3 पूर्व अनुभव

1.4 व 1.5 भाषा का अर्थ तथा भाषा, प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में

1.6 व 1.7 भाषा समझ तथा सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में

1.8 मानव और पशु भाषा में अंतर

1.9 भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था

- 1.9.1 ध्वनि संरचना
- 1.9.2 शब्द संरचना
- 1.9.3 वाक्य संरचना
- 1.9.4 संवाद संरचना

1.10 भाषा की विशेषताएँ

1.11 समेकन तथा सीखने–सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

1.12 शब्दावली

1.13 प्रदत्त कार्य

1.1 परिचय

भाषा के कारण ही मनुष्य अपने मन की बात को किसी और को बता पाता है। भाषा के कारण ही मनुष्य दूसरे को छूए बिना भी उससे मदद मांग सकता है तथा दूसरे की मदद कर सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य उस स्थिति को हासिल कर पाता है, जिसमें वह वस्तुओं और प्राणियों की अनुपस्थिति में भी उनके बारे में विचार कर सकता है।

इस इकाई का उद्देश्य भाषा के अर्थ को समझने में मदद करना है। भाषा की सबसे प्रचलित परिभाषा यह है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, परन्तु यह भाषा की बहुत ही सीमित परिकल्पना है। इस इकाई में हम भाषा के विभिन्न पहलूओं के बारे में बातचीत करते हुए यह भाषा के मूल अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ व्याकरण के दृष्टिकोण से ध्वनि, वाक्य एवं संवाद के धरातल पर भाषा की संरचना को समझने का भी प्रयास करेंगे। इकाई के अन्त में हम भाषा की विशेषताओं के बारे में समझ बनाएंगे।

1.2 सीखने के उद्देश्य

- विद्यार्थी–शिक्षक भाषा की प्रकृति के बारे में समझ बनायेंगे।
- विद्यार्थी–शिक्षक समझ पाएंगे कि भाषा समझ तथा संप्रेषण दोनों का माध्यम होती है।
- विद्यार्थी–शिक्षक समझ पाएंगे कि प्रत्येक भाषा नियमबद्ध होती हैं।
- विद्यार्थी–शिक्षक भाषा की विशेषताओं को समझ पाएंगे।

1.3 पूर्व अनुभव

सामान्यतः भाषा को संप्रेषण के साधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संप्रेषण की विषयवस्तु का सृजन किस प्रकार होता है। भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, लेकिन भाषा का सृजन सायास मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। भाषा को संप्रेषण के रूप में समझने के साथ–साथ, भाषा के सृजन की प्रक्रिया को समझना भी आवश्यक है।

1.4 व 1.5 भाषा का अर्थ तथा भाषा, प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में

मनन

पता लगाइए कि अन्य भाषाओं में किताब के लिए किन ध्वनि प्रतीकों का उपयोग किया जाता है?

मनन

संप्रेषण हेतु ठोस वस्तुओं का उपयोग करने में कौन सी दिक्कतें हैं?
संप्रेषण हेतु अपने अंगों का उपयोग करने में कौन सी दिक्कतें हैं?
संप्रेषण हेतु ताली का उपयोग करने में कौन सी दिक्कतें हैं?

भाषा पर विचार करते समय हम अक्सर इसकी सप्प्रेषणात्मक शक्ति में उलझ कर रह जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि भाषा में सम्प्रेषण की ताकत का आधार क्या है? जब हम कोई बात कहते हैं तो वह कहना क्या भाषा की शुरूआत है? कुछ कहने से पहले भाषा से ऐसा क्या किया जाता है जिसकी वजह से कह पाना संभव होता है? इकाई के इस भाग में हम ऐसे ही सवालों का सामना करेंगे। हम जितनी भी वस्तुओं का नाम जानते हैं, उन वस्तुओं को उस नाम से जानने की प्रक्रिया ओर शुरूआत कहाँ से और कैसे हुई? मान लीजिए एक वस्तु लेते हैं **किताब** अंगेजी में इसे Book कहते हैं। अब चाहे किताब मानो या Book, इन शब्दों में क्या कुछ ऐसा है कि किताब नाम की वस्तु को देखकर किताब ही कहा गया? क्या **किताब** शब्द में आने वाली ध्वनियों तथा किताब नाम की वस्तु में कोई प्राकृतिक संबंध है? जाहिर है कि ऐसा नहीं है। यदि, ऐसा होता तो **किताब** नाम की वस्तु को व्यक्त करने के लिए Book शब्द में निहित ध्वनियों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। यहाँ आपको मनमानापन नजर आ जाएगा। इस मनमानेपन के कारण ही

हिन्दी वालों ने किताब को **किताब** तथा अंगेजी भाषियों ने Book कहा। इसी प्रकार संसार की अन्य भाषाओं में इसके लिए अलग–अलग ध्वनियों का उपयोग किया गया। भाषा की उत्पत्ति में निहित इस मनमानेपन को 'यादृच्छिकता' भी कहा जाता है।

भाषा को समझने तथा इसके विकास की सही दिशा में बढ़ने के लिए भाषा की उत्पत्ति में निहित मनमानेपन को समझना आवश्यक है। हमारे सामने जब भी कोई अनजान वस्तु, भाव, स्थान, व्यक्ति आदि आते हैं तो उनके बारे में दूसरों को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम उनको कोई नाम देना चाहते है। इसी नाम के माध्यम से हम उसके बारे में दूसरों को बाता सकते हैं। नाम देने का काम भाषा के द्वारा लिया जाने वाला सबसे बुनियादी काम है।

देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय (2011: 11–18) ने अपने द्वारा संपादित पुस्तक **'जानने की बातों'** में समझाया है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के साधन के रूप में ध्वनि प्रतीक अन्य माध्यमों की तुलना में किस प्रकार अधिक कारगर होते हैं।

अगर आपसे कोई पूछे कि पहाड़ क्या होता है? और उस व्यक्ति को पहाड़ के बारे में समझाने के लिए आपको पहाड़ उठाकर लाना पड़े तो बताइए आपकी क्या हालत होगी। हो जाएगी न आपकी मुसीबत। आप सोचेंगे इस मुसीबत से कैसे निबटा जाए। आप तय करती/करते हैं कि अब से पहाड़ समझाने के लिए आप पत्थर का उपयोग करेंगी/करेंगे। इसी प्रकार पेड़ के लिए तिनके, जंगल के लिए तिनकों के गट्ठर का उपयोग करेंगी/करेंगे।

पहाड़ क्या होता है, यह समझाने के लिए अगर पहाड़ को ही सामने हाजिर करना पड़ता, तो किस मुसीबत में पड़ते आप? मान भी लें कि आप बड़े ही बहादुर हैं, फिर भी अजीब मुसीबत होती कि आपकी पूँछ देखने के लिए अच्छी–खासी भीड़ जमा हो जाती? गंध–मादन पहाड़ को कौन उठा लाया था? हनुमान ही तो?

समझना और समझाना

इससे आसानी से तो पत्थर का एक टुकड़ा यह काम कर सकता। अगर हम यह मान लें कि पत्थर के टुकड़े को सामने रख देने पर पहाड़ समझा जाए, तो फिर पहाड़ को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह नदी के लिए धागा, पेड़ के लिए किसी तिनके से काम चल सकता था।

ऐसा भी हो जाए कि भारी के लिए हल्की, बड़ी के लिए छोटी चीज़ से समझाने का काम लिया जा सके, तो भी सब समय पहाड़ साथ लादकर चलना पड़े। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कब कौन–सी बात समझाने की आवश्यकता आ पड़े। सो किसी भी चीज़ को छोड़ा तो नहीं जा सकता।

> मान लीजिए आप रास्ते से गुज़र रहे हैं। किसी से हो गई भेंट। उसे रोककर आप किसी पेड़ की बात समझाना चाहते हैं। ऐसे में झोली में से तिनका निकालना पड़ेगा। आप उसे रोकेंगे, फिर झोली में हाथ डालकर तिनका ढूँढने लग जाएँगे। पत्थर का टुकड़ा मिल रहा है, धागा हाथ में आ रहा है, पर चीज़ों की उस भीड़ में कम्बख्त तिनका किसी तरह नहीं मिल रहा। सुबह से साँझ तक की परेशानी के बाद जब वह मिला तो आप देखते हैं कि ऊबकर वह आदमी ही कब का जा चुका है, जिसे समझाने के लिए आपको इतनी झंझट झेलनी पड़ी।"
>
> (चटोपादयाय (2011), : 11–18.)।

लेकिन बातें तो और भी चीजों के बारे में करनी होती हैं। तो हर वस्तु के लिए एक–एक संकेत–वस्तु अपने झोले में हर समय तैयार रखिए। किसी को लंबी सड़क के बारे में बताना हो तो झोले से निकालकर दो हाथ लंबा धागा दिखा दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि हर समय पत्थर, धागें, तिनके आदि चीजों से भरे झोले को ढोते रहना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उन चीजों के बारे में बात करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? अब आप सोचती/सोचते हैं कि पहाड़ समझाने के लिए आप मुट्ठी का प्रयोग करेंगी/करेंगे। आप तय करती/करते हैं कि आपको खाना, खाना है– बताने के लिए अपनी अंगुलियों को मुँह की तरफ ले जाती/जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपको दीवार के उस तरफ बैठे व्यक्ति से खाना मँगवाना हो। उस समय इशारा काम न कर पाएगा। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? ताली बजाकर दीवार के उस तरफ बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचाई जाए। लेकिन ताली बजाने से उस व्यक्ति को क्या पता चल रहा है कि आप क्या चाहती/चाहते हैं। शायद वह इतना समझ जाए कि कोई किसी को बुला रही/रहा है। लेकिन उसी को और खाना देने के लिए ही बुलाया जा रहा है, इस बात का पता ताली की आवाज न दे पाएगी।

इस चुनौती से निबटने के लिए एक तरीका है कि ताली की बजाए मुँह से निकली ध्वनियों का उपयोग किया जाए। आपको पहाड़ के बारे में बताना हो तो पत्थर और मुट्ठी की बजाए पहाड़ के लिए एक ध्वनि प्रतीक गढ़ लिया जाए। इस तरह से अलग–अलग वस्तुओं के लिए अलग–अलग ध्वनि प्रतीक गढ़ लेना अधिक सुविधाजनक है। न तो वजन उठाना पड़ेगा और न ही सीमित इशारों की कमी के कारण होने वाली परेशानी झेलनी पड़ेगी।

उपर्युक्त चर्चा से इस तथ्य का पता चलता है कि भाषा के मूल में ध्वनि प्रतीकों की रचना करने की प्रक्रिया है।

"एडवर्ड सापियर (1961) अमरीकी भाषाविद् ने भाषा को संप्रेषण का साधन मानने के विचार का वैकल्पिक विचार पेश किया है। उनका विचार है

कि–"यह स्वीकार कर लेना सबसे उचित होगा कि प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में देखने की प्रवृति की वाचिक प्रस्तुति है। ....वाचिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुति का अर्थ है अनुभव को जाने–पहचाने रूप में ढालकर, न कि प्रत्यक्ष रूप से सामना करके, वास्तविकता पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृति।" ब्रिटन द्वारा उद्धरित सापियर के इस विचार को छोटे–छोटे सवालों में विभाजित करने से इसे चेतना में उतारना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। वाणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य वास्तविकता को प्रतीकों में ढालना है। हम वास्तविकता को प्रतीको मे क्यों ढालते हैं? ऐसा करने से वास्तविकता को संभालना संभव हो पाता है। संभाल पाने की स्थिति के बाद ही वास्तविकता पर क्रियाशील हुआ जा सकता है। क्या हम वास्तविकता का निरूपण इसे संभालने तथा इस पर क्रियाशील होने मात्र के लिए करते हैं? मनुष्य द्वारा प्रतीक–निर्माण के विचार को इन गतिविधियों तक सीमित करना गलती होगी। वास्तव में यदि हम मनुष्य को अपने संसार का निरूपण करने वाले के रूप में देखते हैं ताकि वह इस निरूपण पर क्रियाशील हो सके तो अन्य तरह की गतिविधियों का रास्ता भी उसके लिए खुला होता हैः वह सीधे तौर पर स्वयं निरूपण के अनुसार क्रियाशील होता है। वह इस बात का चुनाव भी कर सकता है कि वह निरूपण पर क्रियाशील हो तथा संसार के अपने द्वारा किए गए निरूपण में सुधार करे। यह कार्य वह लगातार नए प्रतीकों को गढ़कर करता है। लेंगर ने इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वाले (Proliferater of symbols) की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि इंसान मस्तिष्क प्रतीकों की अविरल धारा से निर्मित होता है।"

(रावत, 2005 : 9)।

उपर्युक्त उद्धरण से भी इस तथ्य पर रोशनी पडती है कि पहाड़ को पहाड़ के रूप में सम्भाल कर अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाना अनेक प्रकार की जटिलताएं पेश करता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के लिए वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप ढालकर उपयोग करना भाषा के निर्माण की पहली शर्त है।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=-z3QswCgdoU

https://www.youtube.com/watch?v=RKK7wGAYP6k

1.6 व 1.7 भाषा समझ तथा सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में

ईकाई–1के बिन्दू 1.4 तथा 1.5 के अन्तर्गत हमने समझा कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। इसके जरिए हम संसार को समझने के लिए वाचिक प्रतीक गढ़ते हैं। इन प्रतीकों से इंसान को वह सहारा मिलता है जिसके माध्यम से वह ठोस चीजों से स्वतंत्र होकर उन पर विचार तथा बात कर सकते/सकती हैं।

इस प्रकार भाषा सम्प्रेषण के माध्यम से पहले प्रतीक गढ़ने का माध्यम है। इन प्रतीकों के जरिए विचार करते हुए हमारी समझ बनती है। भाषा सम्प्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है। अब सवाल यह उठता है कि समझ बनने का अर्थ क्या है तथा इसमें भाषा क्या भूमिका निभाती है? इस सवाल को चार स्तरों पर समझा जा सकता है।

- मूर्त अनुभव
- ठोस अनुभूतियाँ
- अमूर्त संकल्पनाएँ (गणित, आत्मा, ईश्वर, आदि), तथा
- सामान्यीकृत संकल्पनाएँ (वर्गीकरण)

"कोई घटना ठ घटना किसी घटना। के बाद घटी। इसका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि घटना। कभी भी दोबारा नहीं घटेगी। लेकिन इस बात की पहचान कर लेना बिलकुल अलग मामला है कि ठ प्रकार की घटना। प्रकार की घटना के बाद घटती है। अनुभव से ही सीखा जाता है। जब कभी भी। प्रकार की घटना घटे हमठ प्रकार की घटना का पूर्वानुमान लगा सकें। यहाँ पर सवाल उठता है कि जानवर भी व्यवहारों की ऐसी ऋंखला को पहचान लेते हैं जिसमें। प्रकार की घटना के बाद ठ प्रकार की घटना घटती है। ऐसे में इंसान और जानवर में क्या अन्तर है? इंसान किसी अन्य जीव की तुलना में अनन्त संख्या में अधिक कोटियों (categories) को निर्मित कर सकते हैं, संभाल सकते हैं तथा इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा, इंसान के लिए कोटियाँ बनाने का प्रमुख साधन है।"

(बीरेन्द्र सिंह रावत, 2005 : 10)।

मूर्त अनुभव	मान लीजिए आप किसी फूल को देख रहे हैं। यह आपका फूल के साथ ठोस अनुभव है। आप उसके बारे में समझ बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि उस फूल के बारे में समझ बनाने का क्या अर्थ है? फूल के बारे में समझ बनाने के घटक वाचिक प्रतीक उसके रंग, खुशबू, आकार, पंखुडियों का प्रकार, सुंदरता, आदि हो सकते हैं। जब इन प्रतीकों को रचा जाएगा और रचे जा चुके प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा तभी कहा जा सकता है कि आपकी उस फूल के बारे में समझ बन रही है। उस फूल के रंग, आकार आदि के बारे में आपकी समझ जितनी स्पष्ट होगी उसके बारे में आपके द्वारा किया जाने वाला सम्प्रेषण भी उतना ही सटीक हो सकता है।
ठोस अनुभूतियाँ	मान लीजिए आपने देखा कि किसी सफर में आपके सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा/बैठी है। उसके व्यवहार से आपके मन में कुछ भाव जगते हैं। ये भाव उस व्यक्ति के संदर्भ में आपकी अनुभूतियाँ होंगी। यदि आप यह समझ पा रहे हैं कि ये कैसी अनुभूतियाँ हैं? यदि आप इन अनुभूतियों को कोई सही नाम दे पाने में सफल होते हैं? यदि आप उन अनुभूतियों की तीव्रता को समझ कर उस तीव्रता को कोई नाम दे पा रहे हैं तो मानना चाहिए कि

	आप उन अनुभूतियों के संदर्भ में अपनी समझ बना रहे हैं। इस प्रकार से बनी समझ आपके सम्प्रेषण का आधार बनेगी।
अमूर्त संकल्पनाएँ	अमूर्त संकल्पनाओं पर विचार करने के लिए गणितीय संकल्पनाएँ मददगार होगीं। आइए, इसके लिए गणित विषय से रेखा की अवधारणा पर विचार करते हैं। गणित में रेखा को एक ऐसे बिन्दूपथके रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौडाई नहीं होती। इसी प्रकार बिन्दू (चवपदज) को विमाओं युक्त किन्तु स्थान न धेरने वाली संकल्पना के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखा तथा बिंदू उदाहरण हैं अमूर्त संकल्पनाओं के जो न तो मूर्त अनुभव और न ही ठोस अनुभूतियों के दायरे में आती हैं? ये मानसिक प्रक्रियाओं के तहत गणित के ज्ञान को सटीक बनाने के लिए अमूर्तता के स्तर पर सृजित की जाती हैं। जैसे–जैसे आप गणितीय ज्ञान की दिशा में आगे बढेंगी आपको ऐसी संकल्पनाओं के बारे में समझ बनाने की जरूरत महसूस होगी। तभी आप इनसे जुड़े गणितीय ज्ञान के बारे में उपयुक्त बातें कह पाएंगे।
सामान्यीकृत संकल्पनाएँ	मान लीजिए आप अपने दोस्त/सहेली से कहते/कहती हैं कि वह आपके घर आते हुए फल लेता/लेती आए। मान लीजिए वह आम लेकर आया/आई। आप कहें कि अरे मैंने फल मंगवाए थे, तुम तो आम ले आए। फलकहाँ हैं? आपका दोस्त/सहेली कहेगा/कहेंगी कि–आम, भी फलहोता है। आप कहें कि मुझे तो फल चाहिए। इस प्रसंग में भाषा की दृष्टि से कौन सी बात महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में फल तो कुछ होता नहीं। फल के प्रकार होते हैं। आम, संतरा, केला, अमरूद, जामुन आदि। जैसे ठोस रूपों का सामान्यीकृत नाम है फल। फल ऐसी अवधारणा है जो स्वयं ठोस रूप में नहीं मिलती लेकिन उसके विषिष्टीकृत रूप मिलते हैं। विशिष्ट फलों से फल नाम की कोटि का निर्माण करने से हमें फलों को उनके गुणों के आधार पर अन्य अवधारणाओं जैसे सब्जियों से अलग करने में मदद मिलती है। अलग से सामान्यीकृत कोटि की रचना करने से हमारी अलग–अलग फलों के संदर्भ में कुछ ऐसी समझ बनती है जिसे सभी फलों पर लागू किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से आपको भाषा को समझ तथा सम्प्रेषण के माध्यम से रूप में समझने में मदद मिली होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि समझ से सम्प्रेषणकी प्रक्रिया एकतरफा है। सम्प्रेषण से हमारी समझ बेहतर बन सकती है। क्योंकि सम्प्रेषण एक ही चीज के बारे में एक से अधिक प्रकार की समझ पर संवाद करने का अवसर उपलब्ध करवाता है।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=mjcgdMtRVGI

1.8 मानव और पशु भाषा में अंतर

समस्त प्राणी जगत का सीधा सम्बन्ध भाषा से है, भाषा ऐसी निधि है जिसके बिना समस्त प्राणी जगत संवाद विहीन है। अतः भाषा के महत्त्व को समझे बिना प्राणी जगत की विकास यात्रा को नहीं समझा जा सकता। भाषा की सामान्य परिभाषा के अनुसार अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। इस अर्थ में और समझ के रूप में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भाषा समानधर्मा विशेषता से युक्त है। परन्तु वास्तविकता इससे इतर सत्य का संकेत करती है। आइये इस तथ्य को मनुष्य और पशु की भाषा की विशेषताओं के साथ समझने का प्रयास करें। मनुष्य की सभ्यता के विकास का अहम् पहलू भाषा, आग, पहिये का आविष्कार और प्रयोग है। मनुष्य अपनी शारीरिक संरचना के अनुरूप जिस आदिम भाषा का आरंभ में प्रयोग करता था वह जीव विज्ञान के अध्ययन का विषय हो सकता है जैसा कि जीव विज्ञानी आज भी पशु और पक्षी की भाषा का अध्ययन उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर करते हैं। परन्तु मनुष्य की भाषा का अध्ययन आज जीव विज्ञान का

विषय न होकर भाषा विज्ञान का है। क्यों ? क्योंकि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा "भाषा ध्वनि प्रतीकों की यद्रिक्षिक प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य का समूह अथवा समाज आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। इस परिप्रेक्ष में मनुष्य की भाषा की विशेषताएँ है –

1. मनुष्य की भाषा समूह अथवा समाज का अंग है।
2. मनुष्य की भाषा यद्रिक्षिक ' होती है।
3. मनुष्य की भाषा सुव्यवस्थित प्रणाली है।
4. मनुष्य की भाषा अर्जित संपत्ति है, जिसे सबको सीखना पड़ता है।
5. मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग–अलग व्यवस्था है।

इन कसौटियों पर जब हम पशु अथवा पक्षी की भाषा को कसते हैं तो फर्क साफ़ नजर आता है। आइए इन आधारों के आलोक में मनुष्य और उससे इतर अन्य प्राणियों की भाषा के अंतर को समझें।

मनुष्य की भाषा समूह में ही व्यवहरित होती है जबकि अन्य प्राणि भाषा का प्रयोग ज्यादातर वैयक्तिक तौर पर ही हैं। पशुओं की भाषा यद्रिक्षिक प्रणाली से युक्त नहीं होती अतः वे मनुष्य की तरह शब्दों का निर्माण नहीं कर

सकते। पशुओं की भाषा सुनिश्चित प्रणाली का हिस्सा नहीं है अतः उनका अध्ययन और उनकी भाषा का अर्जन करना अत्यंत जटिल है। जबकि मनुष्य की भाषा निश्चित प्रणाली पर व्याकरणबद्ध होती है जिसे कोई भी मनुष्य आसानी और मेहनत से सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेज हिन्दी सीख सकता है, हिन्दी बोलने वाला अंग्रेजी सीख सकता है। लेकिन शेर कुत्ता अथवा किसी अन्य चोपाये की भाषा नहीं सीख सकता। उसी तरह कोयल कौव्वा की भाषा नहीं सीख सकती। मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग–अलग व्यवस्था है। जबकि इस रूप में पशुओं की भाषा में प्राकृतिक एकरूपता मिलती है। जैसे शेर की दहाड़, कोयल की मिठास, मोर की आवाज, कुत्ते का भौकना स्थान परिवर्तन के

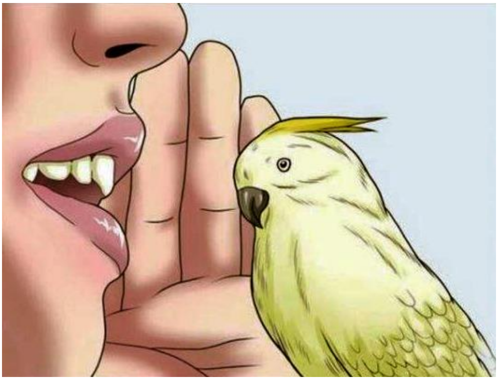

बावजूद लगभग एक सामान होता है। उनकी प्रतिक्रया एक सामान रहती है। इस रूप में मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की निजी विशेषता और समाज के अनुसार अलग–अलग सांस्कृतिक व्यवस्था होती है।

मनुष्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोध को अलग–अलग व्यक्त कर सकता है जबकि पशु–पक्षी काल को भाषा बद्ध नहीं कर सकते। भाषा के विकसित रूप के फलस्वरूप ही मनुष्य ने निरंतर ज्ञान का संचय काल के अनुरूप किया और कर रहा है। जबकि पशु–पक्षियों की भाषा अपने आदिम रूप में ही विद्यमान है। इनकी भाषा शारीरिक संरचना का हिस्सा है ना कि सामूहिक प्रयास का।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

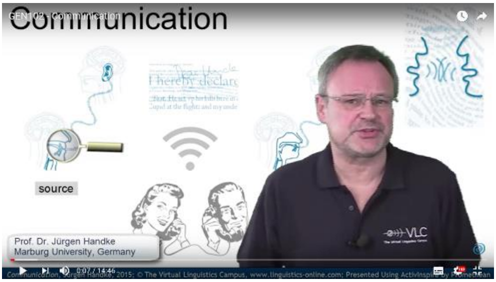

https://www.youtube.com/watch?v=YrH5gnxe-wc

https://www.youtube.com/watch?v=Onp5caCVV6

1.9 भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था

क्या आपके आस–पास बोली जानी वाली सभी भाषाएँ नियमबद्ध हैं या उनमें से कुछ ही भाषा एँ? क्या भारत या दुनिया में अलग–अलग समूहों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बिना नियमों के चलती है? इकाई–1 के इस भाग में हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। आखिर हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि अमुक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा, भाषा न होकर बोली है क्योंकि उसका व्याकरण नहीं है। अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा ओं का ध्वनि, शब्द, तथा वाक्य के स्तर पर विश्लेषण करके पता लगाइए कि क्या उनमें नियम हैं या वे भाषाएँ मनमाने तरीके से उपयोग में लाई जाती हैं।

यहाँ पर भाषा के नियमों के बारे में बात करने का मकसद किसी भाषा –विशेष के नियमों को सीखना नहीं है। बलकि कुछ भाषा ओं के कुछ नियमों से वह आधार तैयार करना है जिससे विभिन्न भाषाओं के नियमों का विश्लेषण किया जा सके।

1.9.1 ध्वनि संरचना

भाषा मूल रूप मे बोली जाती है यानि वह वाचिक होती है। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का वर्गीकरण मिलता है। हिन्दी में **स्वर** और **व्यंजन** दो वर्ग है। अंगेजी में Vowel तथा Consonant नाम से ध्वनियों के दो वर्ग मिलते हैं। शब्द में पाई जाने वाली ध्वनियाँ किन्ही नियमों का पालन करती हैं। अलग–अलग भाषा ओं में स्वरों तथा व्यजंनों की संख्या भिन्न होती है लेकिन संसार की हर भाषा में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। शब्द में हर सार्थक ध्वनि का महत्व होता है। जिन ध्वनियों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं वे सार्थक ध्वनियाँ कहलाती हैं।

मनन

प्रश्न बिहार की किन्हीं दो भाषाओं का ऐसा ही विश्लेषण कर उनमें मौजूद सार्थक ध्वनियों में से कुछ की पहचान

उदाहरण–1

भाषा	I	ठ
अंग्रेजी	Hill	Heel
हिन्दी	मिल	मील

उदाहरण–1 में अंगेजी तथा हिन्दी को एक–एक शब्द दिए गए हैं। A तथा ठ कॉलम में दिए गए शब्दों में इ तथा ई काअन्तर है। जैसे मिल में छोटी इ की मात्रा है तथा मील में बडी ई की। । र्थक ध्वनियाँ हैं।

उदाहरण–2

भाषा	।	ठ
अंग्रेजी	Pill	Hill
हिन्दी	पल	हल

उदाहरण–2 में अंगेजी के दो व्यजनों **P** की जगह **h** को या **h** जगह **P** को स्थानान्तरित कर देने से **hill** तथा **Pill** दो अलग शब्द बनते हैं जिनके अर्थ भिन्न हैं। इसी प्रकार हिन्दी के **पल** तथा **हल** में **प** तथा **ह** को स्थानान्तरित कर देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इससे पता चलता है कि हिन्दी तथा अंगेजी में **प** तथा **ह** सार्थक ध्वनियाँ हैं।

मनन

अब तथा **आब** में **अ** के **आ** में परिवर्तित हो जाने से अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। इससे **अ** तथा **आ** की ध्वनि के बारे मे क्या निश्कर्ष निकलता

प्रत्येक भाषा के शब्दों में **स्वर** तथा **व्यंजन** ध्वनियों की व्यवस्था नियमबद्ध है। यदि स्वर के लिए V तथा व्यंजन के लिए C संकेत माने तो यह व्यवस्था सामान्यतः CVCV की होती है यानि दो व्यंजन ध्वनियों के बीच एक स्वर ध्वनि आती है। जैसे कब क**+**अ**+**ब्**+**अ किन्हीं शब्दों में एक साथ दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। जैसेः मिट्टी म्**+**इ**+**ट**+**ट**+**इ में एक साथ दो व्यंजन (ट्) ध्वनियाँ आ रही हैं। हर भाषा में शब्दों की संख्या बहुत कम होती है जिनमें तीन या उससे अधिक **व्यंजन** एक साथ आते हों।

मनन

बिहार की भाषाओं से कोई ऐसा शब्द ढूँढिए जिसके आरंभ में स्वर से पहले व्यंजन आते हों?

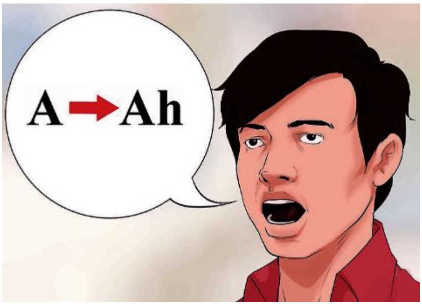

1.9.2 शब्द संरचना

शब्द की संरचना के अन्तर्गत 'शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपान्तर और व्युत्पति' (गुरू, 2010 : 57) को समझा जाता है। हर भाषा में शब्दों के भेद होते हैं उनमें शब्दों को रूपान्तरित किया जा सकता है तथा हर भाषा में नएशब्द–निर्माण की खास प्रक्रिया होती है। जैसे शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, प्रश्न वाचक, लिंग, वचन, कारक, विभिक्ति, आदि कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जैसेः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या भाव का बोध कराने वाले शब्द ों को संज्ञा की कोटि में रखा जाता है। अगर हम किसी पाठ का एक अनुच्छेद लें और उसमें ऐसे शब्द ों की पहचान करें जो संज्ञा की कोटि में शामिल होने लायक हैं तो हम पाएंगे कि छूट गए शब्दों को किन्हीं और कोटियों में रखा जा सकता है।

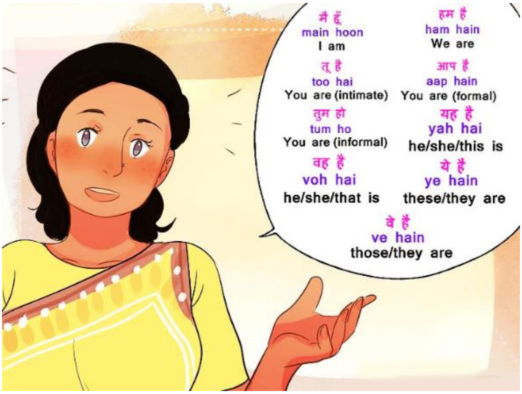

मनन

वाक्य–1 पापा ने सबके कपड़े धोए।
वाक्य–2 चाची दादा को स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले गईं।
ऊपर दिए गए वाक्यों में शामिल शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, आदि में वर्गीकृत कीजिए इन पंक्तियों को बिहार की भाषाओं में अनुदित कर पता लगाए कि उन भाषाओं में आए शब्द ों को भी इसी प्रकार वर्गीक्ृत किया जा सकता है?

इस प्रकार अंगेजी में शब्दों को noun, pronoun, adjective, verb, gender, आदि की कोटि में रखा जा सकता है। ऐसी कोटियाँ संसार की सभी भाषा ओं में बनती हैं। इस आधार पर समस्त भाषाओं में एकरूपता पाई जाती है।

संसार की सभी भाषाओं में शब्दों का रूपान्तरण होता है। उदाहरण के लिए **संज्ञा शब्दों का विशेषण में रूपान्तारण** सभी भाषाओं में पाया जाता है। प्रत्येक भाषा के रूपान्तरण के अपने नियम हैं। उन नियमों को पहचाना जा सकता है।

भाषा	संज्ञा	विशेषण
अंगेजी	Rain	Rainy
	Sun	Suny
हिन्दी	रंग	रंगीला
	खर्च	खर्चीला

खर्च तथा रंग में **ईला** जोड़ देने से उनमें रूपांतरण हो जाता है और वे **विशेषण** बन जाते हैं। इसी प्रकार Rain तथा Sun में **ई** (ल) जोड देने से वे Rainy तथा Suny में रूपांतरित होकर विशेषण बन जाते हैं।

1.9.3 वाक्य संरचना

किसी भी भाषा के वाक्य में मौजूद बुनियादी घटक जैसे कर्त्ता, कर्म, और क्रिया की व्यवस्था से किसी वाक्य की संरचना बनती है। चाहे भोजपुरी हो, मैथली, मगही या कोई अन्य भाषा। प्रत्येक में वाक्य के घटक किसी निश्चित क्रम में होने पर ही वाक्य की रचना करते हैं।

मनन

वाक्य–1 को दो क्रमों से व्यवस्थित किया गया है। आप भी वाक्य के पदों को अन्य क्रमों में रखकर विचार कीजिए कि क्या सभी क्रम स्वीकार्य हैं?

वाक्य–1 इकबाल आम खाता है।

वाक्य–1 में चार पद हैं। इन पदों को अलग–अलग क्रम में 24 तरह से लगाया जा सकता है।

जैसे: क्रम–1 आम इकबाल खाता है।

क्रम–2 खाता इकबाल आम है। आदि क्या क्रम–1 तथा क्रम–2 को हिन्दी में वाक्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? इसके लिए कुछ और वाक्यों पर विचार करें।

मनन

Iqbal eats mango का विश्लेषण कर बताइए कि अंग्रेजी की वाक्य संरचना में कर्त्ता, कर्म, क्रिया का क्रम क्या होता है?

वाक्य–2: सीता ने परिवारिक हिंसा के खिलाफ़ पुलिस में रिर्पोट लिखवाई।

वाक्य–3: फुलवा सामंत के व्यवहार से नहीं डरा।

वाक्य–2 में शामिल पदों को 36,28,800 क्रमों में लगाया जा सकता है। वाक्य–3 को 5,040 क्रमों में लगाया जा सकता है। विचार करके देखिए कि वाक्य–2 के 36,28,800 क्रमों में से कितनों को हिन्दी में वाक्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। मुख्यतः एक क्रमको और बलाघात के कारण एकाध किसी और क्रम को स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि हिन्दी की वाक्य संरचना कर्त्ता–कर्म–क्रिया की होती है। यानि वाक्य–1 में इकबाल (कर्त्ता), आम (कर्म) तथा खाता है (क्रिया), जब कर्त्ता–कर्म–क्रिया के क्रम में व्यवस्थित होंगे तभी उन्हें हिन्दी का वाक्य माना जा सकता है।

वाक्य में पदोंके क्रम के महत्व को समझने के लिए ईकाई–5 के पहले बिन्दू यानि 5.1 को इस विषय–वस्तु के साथ पढ़े। उसमें इसी बात को बिहार की भाषा के संदर्भ में समझाया गया है।

भाषा में वाक्य संरचना के होने को विश्लेषित करने के लिए कर्त्ता तथा क्रिया के संबंध पर विचार करते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए :

वाक्य	हिन्दी	अंगेजी
4	इतवा खाना खाता है	Itwa eat food
5	सलमा खाना खाती है	Salma eats food
6	तू खाना खाता है।	You eats food
7	तुम खाना खाते हो।	you eat food
8	तुम खाना खाती हो।	you eat food
9	आप खाना खाती हैं।	you eat food
10	आप खाना खाते है।	you eat food
11	मैं खाना खाता हूँ।	I eat food
12	मैं खाना खाती हूँ।	I eat food
13	हम खाना खाते हैं।	We eat food
14	हम खाना खाती हैं।	We eat food

ऊपर हिन्दी तथा अंगेजी के ग्यारह वाक्य दिए गए हैं। हिन्दी के वाक्य संख्या 2 से 12 तक का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हिन्दी में क्रिया, कर्त्ता के लिंग, वचन व पुरूष के अनुसार बदलती है। वाक्य संख्या 4 से 14 का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हिन्दी में लिंग, वचन तथा पुरूष के हिसाब से क्रिया (सहायक क्रिया सहित) के आठ रूप मिलते हैं।

लेकिन अंग्रजी के वाक्य संख्या 4 से 14 का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसमें लिंग, वचन तथा पुरूष के हिसाब से क्रिया के दो रूप मिलते हैं।

अंगेजी में कर्त्ता तथा क्रिया में जो संबंध मिलता है वह हिन्दी में कर्त्ता तथा क्रिया के बीच मिलने वाले संबंध से भिन्न है। लेकिन जैसा भी संबंध वह है नियमबद्व।

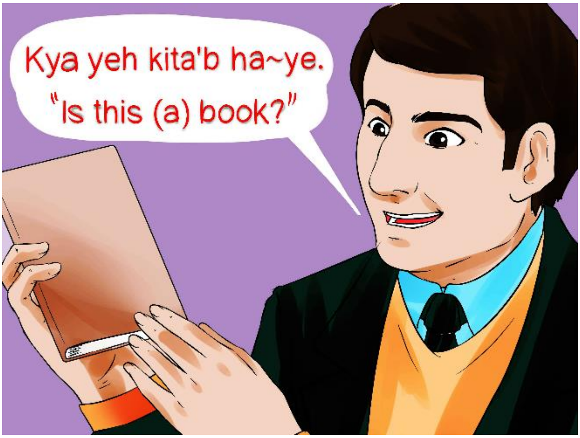

गतिविधि

बिहार की किन्हीं दो भाषाओं में वाक्य संख्या 2 से 12 तक का अनुवाद करके पता लगाइए कि उनमें कर्त्ता के लिंग वचन तथा पुरूष का क्रिया पर क्या असर पड़ता है?

1.9.4 संवाद संरचना

किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच संवाद को संभव बनाने के कुछ नियम होते हैं। यह संभव है कि दो लोगों द्वारा कही गई बातें ध्वनि, शब्द तथा वाक्य केस्तर पर उपयुक्त हों, यानि उन बातों में ध्वनि, शब्द तथा वाक्य की

संरचना के नियमों का पालन किया गया हो, लेकिन वे बातें संवाद के स्तर पर अर्थहीन हों। इस बात को समझने के लिए आइए नीचे दिए जा रहे दृश्य–1 पर विचार करें :

दृश्य – 1

पहला व्यक्ति	कहो भई क्या हाल है?
दूसरा व्यक्ति	सब्जी ला रहा हूँ।
पहला व्यक्ति	काम धंधा कैसा चल रहा है?
दूसरा व्यक्ति	टमाटर 20 रुपये किलो हैं।
पहला व्यक्ति	परिवार के लोग कैसे है?
दूसरा व्यक्ति	अभी शाम को ही पकाऊँगा।

दृश्य–1 में दोनों व्यक्तियों द्वारा तीन–तीन वाक्य बोले गए हैं। लेकिन किन्हीं भी दो वाक्यों में कोई संदर्भगत संबंध नहीं है। इसलिए यह संवाद की स्थिति नहीं हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के संदर्भों से अपरिचित होकर अपने–अपने संदर्भों की बात कर रहे हैं। उनके बीच कोई साझा संदर्भ नहीं है।

आइए दृश्य–2 पर विचार करें:–

दृश्य–2

पहला व्यक्ति	कहो भई क्या हाल है?
दूसरा व्यक्ति	आपकी कृपा से सब ठीक है।
पहला व्यक्ति	काम धंधा कैसा चल रहा है?
दूसरा व्यक्ति	आजकल कुछ मंदा है।
पहला व्यक्ति	परिवार के लोग कैसे हैं?
दूसरा व्यक्ति	सभी स्वस्थ हैं।

अब दृश्श्य–1 तथा दृश्श्य–2 की तुलना कीजिए। इनमें से किस दृश्य में संवाद हो रहा है?

दृश्श्य–2 में पहले व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों केसंदर्भ को समझकर दूसरा व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। दोनों की बातचीत का संदर्भ साझा है। दोनों एक दूसरे को सुन–समझ रहे हैं। दोनों द्वाराकी गई बातों में ऐसे शब्द हैं जो दोनों के बीच संबंध जोड़ते हैं। जैसे हाल का

संबंध ठीक से है।काम के चलने का संबंध मंदा से है। परिवार के लोग कैसे हैं का संबंध स्वस्थ हैं से है।

इसलिए संवाद की कुछ जरूरी शर्तों में पहली है बात करने वालों के बीच संदर्भ की साक्षेदारी। दूसरी षर्त है दूसरों द्वारा कही जा रही बात को सुनना–समझना। तीसरी शर्त है सुनी गई बात के क्रम को आगे बढाते हुए अपनी बात कहना।

कक्षाओं में विद्यार्थी–शिक्षक/षिक्षिका को संवाद की स्थितियाँ सृजित करने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है। ऊपर बताई गई शर्तें उनको मदद कर सकती हैं।

1.10 भाषा की विशेषताएँ

ईकाई–1 के शुरूआती बिन्दुओं के अन्तर्गत आपने जो कुछ समझा उससे भाषा की विशेषताएँ समझने में आपको मदद मिलेगी। आपने पढ़ा की भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। यह भाषा की एक विशेषता है। ये प्रतीक मनमाने (यादृच्छिक) तौर पर गढ़े जाते हैं। यह भाषा की दूसरी विशेषता हैं इनके बारे में आप इकाई–1 में शुरू में पढ़ चुकी हैं। ईकाई के इस भाग में आप भाषा की अन्य विशेषताओं पर विचार करेंगी।

- **भाषा अर्जित संपति है**

  भाषा को परिवेश से अर्जित किया जाता है। भाषा , किसी को अनुवांशिक रूप में नहीं मिलती। हाँ, भाषा सीख सकने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है। लेकिन उस क्षमता के द्वारा भाषा का अर्जन हो सके इसके लिए परिवेषगत भाषा में लोगों के साथ अन्तःक्रिया करनी पड़ती है।

  जो लोग जिस परिवेश में रहते हैं वे भाषा सीख सकने की जन्मजात क्षमता के आधार पर उस परिवेश में बोली जाने वाली भाषा/भाषाएँ सीख सकते हैं।

- **भाषा सामाजिक वस्तु है**

  क्या भाषा किसी एक व्यक्ति की हो सकती है? इस प्रष्न पर दार्षनिक विटिंग्स्टाइन ने अपनी पुस्तक जिम चिपसवेवचीपबंस प्दअमेजपहंजपवद

में विस्तार से विचार किया है। उनके अनुसार भाषा किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं अपने उपयोग के लिए किताब को पत्थर, पानी को फूल और कागज को आकाश कहता हूँ। और इसी प्रकार मैं स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुओं के लिए उपलब्ध प्रतीकों को बदल देता हूँ। इतने सारे प्रतीकों को बिना सामूहिक संदर्भ तथा सहायता के याद रखना संभव नहीं है। दूसरी बात यह कि यदि मुझे स्वयं से बात करनी है तो इसके लिए मुझे प्रतीक गढ़ने की क्या आवश्यकता है। प्रतीक गढ़ने का अर्थ ही है कि मैं उसका उपयोग किसी और को समझाने के लिए करना चाहता हूँ। इन आधारों पर भाषा को सामाजिक वस्तु माना जाता है।

- **निश्चित से अन्नत की रचना**

माना जाता है कि पुशु–पक्षी ध्वनियों का उपयोग अपनी बात संप्रेषित करने के लिए करते हैं। लेकिन उनके पास जितनी संख्या में आधारभूत ध्वनियाँ होती हैं उनका उपयोग उनकी संख्या तक सीमित होता है।

इनके विपरीत मनुष्य सीमित ध्वनियों से अन्नत शब्दों का निर्माण कर उनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अलग–अलग भाषाओं स्वरों तथा व्यंजनों की संख्या सीमित है। ये भाषा की आधारभूत ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के विभिन्न संयोगों से मनुष्य ने शब्दों का अन्नत भंडार बनाया तथा आगे भी बनाता/बनाती रहेगा/रहेगी। भाषा के इसी गुण के कारण उसमें परिवर्तनशीलता तथा बढ़ते रहने के गुण पाए जाते हैं।

- **भाषा नियमबद्ध होती है।**

हम विस्तार से पढ़ चुके हैं कि भाषाएँ नियमबद्ध होती है। इस विशेषताओं को समझने के लिए इस ईकाई के पहलेवाले खण्ड को याद कीजिए।

1.11 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

संप्रेषण के मुकाम तक पहुँचने से पहले इंसानी मस्तिषक भाषा के माध्यम से कुछ जरूरी काम लेता है उनमें से बुनियादी है, वाचिक प्रतीकों की

रचना करना। इन्हीं प्रतीकों की वजह से इंसान ठोस संसार से स्वतंत्र होकर भी उस पर बात कर सकता/सकती है।

भाषा की जरिए हम दुनिया के साथ संबंध बनाते हैं।यही संबंध हमारी समझ का तथा बाद में सम्प्रेषणका आधार बनता है।

हमने समझा कि व्याकरण नियमों के स्तर पर हर भाषा नियमबद्ध होती है। इसलिए हमें यह कहने का कोई हक नहीं है कि अमुक भाषा, भाषा की कोटि में रखने के योग्य नहीं है क्योंकि उसका व्याकरण नहीं है। किसी भाषा के बारे यह कहना कि वह व्याकरणिक रहित है, एक ऐसी बात है जिसे जरा से प्रयास से खारिज किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि तमाम भाषाओं के प्रति तार्किक तथा सम्मानजनक नजरिया विकसित किया जाए।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई–संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब–रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।

1.12 शब्दावली

यादृच्छिकता : भाषा उच्चारणों से उच्चरित (अध्ययन–विश्लेषणीय) यादृच्छिक (Arbirtrary) ध्वनि–प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान–प्रदान करते हैं (तिवारी 1951:)। अर्थात यद्रिक्षिक भाषा निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार ध्वनी समूह से निर्मित शब्द की अर्थवत्ता नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक न होकर व्यक्ति अथवा समूह इक्षित होती है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यही कारण है कि संसार में समस्त समाज की अपनी अलग–अलग भाषाएँ हैं।

1.13 प्रदत्त कार्य

1. क्या कारण है कि दुनिया की सभी भाषाओं में किसी एक वस्तु, विचार, व्यक्ति, क्रिया, स्थान के लिए एक ध्वनि प्रतीक नहीं है?
2. भाषा में वाचिक प्रतीक रचना की समझ सीखने–सिखाने प्रक्रिया को किस प्रकार बेहतर बना सकती है?
3. किसी तस्वीर को आधार बनाकर इस बात का विश्लेषण कीजिए कि भाषा किस प्रकार समझ बनाने का साधन है?
4. किसी संकल्पना, उदाहरण के लिए समानता, पर कक्षा में चर्चा कीजिए तथा इस बात का विश्लेषण कीजिए कि संप्रेषण, समझ को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक होता है?
5. बिहार की किसी एक भाषा में निकलने वाले अखबार या प्रकाशित साहित्य के एक छोटे से अंश का शब्द, वाक्य तथा संवाद के स्तर पर विश्लेषण कीजिए तथा यह बताइए कि क्या वह एक नियमबद्ध भाषा है?

इकाई 2

भाषायी विविधता व बहुभाषिकता

2.1 परिचय

2.2 उद्देश्य

2.3 पूर्व अनुभव

2.4 बहुभाषिकता कमजोरी नहीं ताकत (भारत और बिहार के विशेष संदर्भ में)

2.5 बहुभाषिकता के बौद्धिक और शिक्षण–शास्त्रीय आयाम

2.6 भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

2.7 बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी

2.8 समेकन तथा सीखने–सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

2.9 प्रदत्त काय

2.1 परिचय

आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तब वह सामान्यतः एक से अधिक भाषाओं का जानकार होता है। कई बार वह उस भाषा के भी गीत गुनगुनाता है, उनका आनंद लेता है जो उसकी मातृभा षा से इतर होती है। तात्पर्य यह है कि यह अनायास या स्वाभाविक रूप से बहुभाषिक है। इसका मुख्य कारण उसके आस–पास बोली जाने वाली भाषाएं है जिन्हें वह अलग–अलग परिस्थितियों में सुनता–समझता है। आइए, इस मुद्दे पर थोड़ी गहराई से विचार करें। यह देखने की कोशिश करें कि हमारा देश कि किस मायने में बहुभाषिक कहते है। कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। लेकिन महज आठवीं अनुसूची ही नहीं अन्य अलग कारणों से भी भारत की बहुभाषिकता का अंदाज मिलता है। जिस भाषा की कोई अपनी लिपि न हो या उसके पास कोई बड़ी विरासत न हो तब भी उस भाषा का भारत के बहुभाषिक परिदृष्य में बड़ा योगदान आंका जा सकता है। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि भारत में केवल 20–22 भाषाएं ही नहीं बल्कि 1632 भाषाएं हैं। इसी तरह कुछ लोग भारत का बहुभाषिक इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ टी वी अखबार, रेडियो, दफ्तर, शिक्षा, कचहरी आदि का कामकाज एक साथ कई भाषाओं में होता है।

जब हम शिक्षा और भाषा के रिश्ते की पड़ताल करते हैं तब सहज ही हमारा ध्यान कुछ बातों की और चल जाता है, जैसे किसी बच्चे का बहुभाषिक होना समस्या है या सीखने का एक बेहतरीन साधन? बच्चें के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में क्या कोई रिश्ता है? स्कूल आने के बाद बच्चे की बहुभाषिकता में कौन–से नए आयाम जुड़ते है? इन सवालों के जवाबों की प्रकृति कहीं–न–कहीं कक्षा में भाषा–शिक्षण की प्रकृति को जाने–अनजाने प्रभावित करती है। अतः यह जरूरी है कि हम भाषायी विविधता और बहुभाषिकता को विभिन्न संदर्भो में समझने की कोशिश करें।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अधययन के बाद आप

- बहुभाषिकता की अवधारण को समझ सकेंगे।
- भारत और विशेघ रूप से बिहार के बहुभाषिक परिदृश्य को समझ सकेंगे।
- बहुभाषिकता के बौद्‌धिक और शिक्षण शास्त्रीय आयामों से परिचित होते हुए उनका अपने कक्षा–शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे।
- भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षात्मक समझ बना सकेंगे।

2.3 पूर्व अनुभव

भाषाविदों से

भाषा की बिरादरी से
अब बाहर आ गया हूँ
इसके पहले के मुझे
बेदखल कर दिया जाए
मैं खुद छोड़ आया हूँ
उनकी संगत
जो श को स और
क्ष को छ बोलते हैं
उनके बोलने में
मिठास, अपनत्व और स्नेह झलकता है।
उसे देखकर तय किया मैंने
उनके जैसे ही होना
उन्हें लौटाना चाहता हूँ
उनका दिया हुआ सब कुछ
सुद्‌ध उच्चारन की
हमेसा सभी से अपेछा
एक जालेवा अपेछा है
खुद भाखा के फैलाव के लिए
यह समझोगे
तभी तो
कहलाओगे
सचमुच के भाषाविद्!

- आपकी दृष्टि में काव्य नाचक क्यों खुद को भाषा की बिरादरी से अलग करने की बात कह रहा है?
- उसे शुद्ध उच्चारण से इतना क्यों हुआ?
- कवि सचमुच का भाषाविद् किसे मानता है और कयों?
- तथाकथित अशुद्ध करने वालों की भाषा में मिठास, अपनत्व और स्नेह क्यों झलकता है?

दरअसल जिसे हम मानक भाषा कहते है उसके बारे में हमारी समझ कई बार एकदम सतही हाती है। जो मानक भाषा हम बोलते या लिखते है उसकी जड़ें विभिन्न समुदायों की अनेक भाषाओं की स्मृयिों का हिस्सा हैं। ऐसे में भाषा के लचीलेपन और बहुरूपा स्वाभाव को संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है। विभिन्न जातीय या सामुदायिक स्मृतियां भाषाओं के माध्यम से प्रकट हाती हैं। कहना न होगा उनके बल पर शिक्षा के वितान का अनंत विस्तार संभव है।

आइए, सत्यवाणी के बारे में जानें:—(बिहार के स्कूलों से जुड़ा अनुभव अभी देना है।) सत्यवाणी अकसर अपनी कक्षा में चुप रहती है। लेकिन जब खाने की घंटी बजती है। और वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है, खेलती है तो वह वही सत्यवाणी नहीं रह जाती। वह अपने दोस्तों के साथ खूब बात करती है, खिलखिलाती है। वापस कक्षा में आने पर जब शिक्षिका पढ़ाने लगती है तो वह फिर से खामोंश हो जाती है। वह शिक्षिका की ओरइ से तरह देखती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा।

क्या सत्यवाणी समझ के मामले में कमजोर है?
सत्यावाणी के कक्षा में चुप रहने के क्या संभावित कारण हो सकते है?
क्या स्कूल की भाषा और सत्यावाणी की अपनी भाषा में अंतर भी एक कारण हो सकता है?
यदि सत्यवाणी की चुप्पी का कारण स्कूल की भाषा और उसकी अपनी भाषा में अंतर होना है तो आपके विचार से सत्यावाणी की शिक्षिका को क्या करना चाहिए और क्यों?

सत्यवाणी जैसे अनेक बच्चे हैं जिनकी भाषा को कक्षा, विधालय में जगह नहीं मिल पाती। शिक्षकों को यह समझना होगा कि जिस तरह वे विभिन्न संदर्भो में अपनी भाषा का प्रयोग करने समझने में सहज महसूस करते है। ठीक उसी तरह बच्चे भी प्रारंभिक कक्षाओं में अपनी भाषा में सहजता अनुभव करते है।

बिहार की पाठ्य–पुस्तक में से उदाहरण देते हुए पूछना कि इस तरह के अभ्यास क्यों दिए गए है।

हम जानते है और स्वीकार भी करते है कि जीवन की विविध स्थितियों में भाषा का प्रयोग विविधस्वरूपी हो जाता है। भाषा–प्रयोग की यह भिन्नता संप्रेषण के लिए जरूरी है। अपने मित्र से बात करते समय हमारी भाषा को वह स्वरूप नहीं होता जो हम अपने से बड़े अधिकारियों से बात करते समय इस्तेमाल करते है। ठीक इसी प्रकार खेलों के बारे में बातचीत करते समय हमारे शब्दों और वाक्यों का चयन ठीक नहीं रहता जो कंम्प्यूटर के बारे में चर्चा करते समय होता है। यह विविध भाषा–प्रयोग स्थिति और विषय की भिन्नता के कारण है।

कुछ करने के लिए

1. नीचे दी गई स्थितियों/जगहों में आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते है घर में माँ–पिता से बातचीत

....

....

....

विधालय में प्रधानाधयापक से बातचीत

....

....

....

दवाई की दुकान पर दुकानदार से बातचीत

....

....

....

बच्चों को पढ़ाते हुए बातचीत

....

....

....

2. टी. वी. के विभिन्न चैनलों और रेडियो के भाषा–प्रयोगों में आप क्या अंतर पाते है? आपकी नजर में अंतर के क्या कारण हो सकते है?

....

....

....

2.4 बहुभाषिकता कमजोरी नहीं ताकत (भारत और बिहार के विशेष संदर्भ में)

हमारे देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती है। उन भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता है। सच तो यह है कि हिन्दी का भी कोई एक रूप नहीं है। वह बहुरूपी है। संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शिक्षायी हिन्दी, अंतरराष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा वाणिज्य. व्यवसाय की भाषा के रूप जैसे संदर्भो में हम हिन्दी की पहचान बखूबी कर सकते है। हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में विथिन्न रूपों में विकसित हुई जो एक अर्थ में जनतान्त्रिक विकास की विशिष्ट कसौटी कही जा सकती है। बांगला ए असमिया ए उड़िया के संपर्क में विकसित होने वाली हिन्दी का स्वयं अलग है तो पंजाबी ए डोगरी जैसी पश्यिमोत्तर भाषाओं के संपर्क की हिन्दी का रू॰ अन्य ढंग से विशिष्ट है। उसी तरह द्रविण भाषाओं जैसे तेलुगु के संपर्क की हिन्दी और सुदूर पश्यिम की मराठी ए कोंकणी के संपर्क की हिन्दी का रूप अलग तरह की सुंदरता धारण किये हुए है। कुल मिलाकर हिन्दी के मोटे तौर पर चार या पाँच रूप ऐसे हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में बने संवरे।

ठीक यही स्थिति बिहार की भाषाओं पर भी लागू होती है। जैसे बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी के भी अनेक रूप सहज ही देखे जा सकते है।

आरा–बक्सर	बेतिया–सिवान–गोपालगंज	छपरा
हम किताब पढ़ब।	हम किताब पढ़ेम।	हम किताब पढ़ेब।
हम चिट्ठी लिखब।	हम चिट्ठी लिखेम।	हम चिट्ठ लिखेब।

उक्त वाक्यों में क्रियाओं के अलग–अलग रूप नजर आ रहे है। यानी भोजपुरी की बहुरूप प्रकृति स्पष्ट हो रही है। यही भोजपुरी जब उत्तर प्रदेश में जाती है तब अलग रंग में उसका रूप निखरता है बनारस की भोजपुरी का यह रूप काशिका कहलाता है। पुरानी कहावत है–कोस–कोस पर भाषा बदले, चार कोस पर बाना।

- आप जिस क्षेत्र में रहते है, वहां की मुख्य भाषा की बहुरूप प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए।
- आप अपनी हिंदी की किताब में से किसी एक अंश का अलग–अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवार कीजिए। बताइए कि इनमें आपने क्या अंतर और समानताएं देखीं?
- हिंदी की कुछ कहावतों को चुनिए और यह देखिए कि अन्य भाषाओं जैसे भोजपुरी, मैथिली आदि मे उनके क्या रूप है।

दरअसल बहुभाषिकता भाषा की एक संपन्न स्थिति है। उसके व्यापक संदर्भो की चर्चा करने से पहले बिहार की विशेष बहुभाषिक परिस्थिति पर भी नज़र डाली जाए। बिहार की पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2008 के अनुसार बिहार में अनेक बोलियों/भाषाओं का जीवंत सह–अस्तित्व है। घरेलू भाषा के रूप मं हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, संथाली के अतिरिक्त सीमित रूप में बांग्ला जैसी/बोलियां है। हिंदी/उर्दू स्थनीय न होकर ीाी घरेलू भाष के रूप में उपस्थित है बावजूद इसके इनमें हिंदी और उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा/बोली को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की माध्यम के रूप में तरजी नहीं दी जाती।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है – भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेंश करत ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहा अनेक प्रकार की भाषाए बोली जाती है, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा–परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में पांच – भाषा परिवारों की भाषाए नहीं पाई जातीं। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न है

कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनके नाम हैं इंडो–आर्यन, द्रविड़, औस्टो–एशियाटिक, तिब्बतो–बर्मन और अंडमानी। ये भाषाए आपस में सतत संपर्क–संवाद भी करती रहती है।अ नेक भाषिक आरे सामाजिस–भाशिक विशेषताए ऐसी है जो सभी भाषाओं और संस्कृतिया सदियों स एक दूसरे को समृद्ध करती रही है। शास्त्रीय भाषाए, (जैसे – लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल और संस्कृत विभिक्ति प्रधान व्याकरण के मामले में और क्योंकि अनेक भाषाए उनसे शब्द लेती रहती है।

भारत की बहुभाषिकता के संदर्भ में समय–समय पर अनक विवरण दर्ज किए गए हैं। जिनसे भाषाओं की परिवर्तनशील स्थितियों का भी पता चलता है। आइए, बरास्ते भारत सरकार के गृह मंत्रालय उन पर एक नजर डालें

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
जनगणना 2001
कथन 6

बोलने वालें की संख्या (जनगणना 1971,1981,1991, और 2001 के अनुसार) के घटते क्रम में अनुसूचित भाषाओं का तुनात्मक स्थान। कुल जनसंख्या की भाषायी आधार पर प्रतिशतता

नोट–

1. संविधान के 100 वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगण्ना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो,डोगरी मैथिली और संथाली को शामिल किया गया।
2. संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा 1991 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली अनुसूचित भाषाओं में श ामिल हुई।
3. 1991 में प्रकाधित प्रतिशतता की तुलना में 1991 में हिन्दी प्रतिशतता में परिवर्तन का कारण हिन्दी में मैथिली को शामिल नहीं करना है।
4. 1981 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालें की पतिशतता भारत की कुल जनसंख्या के आधार पर परिईलित की गयी है। इसमें असम की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि व्यवहाधन के कारण वहाँ 1981 में जनगण्ना नहीं कररायी जा सकी।
5. 1981 के लिए तमिल, असमी और बोडो बोलने वालों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि तमिलनाडु के जनगणना संबंधी रिकौर्ड बाढ़ के कारण खतम/नष्ट हो गए और असम में मौजुद अव्यवस्था के कारण वहाँ 1981 की जनगणना सम्पन्न नहीं हो सकी।

6. 1991 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालेां की प्रतिशतता भारत की जनसंख्या केआधार पर निकाली गयी है। इसमें जम्मू कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है क्योंकि व्यवधान के कारण वहाँ 1991 में जनगणना नहीं कराई जा सकी।
7. 2001 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की कुल जनसंख्यास के आधार पर निकाली गयी है। इसमें मणिपुर के संनापति जिले के माआ–मराम, पाओमाटा और पुरूल सब–डीवीजन की जनसंख्या जनगण्ना के कारण शामिल नहीं है।
8. 1991 के लिए कश्मीरी और डोगरी बोलने वालों की कुल संख्या अपलब्ध नही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद अव्यवस्था के कारण 1991 मं जनगण्ना सम्पन्न नहीं हो सकी।
9. 2001 के लिए मणिपुर के सेनापति जिले के पाओंमाटा, माओ–मराम और पुरूल सब–डिवीजन की जनसंख्या शामिल नहीं है।

मैथिली बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा से अलग कर दीस गई है क्योंकि 1971 से 1991 जनगणना तक यह हिन्दी की मातृभाषा मानी जाती थी।

कहना न होगा भारत का भाषायी परिदृश्य अनेक दृष्टियों से संपन्न है। अनेक भाषाएं एक–दूसरे के सान्निध्य फलती–फूलती और बदलती है। भारत की बहुभाषिकता इसी आवाजाही का परिणाम है। इस संदर्भ में प्रो रमाकांत अग्निहोत्री का कहना है कि बहुभाषिकता भारत के लिए कोई समस्या न होकर एक संपदा है। कई भाषाओं को अपने आप में समेट लेना व अन्य देश–विदेश की भाषाओं से स्वतंत्रतापूर्व आदान–प्रदान करना, भारतीय व्यक्ति व समाज के लिए एक सामान्य बात है। यहाँ यह कोई अचरज की बात नहीं कि बेटा, माँ–बाप से तो भोजपुरी में बात करता है, पुराने दोस्तों से भोजपुरी व हिन्दी में, कौलेज के दोस्तों से हिन्दी या अंग्रेजी में व अपने व्यवसाय का सारा काम केवल अंग्रेजी मे करता है। यही नहीं कई परिस्थितियों में तो ऐसा भी होता है कि दो या अधिक भाषाएँ मिलजुल जाती है। ऐसी प्रक्रिया में भाषाएँ समृद्ध होती है न कि खिचड़ी बनती है।

प्रसिद्ध भाषाविद् सुब्बाराव की राय भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वे अपने एक लमेख में कहते है भले ही भाषाएँ एक दूसरे से बाह्य रूप से भ्न्नि हो, भारत की भाषाओं में अंतर्निहित रूप से काफो समानताएँ है। पश्चिमी देश मुख्यतः एकभाषी देश्या है। कई पश्चिमी भाषा वैज्ञानिकों की राय यह है कि इतनी सारी भाषाओं का एक ही क्षेत्र में प्रयोग किए जाने से लोगों को एक–दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। लेकिन

वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती। भारत में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम अपनी मातृभाषा के अलावा एक या दो भाषाएँ तो जानता ही है। वह इन भाषाओ के जरिये अपने रोजमर्रा के कामकाज आराम नहीं बनती। चाहे मजदूर हो या व्यापारी हो या बाबू हो या अफसर, भाषा की वजह से किसी का काम नहीं रूकता।

इन उद्धरणों से गुजरने के बाद यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारी भाषाइ विविधता न तो कोई समस्या है और नही पिछड़ेपन की निशानी। यह भाषई समृद्धि का प्रमाण है जिसका शिक्षा–शास्त्रीय उपयोग संभव है।

भारतीय भाषा–विविधता को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हम जानते हैं कि एक ही भाव अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं में हो सकती है। जैसे इन वाक्यों को देखिए

- मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। (हिंदी)
- हमरा रसगुल्ला नीक लगइत अछि (मैथिली)
- हूं रसगुल्ला पसंद करूं छूं। (गुजराती)
- हमरा रसगुल्ला ठीक लागइछैय (अंगिका)
- मने रसगुल्लो हाउळ लागे। (मेवाड़ी राजस्थानी)
- ननगे रसगुल्ला बहाव्ठा इस्ता। (कन्नड़)

यदि इन अभिव्यक्तियों पर गौर किया जाए तो देखा जा सकता है कि भले ही एक कथन अलग–अलग भाषाओं में लिखा गया है लेकिन उनमें संरचनागत समानता झलकती है। हां, हो सकता है कि कुछ भारतीय भाषाओं में इतनी समानता न हो। लेकिन असल बात यह है कि भाषायी विविधता अभिव्यक्ति की विविधता और सृजनात्मकता के द्वारा खोलती है।

सवाल

नीचे दिए गए हिंदी के वाक्यों को किन्हीं तीन अलग भाषाओं में किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे?

1. आप कहां जा रहें है?

....

....

....

2. अरे, देखो काले बादल आ गए।

....

....

....

....

3. बच्चों ने कागज़ की नाव बनाई।

....

....

बताइए–

- भारत में कितने भाषा परिवार है।
- अपने आस–पास के भाषा–प्रयोगों के आधार पर बताइए कि आपके क्षेत्र में कितनी और कौन–कौन सी भाषांए बोली–समझी जाती है।
- नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बाताइस कि ये किस भाषा के शब्द है
- चाकू, गिलास, अखबार, कार, कार्य टिकिट, कानून।
- क्या आपको लगता है कि शब्दों को किसी भाषा विशेष के साथ ही बांधकर रखा जा सकता है? क्यों?
- किन्हीं तीन स्थानीय अखबारों की एक–एक प्रति को अधययन करके भाषा की बहुभाषिक विशेषताओं पर एक रिर्पोर्ट तैयार कीजिए।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=RdYCmbZmiXI

2.5 बहुभाषिकता के बौद्धिक और शिक्षण-शास्त्रीय आयाम

आपने अपने आस–पास और अपनी कक्षाओं में यह देखा होगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भिन्न–भिन्न भाषाओं का सहज प्रयोग करने की क्षमता रखते है। भाषा के क्षेत्र में किए गए शोध यह बताते है कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से गहरा सकारात्मक रिख्ता है। एन सी ई आर टी के भारतीय भाषाओं का शिक्षण आधार पत्र में अनेक शोधों का उल्लेख करते हुए बताया है कि कैसे भाषिक व्यवहार की विविधता – बहुभाषिक समाजों में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता ही प्रदान करती है। बहुभाषिकता के संदर्भ में आधार पत्र की अनुशंसा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को दबाने की बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए।.........हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत – बहुभाषिकतावाद से मिलते आ रहें फायदों को दबाने/कमजोर करने का काम किया है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति से बचना हो तो तत्काल हमारी शिक्षा व्यवस्था के योजनाकारों को शिक्षा में भाषा की उक्त खासियत (की महत्ता को समझते हुए) को केंद्रीय स्थान देने की पहलकदमी करनी होबी।

बहुभाषिकता के संदर्भ में हुए अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि जा बच्चे सीखने के दौनार एक से अधिक भाषाओं में कुशलता का विस्तार करते है। उनमें सीखने की प्रक्रिया के साथ ही रचनात्मकता और सामाजिक सहिष्णुता जैसे गुणों का बेहतरीन विकास होता है।

दो भाषा बोलने वाले बच्चे व केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी जयादा रचनात्मक होते है, साथ ही उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई गई है। भाषिक खजाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होता है। साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि बहुभाषी बच्चे विविध सोच में ज्यादा अच्दा प्रदर्शन करते है।

बहुभाषिकता सें ही जुड़ा एक मसला त्रिभाषा सूत्र है। अनेक शिक्षा आयोगों ने इसे लागू करने की सिफारिश की। जरूरत इस बात की है कि संक्षेप में त्रिभाषा सूत्र पर एक नजर डालें। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (www.languageinindia.com) में भाषा के विकास के प्रश्न पर गहन रूप से विचार किया गया। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सका और ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। इस तरह की स्थिति कई जटिल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। और यह धारणा बना लेती है कि 1960 से भाषाओं के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि 1968 की नीति का ठीक से क्रियान्वयन भी नहीं हुआ।1968 की नीति के अनुसारः

- स्कुल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा
- द्वितीय भाषा
  - हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और
  - गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- तृतीय भाषा है।

हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रहीं हो।

गैर हिंदी भाषा राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रहीं हो।

यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ–साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो।

विश्वविधालय तथा कौलेज स्तर पर भी हिंदी और/या अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्क्रम उपलब्ध होने चाहिएताकि इन भाषाओं में विधार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें।

त्रिभाषा सूत्र भाषा के लिए कोई लक्ष्य या सीमा निर्धारित नहीं करता है, बल्कि यह तो उस यात्रा का प्रस्थान बिंदु मात्र है जिसमें लगातार फैलते हुए ज्ञान की खोज और देश की भावनात्मक एकता की तलाश है। इस तरह अपनी मूल भावना में त्रिभाषा सूत्र हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं (खासकर दक्षिण भारतीय भाषा) का, और

हिंदीतर राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी का प्रावधान प्रस्तावित करता है। लेकिन इसके प्रति प्रतिबद्धता से ज्यादा इसका अतिक्रमण करते हुए ही पाया गया हैं हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत तािा गैर हिंदी राज्य खासकर तमिलनाडु द्विभाषी सूत्र यानी तमिल और अंग्रेजी से काम चलाते है। तथापि बहुत सारे राज्य त्रिभाषी सूत्र को अपनाए हुए है जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएं भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषायी जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती है।

सवाल

आपके विधालय में किन–किन वर्गो में कौन–कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती है? क्या आप उनके पढ़ारए जाने से सहमत है? क्यों?

बच्चों को एक साथ एक से अधिक भाषा पढ़ने में क्या कोई पेरशानी होती है। उनके बारे में बताइए।

किसी ऐसे अनुभव के बारे में बताइए जब किसी विषय को समझाने में बच्चों की मातृभाषा ने सहायता की हो।

संविधान में बहुभाषिकता के संदर्भ को संवेदनशीलता से समाहित किया गया है। अनुच्छेद 350 के आलोक में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सभी राज्यों को प्रयास करने है। अपवादस्वरूप अंग्रेजी माध्यम विधालयों और मदरसों को छोड़ दें तो विधालयों में हिंदी लगभग तमाम बच्चों के लिए आमतौर पर प्रथम भाषा है, क्योंकि ऐसे परिवार बहुत कम हैं जिनकि घरेलू भाषा और प्रथम स्कूली भाषा के बीच फर्क न हो। बिहार की पाठ्यचर्या 2008 की प्रस्तावना को इस संदर्भ में देखना दीगर होगा यह आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा घरेलू भाषा अथवा स्थानीय बोली को स्वीकार किया जाए। हिंदी के साथ ऐसे बच्चों का परिचय बढ़ाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक मानक हिंदी अथवा सही हिंदी का प्रयोग ही न करे, क्योंकि आज की नई परिस्थितियों में शिक्षार्थियों के लिए हिंदी आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण आधार हागी

इस प्रकार बहुभाषिकता, न केवल बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है बल्कि वह भारत के भाषा–परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण भी है। कहना न होगा उसका संसाधन के रूप में उपयोग, कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में जखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य

है। निःसंदेह यह उपलब्ध संसाधन का बेहतर इस्तेमाल ही नहीं है बल्कि इससे यह भी आधार पर किसी को पीछे न छोड़ दिया जाए।

2.6 भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

भाषा जैसे संवेदनशील मुछ्दे पर यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय संविधान भाषाओं के संदभ्र में कौन–सा रूख अपनाता है। संविधान में धारा 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा रूप का विश्लेषण किया गया है। यानी प्रशासनिक भाषा के स्वरूपों पर संविधान अपना रूख स्पष्ट करता है। एक ऐसे देश में जहां अनेक भाषा परिवारों की भाषा बोलने वालों के बीच स्वाभाविक जनतंत्र है, वहां संविधन इस बात के लिए खास तौर र सचेत रहा कि भाषा ओं के नाम पर ध्मासान न मचे। भारतीय संविधान ने इस बात को सुनिश्यित किया कि विभिन्न अभिव्यक्ति–भाषाओं को समुचित स्थान मिले। इसी संदर्भ में आठवीं अनुसूची की व्यवस्था की गइ। धयान रहे केवल हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि संविधान की आठवी अनुसूची में 1950 में 14 भाषाआं का शामिल किया गया । ये 14 भाषाएँ थी – असमिया, बांगला गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मललायम, मराठी उड़िया पंजाबी, संस्कृत, तमिल तेलुगु औरस उद्। इस सूची में 21 वे संविधान संशोधन (1967) न सिंधों भाषा को जोड़ा। इसी तरह 71वे संविधान संशोधन (1992) द्वारा और डोगरी भाषाओं को भी इस सूची में स्थान दिया गया। इस तरह फिलहाल संविधान में कुद 22 भाषाएँ शामिल है। इसके अतिरिक्त कई राज्य अपनी भाषाओं को इस सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रहें है।

आइए, अब संविधान की भाषायी धाराओं यानी 343 से 351 तक के प्रावधानों का सार समझें।

भारतीय संविधान की धरा 343 1 के अनुसार भारत की राजभाष देवनागरि लिपि में हिंदी होगी। धारा 343 ख के अनुसार अंग्रेजी को सह–राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को यह दर्जा शुरूआत मे 15 वर्षो तक दिया गया था हालाँकि 1963 के औफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह–राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया किवे विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक अथवा हिन्दी को राज्य की राजभाषा बनाएँ। अनुच्छेद 345 की पृष्ठभूमि में उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित की गई। पंजाब में पंजाबी महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में हिंदी व गुजराती भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, करेल, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल ने क्रमशः तमिल, तेलुगु

कन्नड़, मलयालम, उड़िया असमिया और बांग्ला को अपनी–अपनी राजभाषा बनाया। सिक्किम ने नेपाली, लेपचा, लिंबू और भूटिया को अपनी राजभाषाएँ घोषित किया। नागालैंड ने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा बनाया। इसी तरह अरूणचल प्रदेश, मिजोरम तथा मेघालय ने किसी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया लेकिन सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों–चंडीगढ़ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दादरा नागर हवेली पर केन्द्रीय राजभाषा नीति लागी होती है। लेकिन पांडिचेरी की राजभाषा तमिल है।

यह बखूबी समझ लेना चाहिए कि राजभाषा के रूप में हिंदी और आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के स्वरूप में अंतर है। जहां राजभाषा हिंदी के रूप में सरकार स्वीकृत मानकीकृत रूप को प्रयोग मान्य है, वहीं आठवीं अनुसूची मं शामिल भाषा के रूप में हिंदी के विविध रंग हो सकते है। राजभाषा को समृद्ध करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। राजभाषा हिंदी म शब्द निर्माण के विशिष्ट वैधानिक प्रावधान है। शब्द निर्माण के लिए स्रोत लमे कर खास तौर पर सचेत रहा कि हिंदी कहीं किसी विशेष स्त्रोत भाषा की प्रतिक1ति मात्र न रह जाए। इस संदर्भ में धारा 351 की अनुशंसा देखी जा सकती है। इसके अनुसार हिंदी भाषा का इस तरह विकास और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की समाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति पदानप करने कर सकेने वालो माध्यम बन सके। संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संसद के अधिनियम की भाषा अंग्रेजी ही रहगी। साथ ही संविधन प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा में राज्य को संबोधित करने को अधिकार प्रदान करता है। धारा 350 ए (सातवें संशोधन अधिनियम 1956 में, प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठन–पाठन की बात की गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की बहुभाषिकता जहां एक और भाषायी समृद्धि की और संकेत करती है, वहीं दूसरी और वह भाषा/भाषाओं के विकास के लिए सचेत प्रयासों की और भी इशारा करती है। इसके लिए शिक्षकों की बड़े पैमाने पर तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाषा का जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रयोग केवल भाषा शिक्षक ही नहीं वरन पूरा विधालय तथा समाज सिखलाता है।

सवाल

- भारत का प्रत्येक बच्चा बहुभाषिक है। इस कथन के बारे में अपनी राय बताइए।

- आपके अपने विद्यालय में और घर के आस–पास किस/किन भाषा(ओं) का अधिक प्रयोग होता है? आपके विचार से उनमें नज़र आने वाले थोड़े/अधिक अंतरों के क्या कारण है?
- भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। आपकी नज़र में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए विशेष भाषा–भाषी क्यों संघर्ष करते है?
- संविधान स्वीकृत हिंदी और आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी में क्या अंतर है?

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=HmWzpopwt-I

2.7 बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी

बहुभाषिकता के शिक्षणशास्त्रीय पक्ष का यह ज़रूरी पहलू है कि हम यह भी समझने का प्रयास करें कि सामाजिक संरचना में हाशिए के समूहों से इस समझ का क्या और कैसे रिश्ता बनता है। अनेक श्रमशील जातियाँ अलग तरह की शब्दावली का प्रयोग करती हैं। उदाहरण के लिए मुसहर जाति जो प्रायः खेतिहर समाज में हलवाही (खेत जोतने का काम) का काम करती रही, कृषि जीवन की स्मृतियों को सहेजने वाली भाषा का प्रयोग करती है। उसी तरह हम लोहार, बढ़ई या अन्य पेशेवर जातियों के सन्दर्भ में भी ऐसी ही भाषाई स्थितियाँ देख सकते हैं। इन समूहों के जो बच्चे–बच्चियाँ स्कूली

परिसर में दाखिल होते हैं, उनकी शबदावली और भाषा प्रयोग की विशेषताओं और स्कूल की भाषा के बीच रिश्ता बनाकर ही, अध्ययन की दिशा तय की जा सकती है। इसके लिए आपको निम्नलिखित कार्यों को करने के साथ–साथ उनपर गहन विचार करना होगा।

कार्यकलापः

- मुसहर या अन्य पेशेवर जाति की भाषा के शब्द समूहों को ध्यान में रखते हुए एक लघुनाटक या प्रहसन की रचना कीजिए जिसमें हिंदी और उस भाषा में आवाजाही की प्रक्रिया हो।
- उन गीतों/लोककथाओं का संकलन कीजिए जो मुसहर, बढई या लोहारी जीवन से संबंधित हो। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका मंचन कीजिए।
- गणित, विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियों, जैसे–ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, गुणनफल, प्रत्यास्थता, विकिरण आदि के लिए व्यवहार में लायी जाने वाली उन शब्दावलियों का संग्रह कीजिए जो इन समूहों में व्यवहार में लायी जाती हैं द्य आप उनकी मदद से अपने अध्यापन में कैसा बदलाव ला सकते/सकती हैं?

2.8 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

हमने जाना कि

- बहुभाषिकता भारतीय समाज का स्वाभाव है।
- किसी भी रूप में (व्यक्तिगत या सामाजिक), बहुभाषी होना कोई समस्या नहीं है बल्कि यह हमारे लिए एक संसाधान का काम करता है। इससे हमारी सांस्कृतिक संपन्नता झलकती है।
- एक से अधिक भाषाओं को बरतने वाले लोगों की भाषायी क्षमता निःसन्देह उत्कृष्ट होती ही है, साथ ही समाज के प्रति उनका नज़रिया भी स्पष्ट और उदार होता है।

- भाषाओं के बीच आवाजाही की भरपूर गुंजाइश उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करती है।
- भारत में विभिन्न भाषा परिवारों से संबंधित भाषाएं बोली जाती है।
- संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है।
- संविधान में अंग्रेजी को सह–राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
- त्रिभाषा सूत्र एक रणनीति है जो अनेक भाषाएं सीखने का मार्ग प्रशस्त करती है।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई–संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब–रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।

2.9 प्रदत्त कार्य

1. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में अभिव्यक्त बहुभाषिकता के बारे में बताइए।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची को बनाने का क्या औचित्य था? अब इसमें कितनी भाषाएं है? नाम बताइए।
3. बहुभाशिकता समस्या है या भाषायी समृद्धि? चर्चा करें।
4. आई सी टी कार्य के अंतर्गत : बिहार की अलग–अलग भाषाओं के तीन–चार बच्चों की विभिन्न स्थितियों में वीडियो बनाना और उन्हें सेंटर पर दिखाना। विशलेषण करवाना कि उनके पास भाषा की पूंजी है।

इकाई **3**

बच्चे और भाषा

3.2 उद्देश्य

3.3 पूर्व अनुभव

3.4. बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता और भाषायी ज्ञान की समझ

3.5 बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?

- 3.5.1 भाषा सीखना : बी.एफ.स्किनर
- 3.5.2 भाषा सीखना : नोम चॉम्स्की
- 3.5.3 भाषा सीखना : जीन पियाजे
- 3.5.4 भाषा सीखना : वाइगोत्स्की

3.6 भाषा अर्जित करना और भाषा सीखना

3.7 समेकन तथा सीखने–सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

3.8 प्रदत्त कार्य

3.1 परिचय

आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। उनमें यह दक्षता स्कूल में दाखिला लेने से पहले ही मौजूद होती है। इस बात के अनेक प्रमाण आपको बच्चों के साथ बातचीत करते हुए मिल जाएँगे। इस इकाई में बच्चों की बातचीत अथवा उनके भाषा–प्रयोग के विभिन्न उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और वे विद्यालय जाने से पहले ही भाषायी पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? क्या बड़ों का अनुकरण करते हुए भाषा सीखी जाती है अथवा भाषा संकाय के द्वारा? भाषा सीखने में समाज की क्या भूमिका होती है? इन्हीं मुद्दों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने का प्रयास किया गया है। साथ ही यह देखने–समझने का भी प्रयास किया गया है कि भाषा सीखा और भाषा अर्जित करने में वास्तव में कोई अंतर है और मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएँ कैसे सीखी जाती हैं।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- बच्चों की भाषायी क्षमता के बारे में गहराई से समझ सकेंगे।
- विद्यालय–पूर्व बच्चों की भाषायी पूंजी का विश्लेषण कर सकेंगे।
- भाषा सीखने में परिवार, समाज, हमउम्र साथियों और संचार माध्यमों की भूमिका को समझ सकेंगे।
- बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रियाओं से परिचित हो सकेंगे।
- बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं – इस संदर्भ में विभिन्न विचारधाराओं की समीक्षात्मक समझ बना सकेंगे।
- भाषा अर्जित करना और भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- अपनी कक्षा के बच्चों की भाषायी क्षमताओं का विश्लेषण करते हुए उनका शिक्षाशास्त्रीय उपयोग कर सकेंगे।

3.3 पूर्व अनुभव

हम सभी अपने जीवन में विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे वह अपने परिवार में विभिन्न सदस्यों के साथ बातचीत का मामला हो या बाजार से सामान खरीदने का मामला हो या फिर सिनेमा का लुत्फ उठाना हो। हमारे चारों ओर भाषा का व्यवहार होता रहता है। इतना ही नहीं हम अलग–अलग स्थितियों में अलग–अलग तरह की और अलग–अलग तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। घर में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं तो विद्यालय में भोजपुरी के साथ–साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं तो, किसी सभा, बैठक आदि में अंग्रेजी का प्रयोग भी करने लगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम भाषा के सहारे जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का प्रयास करते हैं। बच्चे भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का विविधतापूर्ण प्रयोग करते हैं। अपनी माँ से किसी चीज को लेने के लिए बच्चे अलग तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें एक प्रकार की जिद या नखरा भी शामिल हो सकता है तो विद्यालय में शिक्षक के सामने अपनी बात कहते समय भाषा के किसी अलग रूप का प्रयोग करते हैं जिसमें औपचारिकता का पुट होने की संभावना रहती है।

मनन 1

दी गई स्थितियों में आप किस प्रकार से संवाद करेंगे?

1. अपने मित्र के साथ चाय पीते समय

....

....

....

2. अपनी कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर हिदायतें देते हुए

....

....

....

3. जल संकट के बारे में विमर्श करने के लिए विषय–विशेषज्ञों के साथ चर्चा

....

....

....

इन सभी स्थितियों में आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसमें निश्चित रूप से थोड़ा–ज़्यादा अंतर होगा। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए आप कई बार कुछ वाक्यों को अधूरा छोड़ सकते हैं और अपनी बात को सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए हाव–भाव का अथवा किसी खास तरह के अनुतान का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि कक्षा के बच्चों को हिदायतें देते हुए आपकी भाषा में वाक्य पूरे होंगे और एक खास तरह की आदात्मकता हो सकती है। तीसरी स्थिति में संभव है कि आप बेहद औपचारिक भाषा का प्रयोग करें। इस तरह स्पष्ट होता है कि हम सभी भिन्न स्थितियों में अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। सवाल उठता है कि क्या हमें यह भिन्न भाषा–प्रयोग सीखना पड़ता है या आ जाता है। हमें यह सीखने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि हम स्वयं ही सीख जाते हैं।

3.4 बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता और भाषायी ज्ञान की समझ

हमारी भाषा की कक्षाओं में जिस तरह बच्चों के भाषा–विकास के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है वह इस ओर संकेत करती है कि हम बच्चों की भाषायी क्षमता के बारे में ठीक–ठीक आकलन नहीं कर पा रहे। एक बच्चा अपने छोटे भाई को बहलाकर उससे कोई चीज हासिल कर लेता है तो भाषा के सहारे! वह भी कुछ इस तरह – 'अरे, देखो ये तो खराब है अरे, इसमें तो मिट्टी लगी है लाओ धोकर लाता हूं।' ऐसे अनेक उदाहरण हमें अपने आस–पास देखने को मिल जाएँगे। आइए, 4–5 साल के बच्चों की उन भाषायी क्षमताओं को समझने का प्रयास करें जो उनके पास विद्यालय जाने से पहले ही सहज रूप में होती हैं। एक ही बातचीत को दो अलग भाषाओं में दिया गया है। उन्हें पढ़िए –

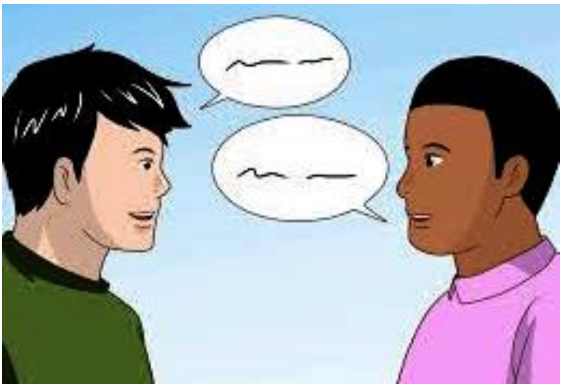

मनन 2

भोजपुरी भाषा में बातचीत

खसाना – कहवाँ जा तारऽ नौशाद?
नौशाद – तरकारी कीने। तू कहवाँ जा तारू?
खसाना – घरे जात बानी। तहरा घरे के लोग के का हाल–चाल बा?
नौशाद – सभे अच्छा बा। तू जवन झोरा ले ले बाड़ू उ एकदम करिया कुच–कुच बा। कहाँ से किनले बाड़ू?

खसाना – भइया, परदेस से भेजले रहलन। आज इस्कूल जइबऽ? हमरा कलास के कुल्ह लइका–लइकी जइहें।
नौशाद – ना, काल्ह गइल रहनी तऽ माट साहेब से छुट्टी माँग लेहनी। आज ना जायेब।

अब कुछ संवादों का विश्लेषण करते हुए बच्चों की भाषायी क्षमता और उनके भाषायी ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं।

हमें यह मालूम होना चाहिए कि सभी बच्चे तीन साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं – जिसमें सामाजिक सह–संबंधों के जरूरी हिस्से भी शामिल होते हैं अर्थात् (केवल भाषिक ही नहीं बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं।) एक तीन साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो।

भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र,एन.सी.ई.आर.टी.,2009:1

पहले वाक्य में नौशाद (पुल्लिंग) के लिए 'तार ऽ' (रहे हो) का प्रयोग किया गया है जबकिरूरूखसाना (स्त्रीलिंग) के लिए 'तारू' (रही हो) का प्रयोग किया गया है। यह भाषा–प्रयोग बच्चे की इस योग्यता की ओर संकेत करता है कि वह लिंग के अनुसार क्रिया के सही रूप का प्रयोग कर सकता है।

इसी प्रकार वे काल के संदर्भ में खासे चौकन्ने होते हैं। उदाहरण के लिए वे भविष्यत काल और भूतकाल का सटीक प्रयोग कर सकते हैं –

कीने – खरीदने (के लिए–भविष्यत काल)
किनले – खरीदा (भूतकाल)

इतना ही नहीं वे भाषायी व्याकरण की अन्य व्यवस्थाओं से भी परिचित होते हैं, जैसे – उनमें विशेषण के सही प्रयोग की समझ होती है। एक उदाहरण देखिए –

'जवन झोरा ले ले बाड़ू उ एकदम करिया कुच–कुच बा।'

बच्चे यह जानते हैं कि गाढ़े काले रंग के लिए 'करिया कुच–कुच' का प्रयोग होगा। भोजपुरी भाषा में अलग–अलग रंगों के लिए अलग–अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे भोजपुरी भाषा की इस व्यवस्था से भी परिचित हैं। उदाहरण के लिए –

गाढ़े हरे रंग के लिए – कच–कच हरियर
हल्के हरे रंग के लिए – हरियर कचनार
गाढ़े पीले रंग के लिए – पियर दग–दग
गाढ़े लाल रंग के लिए – लाल टेस
उजले रंग के लिए – उजर धप्प–धप्प

जब यही भोजपुरी भाषी बच्चे विद्यालय में हिंदी पढ़ते हैं तो वे गाढ़े रंगों को बताने के लिए 'खूब', गहरा, 'गाढ़ा' या कभी–कभी 'घोर' शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे–

मुझे गाढ़े काले रंग की पेंसिल चाहिए।
मैंने गहरे लाल रंग की साइकिल देखी।

हिंदी और अन्य समरूप भाषाओं में आदरसूचक स्थिति में प्रायः बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए –

''भइया, परदेस से भेजले रहलन।''

यदि यहां बड़े भाई की जगह छोटे भाई ने झोला भेजा होता तो वाक्य में क्रिया–रूप यह होता – 'भेजले रहे' (भेजा था)। यह प्रयोग उम्र और रिश्ते में अपने से छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है। सभी भोजपुरी क्षेत्रों में यह परंपरा है कि यदि व्यक्ति उम्र में छोटा है लेकिन रिश्ते में वह बड़ा है तो उनके लिए आदरसूचक शब्दों का ही प्रयोग होगा। इस स्थिति में 'भेजले रहे' के स्थान पर 'भेजले रहनि' का प्रयोग होगा।

इसी तरह अनेक लड़के–लड़कियों यानी बहुवचन के लिए 'जइहें' क्रिया का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है कि वचन के अनुसार क्रिया का रूप भी बदला –

'हमरा कलास के कुल्ह लइका–लइकी जइहें।'

विद्यालय आने से पहले बच्चे सर्वनाम का भी उचित प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, जैसे –

''**तू** कहवां जा तारू?''

''तहरा घर के लोग के का हाल–चाल बा?''
''हमरा कलास के कुल्ह लइका–लइकी जइहें।''

इसके अतिरिक्त बच्चों के पास वाक्य–निर्माण की भी क्षमता होती है। वे संदर्भ के अनुसार अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक संप्रेषित करने के लिए उचित वाक्यों का निर्माण भी कर लेते हैं। उनके वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया की स्थिति व्याकरण सम्मत रूप में होती है, जैसे–

तू कहवाँ जा तारू? –तुम कहाँ जा रही हो? (कर्ता–र्म–क्रया)
तरकारी कीने –ब्ज़ी खरीदने। (कर्म–क्रया)

इन सभी उदाहरणों के द्वारा यह पता चलता है कि यदि बच्चों को उचित भाि षक परिवेश मिले तो वे भाषा–प्रयोग की विभिन्न जटिलताओं को सहजता के साथ आत्मसात कर लेते हैं।

आइए, अब उसी बातचीत को हिंदी भाषा में पढ़ते हैं –

मनन 3

हिंदी भाषा में

खसाना – कहाँ जा रहे हो नौशाद?
नौशाद – सब्ज़ी खरीदने। तुम कहाँ जा रही हो?
खसाना – घर जा रही हूँ। तुम्हारे घर के लोगों का क्या हाल–चाल है?
नौशाद – सभी लोग ठीक हैं। तुमने जो झोला लिया है वह गाढ़ा काला है। कहाँ से खरीदा है?
खसाना – परदेस से भैया ने भेजा है। आज स्कूल जाओगे? मेरी क्लास के सभी लड़के–लड़कियां जाएँगी।
नौशाद – नहीं, कल गए तो मास्टर साहब से छुट्टी माँग ली थी। आज नहीं जाएँगे।

इस उदाहरण में भी बच्चों की भाषायी क्षमता दिखाई देती है। बच्चे वचन और लिंग के अनुरूप क्रिया शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, जैसे–

''कहाँ जा रहे हो नौशाद? (एकवचन पुल्लिंग)
''तुम कहां जा रही हो?'' (एकवचन स्त्रीलिंग)

हलाँकि 'रहे' क्रिया का प्रयोग बहुवचन अथवा आदरसूचक स्थिति (पुल्लिंग) के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए –

वे सभी लोग जा रहे हैं। (बहुवचन पुल्लिंग)
आप जा रहे हैं क्या? (आदरसूचक पुल्लिंग)

इसी प्रकार 'रही' क्रिया का प्रयोग बहुवचन अथवा आदरसूचक स्थिति (स्त्रीलिंग) के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए –

वे सभी लड़कियाँ जा रही हैं। (बहुवचन स्त्रीलिंग)
आप जा रही हैं क्या? (आदरसूचक स्त्रीलिंग)

आपने बच्चों की बातचीत में ध्यान दिया होगा कि वे संदर्भ के अनुरूप सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे–

तुम्हारे घर के लोगों का क्या हाल–चाल है?
तुमने जो झोला लिया है वह गाढ़ा काला है।

सर्वनाम की जटिल व्यवस्था को बच्चे स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते हैं। मध्यम पुरूष सर्वनाम (तुम) के विभिन्न रूपों – तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमने, तुझसे, तेरा, तेरी आदि में से किस स्थिति में कौन–सा रूप प्रयोग में लाया जाएगा– यह बच्चे बखूबी जानते हैं।

मनन 4

1. 4–5 साल के बच्चों की बातचीत को ध्यान से सुनकर यहाँ लिखिए।

....

....

....

2. अब इस बातचीत का विश्लेषण करते हुए बताइए कि बच्चे भाषा की किन जटिल व्यवस्थाओं का बखूबी प्रयोग कर सकते हैं।

....

....

....

बच्चों के साथ की जाने वाली बातचीत को यदि रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसका गहन विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि बच्चों में भाषा सीखने की असीम संभावनाएँ होती हैं। वे अपने परिवेश की भाषा को सहज रूप से आत्मसात कर उसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन (2006:46) बच्चों की भाषायी क्षमता के बारे में कहते हैं कि

'प्रत्येक बच्चा उस भाषा को जिस परिवेश में वह बड़ा होता, विश्लेषित करता है और उसकी आंतरिक गुप्त (लेटेंट) संरचना निकाल लेता है। यह गुप्त संरचना इतनी सामान्य होती है कि वह बच्चा आजीवन इसका प्रयोग भी करता है। यह अर्थीय और वाक्यीय दोनों प्रकार की होती है। भाषा अधिगम में गुप्त संरचना की खोज सबसे महत्वपूर्ण और अबोधगम्य प्रक्रिया है। बच्चा जिस तंत्र का उपयोग करता है उसकी व्याख्या करना, उसका विवरण देना, उसका व्याकरण लिखना होगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, यह युवाओं को भी परेशान करने वाली प्रक्रिया है। हम जिस प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप बच्चा यह तो जानता है कि शब्दों के साथ कैसे खेला जाए, खिलवाड़ किया जाए, पर यह (हम सब भी प्रायः यह नहीं जानते) वही जानता है 'वह क्या कर रहा है?' जब वह लोगों को बातचीत करते सुनता है तो वह जो कुछ भी सुनता है निश्चित तौर पर उससे कुछ अधिक ग्रहण करता है। वह उच्चारणों/अभिव्यक्तियों (अट्रांसिज) के सामान्य रूपों (फार्म्स) को ऐसे रूप में ग्रहण करता है कि क्या किस शब्द के पहले और क्या बाद में आता है, अर्थात शब्द कोटियों की परस्पर व्यवस्था कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है और साथ ही वे भाषा की व्याकरणिक कोटियों का सचेत ज्ञान (व्याकरणिक ज्ञान) न होते हुए भी संदर्भ के अनुसार भाषा का सार्थक प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं।

आइए, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इस बात को और गहराई से समझने तथा पुख्ता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के पास भाषा सीखने की अंतर्जात क्षमता होती है।

नीचे दिए गए शब्दों को बोल–बोलकर पढ़िए –

सबक इसका बस्ता बस

क्या तीनों शब्दों में 'स' की ध्वनि समान है? नहीं। 'सबक' का 'स', 'इसका' के 'स' और 'बस' के 'स' अलग ध्वनि देता है। पहले शब्द का 'स' स्वर सहित है यानी उसमें 'अ' की ध्वनि शामिल है। दूसरे और तीसरे शब्द के 'स' में 'अ' को हम नहीं बोलते जबकि वह स्वर सहित लिखा जा रहा है। तीसरे शब्द का 'स्' स्वर रहित लिखा भी जा रहा है और बोला भी। जब 'इसका' के 'स' को हम स्वर रहित बोल रहे हैं तो लिख क्यों नहीं रहे और जब वह स्वर सहित लिखा जा रहा है तो बोला क्यों नहीं जा रहा? दरअसल 'इसका' शब्द में 'स' के बाद 'का' अक्षर है जिसमें दीर्घ स्वर है जो अपने से पहले वाले अक्षर के उच्चारण को प्रभावित कर रहा है। चौथे शब्द में 'स' अंतिम स्थान पर है और अंतिम स्थान पर आने वाले 'अ' स्वर का लोप हो जाता है, यह अंत्य लोप की स्थिति है।

इतना ही नहीं यदि शब्दों की ध्वनि–संरचना भी देखें तो उसमें भी एक प्रकार की व्यवस्था नजर आती है। उदाहरण के लिए 'सबक' शब्द देखिए–

स्+अ+ब्+अ+क्+अ

'सबक' की ध्वनि–संरचना 'व्यंजन–स्वर–व्यंजन–स्वर' है। ऐसे अनेक शब्द देखे जा सकते हैं जिनमें हमें यही संरचना मिलेगी। जब बच्चे 'सबक', इसका, बस्ता और बस' बोलते हैं तो उनके बोलने में भी अंतर करते हैं यानी वे 'स, ब, त, इ, क' ध्वनियों को एक–दूसरे से अलग कर पाने की क्षमता भी रखते हैं। सोचने वाली बात है, कि बच्चे इतनी गहरी बात कैसे पकड़ लेते हैं?

मनन 5

अपनी भाषा के कोई दस ऐसे शब्द लिखिए जिनमें 'व्यंजन–स्वर–व्यंजन–स्वर' की ध्वनि–संरचना है। उनकी संरचना को स्पष्ट भी कीजिए –

....

....

....

....

....

....

बच्चों की ध्वनि–व्यवस्था संबंधी क्षमता के संदर्भ में रमाकांत अग्निहोत्री (1999:07) स्पष्ट करते हैं कि चार वर्ष की आयु का बच्चा भाषागत दृष्टि से वयस्क ही होता है। ध्वनि–संरचना का जटिल संसार बच्चा स्वयं बिना किसी की मदद के सुलझा लेता है। यही नहीं हर बच्चा जानता है कि उसकी भाषा की ध्वनियां कैसे बोली जाएँगी अपितु यह भी कि ये ध्वनियां किस क्रम में आ सकती हैं और किस क्रम में नहीं। ये सब नियम बच्चे के दिमाग में सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध रहते हैं। बच्चा सार्थक शब्द ही बोलता है, यदा–कदा नए–नए शब्द बनाता भी है तो वे ध्वनि–संरचना के नियमों का उल्लंघन नहीं करते।

भिन्न भाषाओं के संदर्भ में दिए गए उदाहरण के अलग–अलग रूप भी यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों में स्कूल जाने के पहले ही भाषायी व्याकरण की व्यावहारिक समझ होती है। यदि बच्चों को अधिकाधिक भाषा–प्रयोग के अवसर दिए जाएँ और उनकी भाषायी क्षमता में विश्वास रखा जाए तो उनके भाषायी प्रयोग को समृद्ध बनाया जा सकता है।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

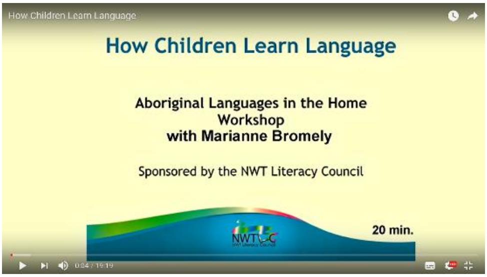

https://www.youtube.com/watch?v=Q6pzlu5xpAA

3.5 बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?

यह सोचने वाली बात है कि 3–4 साल के बच्चे भाषा–प्रयोग के मामले में एक वयस्क की तरह होते हैं। वे जीवन की विभिन्न स्थितियों में अनेक प्रकार की संरचनाओं से युक्त भाषा का सहजता के साथ प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा व्याकरण सम्मत होती है यानी उनकी भाषा में एक नियमबद्ध व्यवस्था नजर आती है। चाहे वह बज्जिका हो या मैथिली या फिर हिंदी। ऐसा कौन–सा औजार है जिसके सहारे वे भाषा का सही–सही प्रयोग कर लेते हैं। उन्हें भाषा की संरचना सीखनी नहीं पड़ती और न ही उन्हें कोई भाषा सिखाता है, न ही सिखा सकता है।

फिर यह कैसे संभव है कि बच्चे अपनी बात कहने और दूसरों की बातें सुनने –समझने की क्षमता रखते हैं। दरअसल भाषा अर्जित करने के संदर्भ में अनेक विचार हैं जो अपने–अपने नजरिए से बच्चों द्वारा भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। सामान्यतः सीखने के संदर्भ में तीन बिंदुओं को समझना बेहद जरूरी है। हमारे सीखने में प्रकृति, समाज और व्यक्ति की महती भूमिका होती है। हम अपने आस–पास की चीजों को देखते–समझते हैं और उनकी छवि अथवा संकल्पना का निर्माण करते हैं। गाय, पेड़, सूरज, चाँद, आसमान, नदी आदि की संकल्पनाओं के निर्माण के लिए प्रकृति के संपर्क में आना जरूरी है। समाज के संपर्क में आने पर माँ, नाना, रोटी, बस्ता, किताब आदि की अवधारणाओं का निर्माण होता है। समाज चीजों को एक खास ध्वनि अथवा नाम देने का काम करता है। यही कारण है कि 'कुत्ता' के लिए राजस्थान के एक भाषा समुदाय में 'गंडकलो' शब्द प्रचलित है तो किसी अन्य भाषा समाज में उसी के लिए 'डॉग', 'कुत्ता', 'कूकर' आदि शब्द प्रचलित हैं। इसका एक निहितार्थ यह भी है कि भाषा सीखने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक और मत के अनुसार भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता ही वह आधार है जिसके सहारे बच्चा विविध भाषा–प्रयोग करता है। इसके विपरीत एक विचारधारा अनुकरण को भाषा सीखने का एकमात्र आधार स्वीकार करती है।

आइए, एक–एक करके इन परिप्रेक्ष्यों को समझने की कोशिश करते हैं।

3.5.1 भाषा सीखना : बी. एफ. स्किनर

पैवलॉव, स्किनर आदि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हैं। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन–प्रतिक्रिया–पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए अथवा प्रतिक्रिया करने के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य है और जब बच्चे को उस प्रतिक्रिया पर किसी प्रकार का पुनर्बलन प्राप्त होता है तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। इसका सीधा–सा तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रक्रिया का मूल वातावरण में कहीं निहित है। इस व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए भाषा सीखते हैं। मान लीजिए बच्चे ने शब्द सुने–पापा, चाचा, पानी, ये, चाहिए, रोटी, गाय आदि। बच्चा इन शब्दों को सुनकर उनका अनुकरण करेगा और इन्हीं शब्दों को दोहरा देगा। जब बच्चे को इन शब्दों के दोहराने पर सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होगा तो उनकी भाषा पुष्ट होती चली जाएगी। अब सवाल उठता है कि यदि केवल अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखी जाती है तो बच्चे उतने ही शब्द या वाक्य बोलेंगे जितने उसने अपने परिवेश में सुने। लेकिन आपके, हमारे, सभी के अनुभव बताते हैं कि बच्चे जितना और

जिसे तरह की भाषा सुनते हैं उससे अधिक और अलग प्रकार की भाषा प्रयोग करने की क्षमता बच्चों में होती है। इस व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के विपक्ष में मुख्यतः दो तर्क हैं। एक, यदि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती तो बच्चे उतनी ही भाषिक संरचनाओं का प्रयोग करते जो उनके वयस्क बोलते हैं। मान लीजिए बच्चा अपने परिवेश में आठ वाक्य सुनता है तो वह केवल आठ वाक्यों का ही प्रयोग करेगा। इस तरह तो उसे सभी तरह की भाषिक संरचनाओं को सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा, बच्चे भाषा का सृजनात्मक प्रयोग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हुए भाषा के शब्दों के साथ खेलते हैं, उन्हें तोड़ते–मरोड़ते हैं और नए–नए शब्द बनाते हैं। यदि भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती तो भाषा की परिवर्तनशीलता और समृद्धि पर भी प्रश्न–चिह्न लगता।

3.5.2 भाषा सीखना : नोम चॉम्स्की

चॉम्स्की बच्चों के भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता में विश्वास रखते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि बच्चे इसी क्षमता के सहारे अपने परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं और विभिन्न भाषिक संरचनाओं को आत्मसात करते हुए नए–नए वाक्य बनाते हैं। पियाजे, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की इसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी उनके मतों में थोड़ा–बहुत अंतर देखने को मिलता है। ‘भाषा केवल अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती। सीमित वाक्य सुनकर असीमित वाक्यों को बोलना ‘भाषिक अर्जन क्षमता’ ;स्ंदहनंहम ।बुनपेजपवद क्मअपबमद्ध द्वारा संभव है। प्रत्येक बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। या यूँ कहें कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसी क्षमता के सहारे बच्चा रोज नए–नए भाषिक प्रयोग करता है। इस तरीके से भाषा सीखने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है –

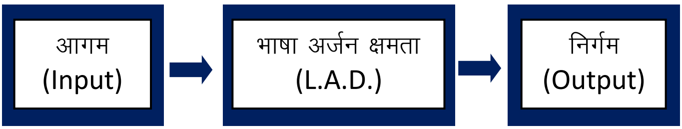

बच्चा अपने परिवेश में जो भाषा और जिस तरह की भाषा सुनता है उसे अपनी भाषिक क्षमता के सहारे विश्लेषित करता है। समाज से प्राप्त भाषिक आँकड़ों के आधार पर अपने कुछ नियम बनाता है। जिसे चॉम्स्की 'लघु व्याकरण' कहते हैं। इस 'लघु व्याकरण' में बच्चे के अपने नियम होते हैं जिसे वह सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। इन्हीं नियमों के आधार पर वह भाषा का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए बच्चा निम्नलिखित वाक्य सुनता है–

- रोहित केला खाता है।
- नदीम केला खाता है।
- शोभा केला खाती है।
- नीना केला खाती है।

इन वाक्यों के आधार पर वह सामान्यीकरण करते हुए नियम बनाता है कि लड़कों (पुल्लिंग) के लिए 'आ' से समाप्त होने वाला शब्द (क्रिया) आएगा जबकि लड़कियों (स्त्रीलिंग) के लिए 'ई' से समाप्त होने वाले शब्दों (क्रिया) का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह वह अपनी भाषा में लिंग–भेद करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जिन भाषाओं में लिंग–व्यवस्था (स्त्रीलिंग–पुल्लिंग) नहीं होती वे बच्चे हिंदी भाषा के प्रयोग के समय लिंग–भेद नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा बोली में वह व्यवस्था सुनी ही नहीं। तमिल, बंगला ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें क्रिया शब्दों में लिंग–भेद नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे के इस 'लघु व्याकरण' का विस्तार होता है कि नहीं। हाँ, बच्चा अपने भाषिक आँकड़ों के आधार पर 'लघु व्याकरण' का विस्तार करता है, नियम बनाता है। कभी–कभी भिन्न परिस्थिति में सुने गए भाषिक आँकड़ों के आधार पर पहले से बने नियमों में परिवर्तन भी करता है।' ;उषा शर्मा, 2012 35–36द्ध। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बच्चे में भाषा सीखने की अनंत संभावनाएँ है, जरूरत है उन्हें समुचित भाषायी परिवेश देने की।

मनन 6

नीचे दिए गए भाषा–प्रयोगों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनके आधार पर बच्चे किन भाषायी संरचनाओं/'लघु व्याकरण' का निर्माण कर सकेंगे –

1. Hari goes to the market.
2. Swati goes to the market.
3. I go the market.

4. We go to the market.
5. सोनी चिट्ठी न लिखलकई।
6. मनोज चिट्ठी न लिखलकई।
7. उ सब चिट्ठी न लिखलकई।
8. हम चिट्ठी न लिखली।
9. हम सब चिट्ठी न लिखली।
10. तू चिट्ठी न लिखले।

भाषा के संदर्भ में चॉम्स्की की सबसे बुनियादी मान्यता यह है कि भाषा का विकास अनुभवों का परिणाम नहीं है। उनके अनुसार भाषा के विकास के लिए वातावरण उद्धीपन का काम करता है लेकिन इसका विकास वातावरण के कारण नहीं होता। वे भाषा को आँख, कान, नाक आदि की तरह ही शरीर का अंग मानते हैं जो मानव जाति की विशेषता है। मस्तिष्क का एक भाग भाषा के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे शरीर का एक भाग, आँख, देखने के काम हेतु समर्पित है। जिस प्रकार वस्तुओं या घटनाओं के होने मात्र से आँख विकसित नहीं हो जाती उसी प्रकार वस्तुओं आदि के होने से भाषा का विकास नहीं हो जाता। अनुभव भाषा के विकास में वही काम करते हैं जो भोजन देखने की क्षमता के विकास में करता है। जैसे आँख जन्मजात है, वैसे ही भाषा भी जन्मजात होती है। इस बात को समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि ''यदि भाषा जन्मजात नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी पोती, पत्थर, और खरगोश में कोई अन्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि आप पत्थर, खरगोश तथा मेरी पोती को अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच छोड़ दे तो वे सभी अंग्रेजी सीख जाएँगे।'' (चॉम्स्की, 2000.50)। अगर भाषा वातावरण के कारण संभव होती है तो पत्थर और खरगोश भी भाषा सीख जाएँगे। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा को यांत्रिक ;डमबींदपबंसद्ध तरीके से नहीं समझा जा सकता। व्यवहारवादियों ने भाषा की यांत्रिक व्याख्या की। उन्होंने भाषा को उद्दीपन–प्रतिक्रिया के रूप में समझा। यानि एक वस्तु या घटना के लिए विशेष प्रतिक्रिया। चॉम्स्की का कहना है कि वे एक वस्तु या घटना के लिए अनेक वाक्यों की रचना कर सकते हैं। इसलिए भाषा को उद्दीपन–अनुक्रिया के रूप में समझना गलत है। वे मानते हैं कोई भी व्यक्ति, आनुवांशिक तौर पर किसी विशेष भाषा को सीखने के लिए नहीं बना है। जिस व्यक्ति को जो समुदाय मिलता है वह उसकी भाषा सीख जाता है। यदि किसी अंग्रेजी भाषी का जन्म जापानी बोलने वालों के बीच होता तो वह जापानी भाषी होता।'(बिहार द्वारा विकसित डी.एड. सामग्री से साभार, 2013)

3.5.3 भाषा सीखना : जीन पियाजे

जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक की तरह भाषा सीखने को व्याख्यायित करते हैं। उनका मानना है कि मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका नहीं होती। विकास का कारण है – जीव और वातावरण के बीच अन्तःक्रिया। इसका एक निहितार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है। जैसे–जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है अथवा वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वैसे–वैसे उसकी मानसिक संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव आता है। पियाजे के अनुसार सीखने के संदर्भ में आत्मसातीकरण (Assimilation) और समायोजन (Accommadation) की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। वहां वह एक गाय देखता है और उसकी माँ उस गाय की ओर संकेत कर कहती है–देखो, गाय आ गई। बच्चा गाय की 'छवि' को उसके नाम के (ध्वनि/आवाज) संयोजित कर लेता है। यानी बच्चे की बौद्धिक संरचना में 'गाय' की छवि और ध्वनि अपना स्थान ले लेती है। पियाजे के अनुसार यह छवि 'स्कीमा' (Schema) कहलाती है। बच्चा अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर उसे आत्मसात (Assimilate) करता है। अब बच्चा कुत्ता, बैल, बिल्ली आदि देखता है और उसे 'गाय' कहकर संबोधित करता है। यह सामान्यीकरण की प्रवृत्ति है। बच्चे ने गाय और शेष जानवरों में संभवतः पैरों के आधार पर सामान्यीकरण किया। लेकिन जब अलग–अलग समय पर बच्चे के समक्ष उन जानवरों को अलग–अलग नाम से पुकारा जाता है तो बच्चा पूर्व में बनाई गई 'छवि' में परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन के आधार पर वह गाय, कुत्ता, बैल, बिल्ली आदि जानवरों में भेद करना सीखता है और उनके साथ क्रमशः उनके नामों (ध्वनियों/शब्दों) को जोड़ता है। इतना ही नहीं वह धीरे–धीरे समय के बढ़ते क्रम में अलग–अलग तरह की गायों (सफेद, काली, भूरी, चितकबरी आदि) में भी अंतर करने लगता है और उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है। यह समायोजन (Accomodation) की स्थिति है।

मनन 7

अलग–अलग आयु वर्ग के बच्चों के भाषा–प्रयोगों के आंकड़े एकत्र कीजिए और बताइए कि उनमें किस प्रकार का संरचनागत अंतर आता है।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

पियाजे के संदर्भ में 'यह स्वीकार किया गया है कि 'दो साल की उम्र से बच्चे की बौद्धिक संरचना में 'सांकेतिक कार्य' (Symbolic function) के कारण महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने लगता है। बच्चा मानसिक छवियाँ तथा सांकेतिक भंगिमा (Symbolic gesture) बनाने के साथ–साथ भाषा का उपयेाग करना सीखने लगता है। 'सांकेतिक कार्य' मानसिक छवियाँ बनाने, खेलने, ड्राइंग बनाने तथा भाषा का उपयोग करने में प्रकट होते है। इस उम्र से पहले भी बच्चा शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन शब्दों को संकेत के रूप में उपयोग करने संबंधी 'स्कीमा' का विकास दो साल की उम्र से शुरू होता है। इस उम्र में वह ऐसे वाक्य बनाने लगता है जिनमें एक से ज्यादा शब्दों का उपयोग होता है। वह व्याकरणिक नियमों को भी समझने लगता है। अब बच्चा इंद्रिय क्रियाओं से भी तेज क्रिया कर सकता है। वह तात्कालिक घटनाओं से परे जाकर उन पर बात कर सकता है। व्यवहार करने के लिए उसे वातावरण के तात्कालिक पक्ष तक सीमित नहीं रहना पड़ता। भाषा की वजह से उसके दिक् तथा काल (Time and space) की सीमाओं का विस्तार होता है। अब उसके पास ऐसे 'स्कीमाज' होते हैं उसे जो इस समय तथा इस स्थान पर मौजूद घटनाओं के साथ–साथ अन्य समय में घटी–घटनाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करने में भी सक्षम बनाते हैं। भाषा का उपयोग सामाजिक जीवन को विस्तार देने तथा उसके प्रतीकीकरण हेतु किया जाने लगता है। भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे का विश्वास है कि विकास की औपचारिक अवस्था (Formal Stage) से पहले तक भाषा का स्वतंत्र उपयोग नहीं होता। इससे पहले तक भाषा तमाम सांकेतिक कार्यों (Symbolic functions) के साथ मिलकर काम करती है। इस अवस्था से पहले क्रियाओं के कारण भाषा का विकास होता है। जब बच्चा वस्तुओं तथा घटनाओं का रूपांतरण करके उन्हें आत्मसात (Assimilate) किए जा सकने वाले रूप में ढालता है तो इस प्रक्रिया में उसकी भाषा विकसित होती है। (मेकनैली : 141)। इस

ढालने की प्रक्रिया को पियाजे "Operative Knowing" कहते हैं। (वही. 66)। इस प्रक्रिया में ''स्कीमाज'' बनते बिगड़ते हैं। जिनकी वजह से भाषा का विकास होता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक–संरचनाओं के बनने के लिए आत्मसातीकरण तथा समायोजन की संकल्पनाओं के सक्रिय होने के कारण भाषा का विकास होता है।'

(बिहार द्वारा विकसित डी.एड. सामग्री से साभार, 2013)

मनन 8

अपने वर्ग के बच्चों के भाषा–प्रयोगों का अवलोकन कीजिए और ऐसे कोई पांच कथन लिखिए जिनमें बच्चे दिक्–काल से परे जाकर बातें करते हैं –

....

....

....

....

....

....

3.5.4 भाषा सीखना : वाइगोत्स्की

भाषा सीखने की प्रक्रिया में समाज की महती भूमिका पर बल देते हुए वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने–अपने समुदाय के संपर्क में आकर भाषा सीखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाषा की ध्वनियों की सार्थकता तभी है जब वह किसी वस्तु विशेष की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए 'जाल' शब्द का अर्थ बच्चा अपने समाज से ग्रहण करता है। किसी भाषा समुदाय में यह 'मकड़ी का जाल' है तो किसी अन्य समुदाय में यह 'मछली पकड़ने वाले जाल' है। इनके अतिरिक्त 'जाल' का एक अन्य अर्थ वह जाल है जो अकसर पुराने घरों में पहले या दूसरे तल पर बनाया जाता था और जो लोहे

योगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है: पहली आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है।

भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र,एन.सी.ई.आर.टी, 2009:8

का होता था। एक ध्वनि समूह 'जाल' को अलग–अलग अर्थ देने वाले अलग–अलग भाषा–समाज/समुदाय हैं। यही कारण है कि एक ही चीज अलग–अलग भाषा–समुदायों में अलग–अलग ध्वनि–समूहों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। इतना ही नहीं अनेक बार शब्दों–वाक्यों का प्रयोग भी समाज द्वारा नियंत्रित होती है यानी समाज भाषा–प्रयोग को नियंत्रित करता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी भिन्न संस्कृति होती है और भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। भाषा को समाज से काटकर न तो देखा जा सकता है और न ही उसे समझा जा सकता है। एक संस्कृति में ष्क्मंत जिीमतष स्वीकार्य है तो वहीं दूसरी ओर 'आदरणीय पिताजी/बाबूजी' ही स्वीकार्य है। बच्चा अपने–अपने समाज में इन विविध भा षा–प्रयोगों को सुनता–समझता है और यह तय करता है कि उसे किस स्थिति में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना होगा।

मनन 9

1. अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हुए अथवा अपने वर्ग के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए पता कीजिए कि ये शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होते है।

1. बैगन – .... 2. भंटा – ....

3. घर – .... 4. डेरा – ....

5. चावल – .... 6. भात – ....

7. सब्जी – .... 8. तरकारी – ....

9. निमंत्रण – .... 10. न्योता – ....

11. कोंहड़ा – .... 12. लौकी – ....

2. यह भी जानने की कोशिश कि रिश्ते–नातों में ऐसे कौन–से भाषा–प्रयोग हैं तो अलग–अलग समुदायों में अलग–अलग है।

....

....

....

आप अपने आस–पास ऐसे अनेक उदाहरण पाएँगे जिनसे यह स्पष्ट होगा कि भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है और अर्थ भी समाज और सामाजिक अंतःक्रिया से ही मिलते हैं। भाषा के संदर्भ में वाइगोत्स्की (2007:40) का विचार है कि 'बच्चों और युवाओं दोनों के लिए भाषा का प्रमुख प्रकार्य संप्रेषण, सामाजिक संपर्क स्थापित करना है। बच्चे की प्रारंभिक भाषा अनिवार्यतः सामाजिक होती है। प्रथमतः यह सार्वभैमिक और बहुप्रकार्यी

होती है। परवर्ती स्थिति में इसके प्रकार्य विभेदीकृत हो जाते हैं। एक निश्चित आयु में बालक की सामाजिक भाषा अहमकेंद्रित और संप्रेषणपरक भाषा के दो फाँकों में स्पष्टतः विभाजित हो जाती है। (पियाजे ने जिसे सामाजिक भाषा कहा है उसे हम संप्रेषणपरक कहना अधिक पसंद काते हैं। सामाजिक कहने पर यह आभास होता है कि यह पहले कुछ और थी। हमारे दृष्टिकोण से संप्रेषणपरक और अहमकेंद्रित दोनों ही रूप प्रकार्य की दृष्टि से अलग होते हुए भी सामाजिक होते हैं)।' समाज से सीखी गई भाषा का उपयोग बच्चा स्वयं से बात करने हेतु कर सकता है। बच्चा अपने लिए भाषा का उपयोग करते समय अधूरे वाक्य बोल सकता है। ''वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया था कि जब कोई बच्चा छह या सात वर्ष की आयु में अपने लिए भााषा' का प्रयोग करना बंद कर देता है तो इसका कारण यह होता है कि भाषा का आंतरिकीकरण है और अब उसका आंतरिक भाषा के रूप में प्रयोग जारी है।'' (ब्रिटन. 1999)। बच्चे की गतिविधियों में 'अपने लिए भाषा' या 'अह्मकेन्द्रित भाषा' महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चाहे वह कोई चित्र बना रहा हो, चीजों को उनकी सही संख्या से मिला रहा हो, ब्लॉक्स को रंगों के अनुसार व्यवस्थित कर रहा हो, खेल में बैलगाड़ी को हाँक रहा हो या किसी अपरिचित वस्तु का सामना कर रहा हो। बच्चा इस 'अह्मकेंन्द्रित भाषा' के सहारे संप्रेषण को सुधारता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा खेल में डॉक्टर बनता है और डॉक्टर जिस सामग्री का प्रयोग करता है, वह भ ी उसका प्रयोग करने का 'अभिनय' करता है और अपनी माँ को झूठ–मूठ एक चम्मच में दवाई पिलाता है। यदि इस कार्य में यह कहते हुए व्यवधान डाला जाए कि तुम सही दवाई नहीं दे रहे हो तो वह अपने क्रियाकलाप पर पुनः सोचना शुरू करेगा। सोचने के इस क्रम में वह बच्चा कह सकता है–नहीं, मैंने तो दवाई वाली शीशी में से ही दवाई दी है/तो मैं दुबारा से दवाई देता हूँ ये लो, मैंने खोली शीशी, अब इसमें से निकाली दवाई, अब मैं चम्मच उठाता हूँ और दवाई देता हूँ। इस प्रकार बच्चे अपने क्रियाकलापों को संयोजित करते हुए भी अपनी भाषा में सुधार करते हैं।

भारतीय भाषाओं का शिक्षण (आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी. 2009:8–9) में भाषा सीखने संबंधी क्षमताओं के संदर्भ में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समेकित करते हुए कहा गया है कि यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र वेफ बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे तीन या चार वर्ष के होते–होते न केवल एक, बल्कि दो या तीन भाषाओं का धीरे–धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है वे अपने भाषिक तंत्रों को अलग रखने की क्षमता तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन साथ ही वे इन्हें मिलाना भी जानते हैं जब वे मिलाने की इच्छा करते हैं। इसमें एक तरफ तो वे व्यवहारवादी हैं जैसे पैवलोव और स्किनर;

उनके अनुसार अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। यह तो चॉम्स्की (1959) की 'रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर' है जिसने व्यवहारवाद की बुनियाद को ही हिला कर रख दिया। चॉम्स्की ने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती। मगर पियाजे (1962, 1983 कई अन्यों में से) इनहेल्डर और पियाजे (1958) और वाइगोत्स्की (1978,1986) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का रास्ता चुना। जहां व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक 'कोरी स्लेट' जैसा था, वहां संज्ञानात्मक रूख रखने वालों (चॉम्स्की आदि) के लिए भाषा मानव–मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भाँति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है।

दूसरी ओर वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ....'

इन सारी चर्चाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता की सहायता से समाज से अंतः क्रिया करते हुए भाषा सीखते हैं। जैसे–जैसे समाज के सदस्यों और परिस्थितियों के साथ बच्चे का संपर्क बढ़ता है, वैसे–वैसे बच्चे की भाषा समृद्ध होती जाती है।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=R7jzcG0Y2rI

3.6 भाषा अर्जित करना और भाषा सीखना

क्या आप बता सकते हैं कि आप जो भाषा बोलते हैं, वह आपने 'सीखी' थी या 'आ गई' थी। इस सवाल का जवाब देना संभवतः इतना कठिन नहीं है। जो भाषाएँ आपके परिवेश में रही होंगी, उन्हें तो आपने ग्रहण या अर्जित किया होगा और जो भाषाएँ आपके परिवेश का हिस्सा नहीं रही होंगी, उन्हें आपने सीखा होगा। वास्तव में भाषा अर्जित करना और भाषा सीखना हमारे भाषा–परिवेश पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि आप छपरा क्षेत्र में रहते हैं और वहीं जन्मे, पले–बढ़े और आपको भोजपुरी भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है तो आपने भोजपुरी भाषा अर्जित की होगी। जब आपने विद्यालय में दाखिला लिया होगा और आपने भोजपुरी भाषा के साथ–साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ी तो वह भाषा सीखने अथवा भाषा अधिगम का उदाहरण है। हां, हिंदी और अंग्रेजी के सीखने में

थोड़ा बहुत अंतर तो रहा होगा। इसका प्रमुख कारण है – भाषा परिवेश। हिंदी तो बाजार, सिनेमा, आस–पड़ोस में सुनाई भी दे जाती होगी लेकिन अंग्रेजी का परिवेश मिलना थोड़ा कठिन रहा होगा। अंग्रेजी के थोड़े बहुत शब्द और वाक्य सुनने को मिल जाते होंगे लेकिन उतने नहीं जितने आप हिंदी के सुनते होंगे। दसअसल हम अपनी परिवेशीय भाषा में इतने रच–बस जाते हैं कि कब भाषा हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाती है – पता ही नहीं चलता। बिहार भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहां अनके भाषाएँ बोली–समझी जाती हैं– भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मैथिली, मगही, उर्दू, हिंदी, संथाली के अतिरिक्त सीमित रूप से बांगला आदि। बिहार का प्रत्येक बच्चा कम से कम दो–तीन भाषाओं पर तो अधिकार रखता ही होगा, क्योंकि उसके आस–पास अनेक भाषाओं का व्यवहार रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है।

मनन 10

1. आपके आस–पास कौन–कौन–सी भाषाएँ बोली जाती हैं? उनके नाम लिखिए –
2. इनमें से आप कितनी भाषाएँ बोल, समझ, पढ़, लिख लेते हैं? उनके नाम लिखिए और यह भी बताइए कि आप इस/इन भाषाओं को किस रूप में जानते है –
1. आपकी कक्षा के बच्चे कितनी और किन–किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? आपको इसका क्या कारण नजर आता है?

सात साल की पंजाबी भाषी माला जब दिल्ली से सीतामढ़ी आई तो वह एक नहीं बल्कि तीन भाषाओं का प्रयोग करती थी। उसके घर में (दिल्ली में) पंजाबी बोली जाती थी और स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का परिवेश था। वह दिल्ली में जिस परिवेश में रहती थी, वहां आस–पास के बच्चे, लोग ज़्यादातर अंग्रेजी में बातचीत करते थे इसलिए माला को अंग्रेजी सीखने में कोई मुश्किल नहीं हुई। माला के पिताजी का तबादला सीतामढ़ी में हो गया और अब माला को बिहार की कई भाषाएँ सुनने–बोलने का परिवेश और अवसर मिला। सीतामढ़ी में मूलतः बज्जिका भाषा बोली जाती है और उसके आस–पास के क्षेत्र में मैथिली का भी प्रयोग किया जाता है। उनके घर में काम करने वाली राधा भोजपुरी बोलती है। लेकिन माला का परिवार न तो बज्जिका ही जानता है और न ही भोजपुरी और राधा को हिंदी आती नहीं थी। फिर भी वह टूटी–फूटी हिंदी में अपनी बात समझाना शुरू करती है और कभी–कभी जब उसे हिंदी के उपयुक्त शब्द नहीं मिलते तो वह एक प्रवाह में भोजपुरी बोल जाती है। चूंकि माला के माता–पिता नौकरी करते हैं और माला स्कूल से आने के बाद राधा के पास ही रहती है इसलिए वह धीरे–धीरे भोजपुरी सीख गई। माला के आस–पड़ोस में, बाजार में बज्जिका बोली जाती है तो माला को बज्जिका भाषा का परिवेश भी मिला। सीतामढ़ी के एक स्कूल में माला का दाखिला हुआ तो उसका हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन जारी रहा। उसकी पढ़ाई का माध्यम भी अंग्रेजी ही रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि माला कितनी भाषाओं में बातचीत कर सकती है? उसने इन भाषाओं का प्रयोग करना कैसे सीख लिया?

दरसअसल माला को बचपन से ही एक से अधिक भाषाओं का परिवेश मिला और वह अपनी जन्मजात भाषा क्षमता के माध्यम से भाषाओं को सहजता के साथ अर्जित करती चली गई। भाषा अर्जन की स्थिति तब होती है जब हमें किसी भाषा का समृद्ध परिवेश मिले यानी वह भाषा हमारे आस–पास लगातार इस्तेमाल होती है। हम उस भाषा के विविध प्रयोगों को

सुनकर नियम बनाते हैं और उन नियमों के आधार पर भा षा का विविधतापूर्ण प्रयोग करते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में वे शब्दों के उन अर्थों से भी परिचित होते चलते हैं जो उन्हें समाज विशेष के साथ संपर्क करने से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में 'अंकल, आंटी' शब्द मिलते हैं जबकि बिहार आदि अनेक राज्यों में 'अंकल, आंटी' जैसे शब्दों के स्थान पर 'चाचा, मामा, मौसा, फूफा, चाची, मामी, मौसी, बुआ, फूफी' आदि शब्द मिलते हैं, क्योंकि रिश्ते–नाते की यह शब्दावली भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। विदेश में तो सभी के लिए अंकल, आंटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिहार अथवा अन्य राज्यों के बच्चों को यह समझाने की जरूरत नहीं हैं कि चाचा कौन होता है और मौसी कौन तथा अंकल कौन। इस प्रकार भाषा सामाजिक वस्तु भी है और समाज के संपर्क में आने से उसमें निरंतर पैनापन आता है, क्योंकि अंततः भाषा का प्रयोग भी समाज में रहकर समाज के सदस्यों के साथ किया जाता है। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि –

- भाषा समाज में रहकर अर्जित की जाती है यानी भाषा का विकास समाज में होता है।
- भाषा अर्जित करना सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है यानी इसमें आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता।
- किसी भाषा विशेष को अर्जित करने के लिए उस भाषा के विभिन्न संदर्भगत प्रयोगों को सुनना बेहद ज़रूरी है।
- संदर्भगत भाषा–प्रयोगों के कारण आप उस भाषा का व्याकरण भी अनायास अर्जित करते जाते हैं।
- यह अचरज भरी बात है कि समाज में रहते–रहते हम न केवल भाषा की सपाट अभिव्यक्ति सीखते हैं बल्कि उसके लाक्षणिक और व्यंजक प्रयोगों को भी बखूबी सीखते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा(2005:41) के अनुसार 'जब हम घर की भाषा (ओं) और मातृभाषा (ओं) की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, आस–पड़ोस की भाषा आदि आ जाती हैं, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे, स्कूल की शिक्षा की शुरूआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। वे न केवल उन भाषाओं को सही–सही बोल लेते हैं, बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यहां तक कि भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे, जो बोल नहीं पाते

वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा सीखना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। भाषा का प्रयोग जितना सरल नज़र आता है। दरअसल उतना है नहीं। भाषा में कुदरती रूप से निर्देशित सीखना शामिल होता है। इस तरह के सीखने में जंतु सहजवृत्ति से जानता है कि उसे किस बात पर ध्यान देना है, मगर बारीकियां सीखने में समय लगाना होता है। उदाहरण के लिए शुýआत में बच्चे प्रायः एक पदीय वाक्यों का प्रयोग करते हैं और फिर धीरे–धीरे वे दो–तीन पदीय वाक्यों को प्रयोग करने लगते हैं। अपने आस–पास होने वाले भाषा–प्रयोगों को वे निरंतर सुनते हैं और दोहराने का प्रयास करते हैं। जटिल या मिश्रित वाक्यों को वे लगभग उसी प्रकार दोहराते हैं लेकिन यह दोहराना कभी–कभी असंदर्भगत भी हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि वे भाषिक संरचनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक भाषा अर्जित करने की उम्र का सवाल है, उस संदर्भ में लेनबर्ग का मानना है कि एक तयशुदा निर्णायक अवधि होती है जिसके दौरान भाषा अर्जन संभव है। उन्होंने दावा किया था कि यह (अवधि) करीब दो वर्ष की उम्र में शुरू होती है ओर किशोरावस्था में समाप्त हो जाती है। इसके बाद, उनके मुताबिक, ''भाषा अर्जन नामुमकिन है।'' मगर इस कठोर निर्णायक अवधि के बारे में वे गलत थे। वे दो लिहाज़ से गलत थे। पहला कि बच्चे दो वर्ष की उम्र से पहले बड़ी मात्रा में भाषा अर्जित करते हैं। दो वर्ष से कम उम्र में बाएँ गोलार्ध में गंभीर क्षति होने पर भाषा संबंधी स्थायी क्षति हो सकती है। दूसरा, पार्श्वीकरण (यानी भाषा का विशेषीकरण बाएँ गोलार्ध में होना) बहुत कम उम्र के शिशुओं में देखा गया है। अर्थात यदि उनके सामने भाषा की ध्वनियां बज़ाई जाएँ तो वे बाएँ गोलार्ध से ध्यान देती हैं। यह बात काफी विस्तृत प्रयोगों से पता चली है। और यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि नवजात शिशु भी खुद अपनी भाषा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे पता चलता है कि वे कोख में ही इसकी लय के प्रति अनुकूलित हो चुके होते हैं। और लेनबर्ग की सोच के विपरीत, किशोरावस्था किसी बिन्दु पर याकयक शुरू नहीं होती। भाषा अर्जन 13 वर्ष की उम्र के बाद भी चलता रह सकता है। अधिक उम्र के कुछ लोग भी भाषा सीखने में बढ़िया होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि शब्द भंडार का निर्माण तो ताज़िन्दगी चलता रहता है। लोग अपना शब्द भंडार (यदि संभव हुआ हो तो) 100 वर्ष की उम्र तक बढ़ाते रह सकते हैं और यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि शब्द भंडार का निर्माण करीब 13 वर्ष की उम्र में शिखर पर होता है। तो शोधकर्ता आजकल सरहदी अवधि की बजाय संवेदी अवधि की बात करते हैं, वह समय जिसमें बच्चों का संपर्क भाषा से कराया जाना

चाहिए, मगर यह अवधि लेनबर्ग ने जो सोचा था उससे काफी पहले शुरू हो जाती है और देर तक जारी रहती है।

मनन 11

1. अपने आस–पास के 3 से 9 साल के बच्चों का अवलोकन कीजिए। देखिए कि वे विभिन्न संदर्भों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? शब्द, वाक्य और संवाद की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।
2. अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि क्या आप बच्चों के भाषा अर्जित करने संबंधी लेनबर्ग के उपर उल्लिखित विचारों से सहमत हैं? क्यों?
3. बच्चों के भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया को अपने अवलोकन के आधार पर समझाइए। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण के रूप में तर्क भी प्रस्तुत कीजिए।

अब तक आप भाषा अर्जन की स्थिति को बखूबी समझ गए होंगे। जब बच्चे विद्यालय आने के बाद किसी भाषा को सीखते हैं तो वह भाषा–अधिगम की स्थिति है। उदाहरण के लिए बिहार में रहने वाला एक बच्चा अपने घर में मगही सुनता और बोलता है। यानी उसकी घरेलू भाषा मगही का संप्रेषणपरक वातावरण मिलने के कारण वह मगही को अवचेतन रूप से अर्जित करता है। इस स्थिति में उसे मगही भाषा का व्याकरण नहीं सीखना पड़ा बल्कि उसने भाषा–प्रयोगों का अवलोकन किया, नियम बनाए और उसके आधार पर भाषा का व्यवहार किया। लेकिन अब चूँकि वह विद्यालय में आया है तो उसे हिंदी और अँग्रेजी भाषा 'पढ़नी' है जो उसके भाषा–परिवेश का या तो हिस्सा नहीं हैं या बहुत कम उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं हिंदी अथवा अँग्रेजी उसके द्वारा 'पढ़े' जाने वाले अन्य विषयों का माध्यम बनेगी। अब उसे औपचारिक तौर से हिदी अथवा/और अँग्रेजी भाषा के नियम और प्रयोग सचेतन रूप से सीखने होंगे। हिंदी और अँग्रेजी भाषा सीखना द्वितीय भाषा अधिगम के उदाहरण हैं। द्वितीय भाषा सीखने में चुनौतियां तब आती हैं जब उस भाषा का परिवेश नहीं मिल पाता जिस प्रकार प्रथम भाषा का अथवा मातृभाषा का।

अब सवाल यह उठता है कि क्या भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की प्रक्रिया समान है इस संबंध में क्रेशन (1982:10) का मानना है कि ''भाषा अर्जन और भाषा अधिगम यदि समरूप नहीं है तो मिलती–जुलती प्रक्रियाएँ हैं। भाषा–अर्जन के माध्यम से बच्चे अपनी प्रथम भाषा में योग्यता विकसित करते हैं। यह एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाले सामान्यतः इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे भाषा सीख रहे हैं। वे केवल इसी तथ्य से

अवगत होते हैं कि वे सम्प्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं..... (इस प्रक्रिया में) हम सामान्यतः भाषा सीखते समय इसके नियमों को सीखने के प्रति सचेत नहीं होते हैं। बावजूद इसके हमारे मन में शुद्धता के प्रति आग्रह होता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमें सही प्रतीत होते हैं तथा त्रुटियाँ गलत। भाषा–अर्जन का मतलब ही है कि भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना।

द्वितीय भाषा में क्षमता बढ़ाने का दूसरा तरीका भाषा–अधिगम है। आगे से हम 'अधिगम' शब्द का प्रयोग द्वितीय भाषा के सचेत ज्ञान यानी उसके नियमों को जानना, उनके प्रति सचेत होना, और उनके विषय में बोल पाने के लिए करेंगे। गैर तकनीकी शब्दावली में 'अधिगम' से तात्पर्य भाषा के उस रूप के बारे में जानना है जो कि ज्यादातर लोगों को व्याकरण या नियमों के रूप में पता होता है। इसके पर्यायवाची रूपों में भाषा का औपचारिक ज्ञान या प्रत्यक्ष रू^ से सीखना शामिल है।''(प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा ;क्म्सण्म्कण्द्वए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से साभार) इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा अधिगम अथवा भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास शामिल है और उद्देश्य भी। इसमें समाज विशेष की संस्कृति को भी सीखना होता है, क्योंकि शब्दों के अर्थ समाज–संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होते हैं। लेकिन भाषा अधिगम की प्रक्रिया भाषा अर्जित करने के समान प्राकृतिक रूप से चलती है। यदि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रथम भाषा की तरह ही भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो भाषा सीखने में सुविधा होती है। एक भाषा शिक्षक की भूमिका यह है कि वह बच्चों को बोलने, अपनी बात कहने अथवा अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराएँ। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में सम्मान दें और लक्ष्य भाषा यानी जो भाषा सीखी जा रही है उसका वातावरण उपलब्ध कराएँ।

3.7 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

- हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं।
- प्रत्येक बच्चे में भाषा जन्मजात क्षमता होती है जिसके माध्यम से वे परिवेश में उपलब्ध अधिकाधिक भाषाएँ अर्जित कर लेते हैं।
- बच्चे बड़ों के द्वारा किए जा रहे भाषा–प्रयोगों को सुनते हैं, उसके आधार पर अपने नियम बनाते हैं और उन नियमों के आधार पर भाषा का प्रयोग करते हैं।

- यदि बच्चों की सहज, अनौपचारिक बातचीत का विश्लेषण किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि बच्चे सहजता के साथ विद्यालय जाने से पूर्व ही भाषा की अनेक जटिल संरचनाओं पर पकड़ रखते हैं।
- भाषा–अर्जन के माध्यम से बच्चे अपनी प्रथम भाषा में योग्यता विकसित करते हैं। यह एक अवचेतन प्रक्रिया है।
- बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं–इसके संबंध में विभिन्न मत हैं। स्किनर जैसे व्यवहारवादी इसे उद्दीपन–अनुक्रिया–पुनर्बलन की प्रक्रिया में देखते हैं। जिसके अनुसार भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
- चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता होती है। यह क्षमता जन्मजात होती है। इसी क्षमता के सहारे बच्चे भाषा सीखते हैं।
- पियाजे के अनुसार जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है।
- वाइगोत्सकी ने भाषा सीखने में समाज की मुख्य भूमिका बताई है। बच्चे समाज के संपर्क में आने से भाषा सीखते हैं।
- बच्चों की भाषा के विकास के लिए उन्हें भाषा का समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उन्हें भाषा–प्रयोग के अधिकाधिक अवसर भी मुहैया कराए जाएँ।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई–संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब–रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।

3.8 प्रदत्त कार्य

1. विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास भाषायी पूंजी होती है। इस कथन के संदर्भ में अपनी भाषा की पाठ्य–पुस्तक में से कोई ऐसे पांच उदाहरण दीजिए जो इस बात को पुष्ट करते हैं।
2. अपने आस–पास के अथवा अपने वर्ग के किन्हीं दो–तीन बच्चों द्वारा की जाने वाली बातचीत को रिकॉर्ड अथवा दर्ज कीजिए। उनकी बातचीत में प्रयुक्त भाषा का विश्लेषण करते हुए बताइए कि बच्चे भाषा की कितनी जटिल संरचनाओं पर अधिकार रखते हैं।
3. आपके वर्ग के बच्चे सामान्यतः कितनी भाषाओं में बात करने की क्षमता रखते हैं? उनकी प्रथम और द्वितीय भाषा कौन–कौन–सी हैं? क्या उनके प्रयोग में आपको किसी प्रकार का कोई अंतर नजर आता है?
4. बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी भाषा की पाठ्य–पुस्तक में क्या–क्या बदलाव करना चाहेंगे और क्यों?
5. इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अपने शिक्षण में क्या कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे? क्यों?
6. अपने आस–पास अथवा अपने विद्यालय के विभिन्न आयु–वर्ग (जैसे–वर्ग एक और दो, वर्ग तीन से पांच) पांच–पांच बच्चों के भाषा प्रयोग के नमूने दर्ज कीजिए और बताइए कि क्या आपको इनकी भाषा में कोई अंतर नजर आता है? उदाहरण सहित समझाइए।
7. आपके विचार से बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए।

इकाई 4

विद्यालय में भाषा

4.1 परिचय

4.2 सीखने के उद्देश्य

4.3 पूर्व अनुभव

4.4 भाषा माध्यम के रूप में तथा भाषा विषय के रूप में

4.5 भाषा सीखने–सिखाने के उद्देश्यों की समझ

4.5.1 शुरूआती पढ़ना–लिखना : अवधारणा एवं महत्व

4.6 लिपि का अर्थ

4.7 लिपि और भाषा

4.8 समेकन तथा सीखने–सिखाने में सहयोगी ई–संसाधन

4.9 प्रदत्त काय

4.1 परिचय

आप यह जानते हैं कि विद्यालय जाने से पूर्व ही बच्चे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने–सुनने की क्षमता रखते हैं। वे भाषा की अनेक जटिल संरचनाओं पर अपना अधिकार रखते हैं और यह उन्हें कोई सिखाता नहीं है बल्कि वे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के माध्यम से भाषा का प्रयोग सीख जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब बच्चे विद्यालय–पूर्व ही भाषा का प्रयोग करना जानते हैं तो विद्यालय में भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। भाषा सीखने–सिखाने के उद्देश्यों के बारे में विश्लेषणात्मक तरीके से सोचने और समझ बनाने में यह इकाई आपकी मदद करेगी। इस इकाई में हम इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे कि भाषा सीखने–सिखाने में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और विभिन्न कौशलों की क्या भूमिका है। विद्यालय में भाषा की मौजूदगी एक विषय के रूप में भी है और माध्यम के रूप में भी। दोनों स्थितियों में भाषा किस प्रकार कार्य करती है – यह इकाई इस पर भी विस्तार से बात करेगी। शुरुआती वर्षों में बच्चे पढ़ना–लिखना किस प्रकार सीखते हैं? पढ़ना–लिखना क्या है, शुरुआती वर्षों में पढ़ना–लिखना सीखने में मदद करने के लिए किस तरह की शिक्षा–शास्त्रीय समझ की आवश्यकता है और दरअसल हो क्या रहा है – यह भी आप इस इकाई में पढ़ेंगे। क्या भाषा और लिपि के बीच काई अनिवार्य संबंध होता है, बच्चे लिपि की जटिलताओं को कैसे समझ लेते हैं और भाषा सीखने में लिपि सीखने की क्या भूमिका रहती है – इस इकाई में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप –

- विषय और माध्यम के रूप में भाषा की विद्यालयगत स्थिति को समझ सकेंगे।
- भाषा सीखने–सिखाने के उद्देश्यों की विस्तृत समझ का विकास कर सकेंगे।

- भाषा किस प्रकार कल्पनाशीलता, सृजनशीलता एवं संवेदनशीलता का वाहक है, इसे समझ सकेंगे।
- भाषा के आधारभूत कौशलों – सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना के महत्व के बारे में बता सकेंगे।
- शुरुआती पढ़ना–लिखना की अवधारणा, प्रक्रिया और शिक्षा–शास्त्रीय समझ का विकास कर सकेंगे।
- भाषा और लिपि के बीच के अनिवार्य संबंध को पड़ताल कर सकेंगे।

4.3 पूर्व अनुभव

आपने एक विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप अपने विद्यालय की समय–सारिणी को बहुत बार देखा होगा और उसके अनुसार कार्य भी किया होगा। प्रत्येक कक्षा की समय–सारिणी में अनेक विषयों का कक्षावार और घंटीवार विवरण होता है। प्रायः विद्यालयों में बच्चे कौन–कौन से विषय पढ़ते हैं– मैथिली/भोजपुरी/मगही/उर्दू/बांगला, हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित ... और भी कई विषय हो सकते हैं या इनसे कुछ कम भी! जहां तक भाषा का सवाल है, बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा/भाषाएँ पढ़ते होंगे। भाषा के अतिरिक्त बच्चे अन्य विषयों, यानी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि को किस भाषा में पढ़ते हैं? संभवतः पाठ्य–पुस्तक तो हिंदी भाषा में होती होगी लेकिन कक्षा के भीतर विषय को समझने–समझाने का माध्यम बच्चों की अपनी भाषा या क्षेत्रीय भाषा होती होगी। इसका अर्थ है कि विद्यालयों में भाषा की स्थिति एक विषय के रूप में भी होती है और माध्यम के रूप में भी।

मनन 1

1. आपने अपने विद्यालयी जीवन में किन–किन भाषाओं का अध्ययन किया है?

....

....

....

2. विद्यालय में अन्य विषयों का अध्ययन का माध्यम कौन–सी भाषा रही थी?

....

....

....

3. आप अपने वर्ग में कौन–से विषय पढ़ाते हैं और कौन–सी भाषा माध्यम होती है?

....

....

....

आपने यह अनुभव किया होगा कि जब अन्य विषयों के अध्ययन की भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिससे प्रयोग के स्तर पर हम अधिक परिचित होते हैं तो विषय को समझने में अपेक्षाकृत आसानी होती है। विज्ञान की पाठ्य–पुस्तक में दिए गए सवालों के जवाब बच्चे तभी दे सकते हैं जब वे पूछे गए सवालों की भाषा को समझ पाएँ। यह ठीक वैसा ही है जैसे बातचीत करते समय हम दूसरे की बात का जवाब तभी दे पाते हैं या प्रतिक्रिया तभी दे पाते हैं जब हमें वी सुनी गई भाषा समझ आती हो।

आगे हम इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

4.4 भाषा माध्यम के रूप में तथा भाषा विषय के रूप में

भाषा माध्यम के रूप में :

आगे की चर्चा के लिए नीचे दिए गए उद्धृत अंशों को पढ़िए –

'स्कूली शिक्षा के संदर्भ में भाषा पाठ्यचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। संवाद और संप्रेषण के अनिवार्य प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण के संपूर्ण क्रियाकलापों में भाषा ही माध्यम बनती है तथा अवधरणाओं के निर्माण एवं ज्ञान के सृजन में बुनियादी भूमिका निभाती है। हम अपने विचारों और भावों को भाषा में न केवल अभिव्यक्त करते हैं बल्कि सोचने, महसूस करने और स्मृतियों में सहेजने का काम भी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। विचारपूर्वक देखें तो एक हद तक निजी और संपूर्ण रूप में सभी सामाजिक गतिविधियों का संचालन भाषा की ही सहायता से संभव हो पाता है।...यदि किसी भाषा का प्रयोग पूरी पाठ्यचर्या में होता है और इस कारण उसकी पढ़ाई सारे विषयों के साथ होती है तब भी अनुदेश की भाषा के मुद्दे को

नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। संविधान में उल्लिखित सिद्धांत के लिहाज़ से मातृभाषा अथवा गृहभाषा को प्राथमिक स्तर तक अनुदेश की भाषा होना चाहिएँ'।

(बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008:35, 41)

'भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएँ भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उनके बारे में लिख सकना। कुछ विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अलग–अलग पुस्तकों का अध्ययन करें या उन भाषाओं में लोगों से बातचीत करें, इंटरनेट से अंग्रेज़ी में सामग्री एकत्रित करें। भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने से स्कूल में बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भाषा की शिक्षा कुछ अनूठे अवसर उपलब्ध कराती है। ... प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है और बाद में सभी शिक्षण एक अर्थ में भाषा शिक्षण ही होता है। यह दृष्टिकोण 'विषय के रूप में अंग्रेज़ी' और 'माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी' की दूरी को पाट सकेगा। इस तरह से हम समान' स्कूली पद्धति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं जिसमें भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रू' में भाषा के उपयोग में भेद न हो।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005:43–45)

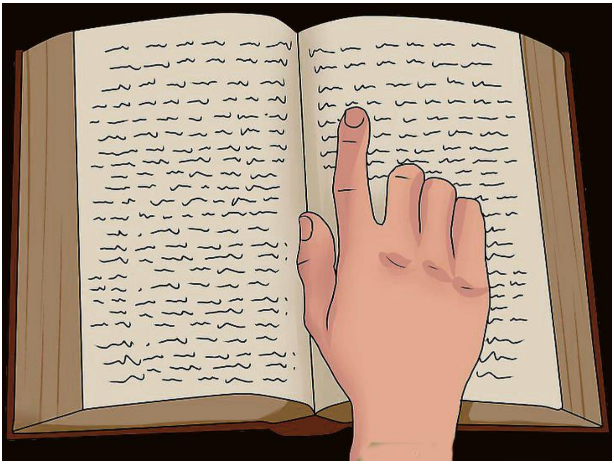

मनन 2

1. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में भाषा के बारे में क्या कहा गया है, कोई चार मुख्य बिंदु लिखिए –

....

....

....

....

2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा के बारे में क्या कहा गया है, कोई चार मुख्य बिंदु लिखिए –

....

....

....

....

इन दोनों उद्धरणों में मुख्य बात यह उभरकर आती है कि विभिन्न विषयों का अध्ययन करते समय भी हम एक प्रकार से भाषा भी सीख रहे होते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न विषयों की प्रकृति और अवधरणाएँ भिन्न होती हैं, अतः उन अवधारणाओं को संप्रेषित करने वाले शब्द या वे शब्द जो अवधारणाओं के साथ संयोजित होते हैं और जिन्हें 'प्रयुक्ति' कहते हैं – भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान विषय में 'वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जलवाष्प, मृदा, प्रकाश संश्लेषण, पादप, बल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण, दहन, श्वसन, विकिरण, जीवाश्म ईंधन, अवशोषित, विलयन' आदि शब्द एक विशिष्ट अवधारणा से संबद्ध हैं। इसी प्रकार गणित विषय में 'त्रिभुज, आयतन, लंब, समीकरण, दंड आरेख' आदि अवधारणाएँ एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। जब बच्चे इन विषयों को पढ़ते हैं तो ये सभी शब्द बच्चों के शब्द भंडार का हिस्सा भी बनते हैं और बच्चे यह समझ विकसित करते हैं कि शब्द भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ संप्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए गणित में प्रयुक्त होने वाला 'भिन्न' शब्द किसी एक वस्तु के कितने हिस्से हैं – की अवधारणा से जुड़ा है। (1/2 एक भिन्न संख्या है जिसका अर्थ है– एक वस्तु के दो हिस्से) जबकि हिंदी भाषा में प्रयुक्त 'भिन्न' शब्द अलग, अंतर होने के भाव को दर्शाता है। (कक्षा के सभी बच्चे भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं।/श्यामा के रिबन का रंग सलमा के रिबन से भिन्न था।) इसी प्रकार 'मिट्टी, मृदा'/भूमि, ज़मीन, धरती' का अर्थ एक ही है लेकिन वे शब्द अलग–अलग संदर्भों में अलग रूप में इस्तेमाल होते हैं।

इतना ही नहीं विषयों की अध्ययन सामग्री पढ़ते समय बच्चे अनायास रूप से विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से भी परिचित होते चलते हैं। अगर आप इतिहास विषय की पाठ्य–पुस्तका ें की भाषा पर गौर करें तो कह सकते हैं कि उनमें प्रयुक्त वाक्य संरचनाएँ प्रायः भूतकाल से संबद्ध होती हैं, जैसे – 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद कराने में अनेक व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। पुराने समय में लोग चित्रों के माध्यम से अपनी बातें अभिव्यक्त करते थे। आदि। जबकि गणित, विज्ञान आदि की पाठ्य–पुस्तकों में वाक्य–संरचना प्रायः वर्तमानकाल से संबद्ध होती है, उदाहरण के लिए – *समीकरण चर पर एक* प्रतिबंध होता है। शब्द **चर** (variable) का अर्थ है, ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर, अर्थात् बदल सकती हो। (गणित, कक्षा 7: 86,एन.सी.ई.आर.टी.) / वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक हैं। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है, वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है।' (विज्ञान, कक्षा 9 :214–215 एन.सी.ई.आर.टी.) इसके अतिरिक्त बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों की संरचना को भी आत्मसात करते हैं।

जब विषय के अध्ययन का माध्यम बच्चों की मातृभाषा या ऐसी भाषा जिसमें बच्चे चिंतन करते हैं– होती है तो अवधारणाओं का बनना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, जैसे – बिहार की स्थानीय भाषाओं में गणित की 'त्रिभुज' और 'चतुर्भज' की अवधारणाओं के लिए क्रमशः 'तिनकोनिया' और चौखूंटा' अधिक सहज एवं प्रचलित है। इसी तरह विज्ञान में 'पृथक्करण' (हवा के द्वारा) के लिए 'ओसाई' एवं 'स्त्रीकेसर', 'पुंकेसर' के लिए क्रमशः 'जायांग','पुमंग' अधिक सहज है। बिहार की विज्ञान की पाठ्य–पुस्तकों में विज्ञान संबंधी अनेक अवधारणाओं तथा तकनीकी शब्दों को स्थानीय शब्दों में ही लिखा गया है। 'दौरी, पोताई, पुमंग, जायांग, वैजंती, चालना, ओसाई, दौनी' आदि ऐसे ही शब्द हैं।

मनन 3

1. नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए कि ये ज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं – चौका, रुधिर, मान, गुणनफल, रस, शंकुधारी वन, पर्ण, रेखा, विषुवत् रेखा, क्षेत्र–रक्षण, घन, भाजक, चौथाई, अभिलेख, अक्षांक्ष, परिभ्रमण, क्षेत्रफल, गैस, मतदान, वोट।

....

....

....

2. किसी भी वर्ग की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की पाठ्य–पुस्तक में से भाषा–प्रयोग संबंधी कोई दो–दो उदाहरण देते हुए समझाइए कि इनके माध्यम से बच्चे किन भाषिक संरचनाओं को आत्मसात कर सकेंगे।

....

....

....

3. अपने वर्ग के अनुभवों के आधर पर बताइए कि विषयगत अवधारणाओं को समझने के लिए बच्चे की मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा अधिक सहायक होती है अथवा नहीं।

....

....

....

इस चर्चा से इतना तो स्पष्ट होता है कि बच्चों के सोचने–समझने का माध्यम भी भाषा ही होती है और अनुभवों के आधार पर वे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो अवधारणाएँ बनाते हैं उसमें भाषा की महत्ती भूमिका होती है। हम यह जानते हैं कि ज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है और उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उसकी विशिष्ट भाषा से भी परिचित होना ही होगा। इसके अतिरिक्त यह भी समझना होगा कि भाषा पर पकड़ या भाषिक क्षमता अन्य विषयों को समझने में मदद करती है। बच्चे विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री को तभी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जब भाषा की विभिन्न कुशलताओं में दक्ष होंगे। उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन में 'वन–संरक्षण' या ' प्रदूषण' विषय पर शिक्षक और बच्चों के बीच होने वाले संवाद का माध्यम भी एक भाषा ही है। जब बच्चे अपनी राय व्यक्त करते हैं या दूसरों द्वारा समझाई, कही जा रही बात को ध्यान से सुनते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो एक प्रकार से उस समय भाषा का ही कार्य हो रहा होता है। जब बच्चे विषय की पाठ्य–पुस्तक पढ़ते हैं और अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो पढ़ने–लिखने की कुशलता विकसित हो रही होती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पठन और लेखन की कुशलता ही विषय की सामग्री को पढ़कर समझने और लिखित अभिव्यक्ति मदद करती है।

भाषा विशय के रूप में :

एक विषय के रूप में प्रायः तीन भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान हमारे विद्यालयों में है। ये भाषाएँ हो सकती हैं – मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेज़ी,

संस्कृत, बांगला आदि। इकाई दो में त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से भाषाओं के शिक्षण की स्थिति को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। विद्यालयों में एक विषय के रूप में एक से अधिक भाषाएँ प्रायः प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं। जिसका सीधा–सा अर्थ यह है कि बच्चों में इन भाषाओं के प्रयोग की कुशलता विकसित करना। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने की कुशलता या क्षमता उन्हें जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। वे अपने जीवन में भाषा का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे – अपनी इच्छा को प्रकट करना, किसी की राय लेना, अपना तर्क प्रस्तुत करना, किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करना, संदेह करना, कल्पना करना, अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करना, किसी को समझाना आदि। भाषा की पाठ्य–पुस्तक में दिए गए पाठ बच्चों को यह अवसर देते हैं कि वे भाषा–प्रयोग की कुशलता विकसित कर सकें। आइए, हिंदी की पाठ्य–पुस्तक में से कुछ अभ्यास प्रश्नों को पढ़कर इस बात को समझने की कोशिश करें –

मनन 4

आपकी बात

1. इन चीज़ों को अपने घर में कहां–कहां ढूंढ़ेंगे?
   मिठाई का डिब्बा साबुन मकड़ी का जाला कपड़े
2. आपके परिवार वाले कब–कब यह कहते हैं कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो?

समझ की बात

नीचे कुछ जवाब दिए गए हैं। इनके सवाल बनाइए –

मेरी पेंसिल खो गई।

मेरे तो चालीस करोड़ भाई–बहन हैं।

(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, 'ऐसे थे बापू')

गप्प सुनो भई गप्प!

1. गप्प क्या होती है? गप्प मारने और बात करने में क्या अंतर है?
2. आपको कौन–सी गप्प सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों?
3. अगर आपको गप्प मारने के लिए कहा जाए तो आप क्या गप्प सुनाएँगे?

(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, 'सेर को सवा सेर')

भूख लगी

निशा को जब भूख लगी तो उसने लिट्टी खाई। बताइए जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं –

घर में स्कूल में बाज़ार में

आपकी यात्रा

1. आप भी कहीं घूमने गए होंगे। निशा की तरह अपनी यात्रा के बारे में बताइए।
2. जब कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता है तो लोग एक–दूसरे से क्या कहते हैं? लिखिए।
3. आप कहां–कहां घूमना चाहते हैं और क्यों?
4. अपनी यात्रा की कोई मज़ेदार घटना बताइए।

(अंकुर, भाग 2 कक्षा 2, 'निशा की चिट्ठी')

चूहे–बिल्ली पर लिखी कविता को पूरा करें –

आगे चूहा, पीछे बिल्ली,

उड़ा रही थी उसकी खिल्ली

....

....

....

....

(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4,' बिल्ली का पंजा')

आपके लिए

चींटी भी मेले में गई थी। उसे मिठाई की खुशबू आने लगी। आगे क्या हुआ? पढ़िए –

चींटी को जो मिली मिठाई,
ठेलठाल घर ले आई।
गंध मिली तो टपकी लार,
निकले चींटे कई हज़ार।

देख मिठाई छिड़ी लड़ाई,
लड़ती बहनें लड़ते भाई।
धुक्कम–धुक्की हाथापाई,
मिट्टी में मिल गई मिठाई।

(अंकुर भाग 2,कक्षा 2, 'मेला')

इन अभ्यासों के माध्यम से बच्चो को अपनी बात कहने के भरपूर अवसर दिए गए हैं। ये अवसर दो तरीके से दिए गए हैं। एक, पाठ विशेष के संदर्भ

में और दो, उसी पाठ की विषय–वस्तु से संबंधित निजी अनुभवों को जाड़ते हुएँ बातचीत करने के विभिन्न संदर्भ दरअसल एक प्रकार से जीवन के विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करते हैं जिनमें बच्चों को भाषा के माध्यम से निर्वाह करना है। यह कोशिश की गई है कि बच्चे पढ़े गए पाठ को अपने निजी अनुभवों के साथ जोड़कर देख सकें और अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त कर सकें। भाषा की कक्षा में संवाद के अवसर से बच्चों को भाषा विशेष की विभिन्न छटाओं और उसकी बारीकियों से परिचित होने का अवसर भी मिलता है। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे उनकी भाषायी क्षमता में इज़ाफा होगा। एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण का अर्थ है – भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग की कुशलता में दक्ष बनाना।

इस रूप में देखा जाए तो विषय के रूप में और माध्यम के रूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। भाषा की पाठ्य–पुस्तक में जिन पाठों का चयन किया जाता है वे प्रायः विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे – खेलकूद, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न त्योहार आदि। भाषा शिक्षण के माध्यम से वे भाषा के विभिन्न पक्षों के साथ–साथ विषयगत अवधारणाओं को भी समझते हैं और माध्यम के रूप में बच्चे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की अवधारणाओं के साथ–साथ शब्दावली, संरचनाएँ समझते हैं। और यही समझ विभिन्न क्षेत्रों में सही शब्दावली और भाषायी संरचनाओं के उचित और प्रभावी संप्रेषण में काम आती है।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=7ctDJMBbgvA

4.5 भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्य

आपके विचार से बच्चों को भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? हम यह भी जानते हैं और इकाई 3 में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ही भाषा की अनेक संरचनाओं पर अधिकार रखते हैं। वे अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फिर विद्यालय में भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? आप में से कुछ का जवाब यह हो सकता है कि उन्हें पढ़ना–लिखना नहीं आता। कुछ बच्चे सही तरह से बोल भी नहीं सकते, बात करते समय अटकते हैं या उनके बोलने में प्रवाह नहीं होता। लेकिन यह स्थिति हम बड़ों के साथ हो सकती है। हम भी मंच से बोलते समय घबरा जाते हैं, शब्द अटकने लगते हैं और वाक्य संरचनाएँ गड़बड़ा जाती हैं। इसका कारण है विभिन्न स्थितियों में भाषा–प्रयोग के पर्याप्त अवसर न मिलना। जब बच्चों को भी अपनी बात कहने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे तो उनमें भी अपनी बात को एक बड़े समूह में कहने का अभ्यास हो जाएगा। तो एक बात यह हुई कि बच्चों को विभिन्न स्थितियों और समूहों में बात करने के अवसर देना विद्यालय में भाषा–शिक्षण का एक उद्देश्य हो सकता है। आप में से कुछ यह भी कह सकते हैं कि यह ठीक है कि बच्चे विद्यालय आने से पूर्व भाषा का प्रयोग करना जानते हैं और बखूबी करते हैं। लेकिन अपेक्षकृत अधिक बड़े जनसमुदाय से जुड़ने और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उस समुदाय की भाषा को सीखना भी उद्देश्य हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अर्जित कुश ालताओं के सहारे एक ऐसी भाषा के प्रयोग में भी पारंगत हो जाएँ जिसमें अपेक्षाकृत अधिक व्यहार या 'व्यापार' होता है। हां, पढ़ने–लिखने की कुशलता बच्चे में हो, यह ज़रूरी नहीं है। बिहार जैसे राज्य के दूरवर्ती गांवों में बच्चों को अखबार भी देखने को मिलता होगा, इस संदेह को नकारा नहीं जा सकता। ज्ञान का अथाह भंडार जो लिखित भाषा में संचित हैं, उसे आत्मसात करने के लिए भाषा की लिखित व्यवस्था पर तो अधिकार होना एक अनिवार्य शर्त है। अपनी बात को अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए और संरक्षित रखने के लिए भी भाषा की लिखित व्यवस्था पर अधिकार करना ज़रूरी है। जैसे–जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी, वैसे–वैसे उनका संज्ञानात्मक स्तर भी बढ़ेगा और वे भाषा की बारीकियों, उनमें छिपे अर्थ को पहचान सकेंगे। इसके लिए पाठ्य–पुस्तक, बाल साहित्य, विभिन्न बाल पत्रिकाएँ मदद कर सकती हैं जिनका निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि

बच्चों में भाषा की मौखिक कुशलता के साथ–साथ लिखित कुशलता भी विकसित हो सके। यह विविध सामग्री भाषा की विविधता से परिचित होने का एक सुनियोजित तरीका है।

मनन 5

बिहार की भाषा की पाठ्य–पुस्तकों के कुछ अभ्यासों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये अभ्यास भाषा सिखाने के किन उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं –

1. क्या होता अगर कौवे को हिरन दिखाई न देता।
2. मान लीजिए, बहेलिया दूसरी बार भी हिरन को पकड़ लेता, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती? अपने मन से कहानी लिखिए।
3. गोपी ने ऊंट वाली घटना के बारे में अपनी मां को क्या बताया होगा? संवाद लिखिए।
4. शंकर ने बरगद की कहानी अपने दोस्तों को कैसे सुनाई होगी? सुनाइए।
5. 9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक अंश पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए।

   (कोंपल, भाग 2,कक्षा 4, से उद्धृत)
6. पता कीजिए कि जहां अगरबत्तियां बनती हैं, वहां का माहौल कैसा होता है?
7. कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी। उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते?
8. अपने आस–पड़ोस के किसी बाल मज़दूर से बात कर यह पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मज़दूर बना।
9. हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। क्यों?

   (किसलय, भाग 3,कक्षा 8 से उद्धृत)
10. Look at the pictures and make sentences with the words given in the table.
11. Ask the dhildren to choose the name of animals from the cross-word puzzle and write their names in the space gven below.
12. 12. Ask the children to look at the pictures and read the sentences given below.

    (Blossom, Part 2, class2)

आइए, कुछ सवालों पर एक बार और गौर करते हैं।

सवाल 2

मान लीजिए, बहेलिया दूसरी बार भी हिरन को पकड़ लेता, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती? अपने मन से कहानी लिखिए।''इस सवाल के मुख्य रूप से जो उद्देश्य नज़र आते हैं,वे हैं – कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन का विकास। बच्चे को इस सवाल का जवाब देने के लिए कहानी की आगे की घटनाओं के बारे में कल्पना करनी होगी। यह कल्पना अलग–अलग बच्चों की अलग ही होगी। कुछ बच्चे यह कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी बार भी वही हुआ होगा जो पहले घटित हुआ था।(कहानी में चूहे ने जाल को काटकर उसमें कैद हिरन को) कुछ बच्चे यह कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी बार हिरन को किसी और ने बचा लिया होगा जो कुछ बच्चे यह कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी बार हिरन को कोई भी नहीं बचा पाया होगा। अपनी इस कल्पना को वे किन शब्दों या भाषा में व्यक्त करेंगे, उसमें भी अंतर होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे सात वाक्यों में ही आगे की कहानी बता दें तो कुछ दो वाक्यों में ही समाप्त कर दें, जैसे – *कौवे ने बहेलिए की आंख में चोंच मार दी, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। हिरन ने हाथ–पैर मारे और वह आज़ाद हो गया। कौवे ने सोचा कि अगर मैं बहेलिए की आंख फोड़ दूं तो इसे कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर हम हिरन को आज़ाद कर लेंगे। कौवे ने ऐसा ही किया। उसने बहेलिए की दोनों आंखों में चोंच मारी तो वह रोने लगा–'मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा।' कौवा बहेलिए को परेशान करता रहा। उधर हिरन ने हाथ–पैर मारे तो उसका जाल खुल गया। वह आज़ाद हो गया।* दूसरी कल्पना में विस्तार है और यह विस्तार भाषा में भी नज़र आता है। उसे भाषा गढ़नी होगी। जब बच्चा अपनी कल्पना को लिखेगा तो उसके लेखन कौशल का विकास होगा यानी अपने कल्पना को भाषा के सृजन के माध्यम से कागज़ पर उकेरना।

सवाल 10

'*Look at the pictures and make sentences with the words given in the table.*' भी इसी प्रकार का सवाल है जिसमें बच्चों को चित्रों को पहचानते हुए अपने वाक्य बनाने हैं। ज़ाहिर है कि बच्चों के लिए चिड़ियां, बैल, टेलीफोन आदि अलग अर्थ रखते होंगे और यह भी कि इन्हें सभी बच्चों ने अलग–अलग संदर्भों में देखा होगा। किसी को चिड़िया का दाना चुगना पसंद होगा या गौर किया होगा तो किसी को चिड़िया का पानी में सिर डुबोकर फिर झटकना या फिर किसी को चिड़िया का पंख पसारकर उड़ना। इसी प्रकार गाय का दूध देना, गायों का सींग मारना या गायों का पूंछ उठाकर दौड़ना आदि बच्चों के आकर्षण के विषय हो सकते हैं। वाक्य बनाने में भाषा की सृजनात्मकता शामिल है।

सवाल 7

कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी। उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते?,' सवाल 8 'अपने आस–पड़ोस के किसी बाल मज़दूर से बात कर यह पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मज़दूर बना।' और सवाल 9 ' हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है।क्यों? ' दरअसल संवेदनशीलता से जुड़े हैं। सवाल 7 और 8 में बाल मज़दूरों के प्रति संवेदनशीलता है तो सवाल 9 में बुज़ुर्गों के प्रति। भाषा अतारी संवेदनाओं का विकास करने में महत्ती भूमिका निभाती है। भाषा एक तरह से उस संसार को हमारे समक्ष ला खड़ा करती है जिसकी कल्पना भी शायद हमने नहीं की थी या जिसके बारे में महज़ हमने सुना ही था। खेमा जिस तरह की यंत्रणा से गुज़रते हुए काम करने को विवश है उसे उसी स्तर पर और उसी गहराई से महसूस कर पाने के लिए जिस तरह की संवेदनशीलता चाहिए वह इस कहानी में भाषा के माध्यम से संभव है। इस कहानी को पढ़ते हुए बच्चे कहीं न कहीं खेमा के चरित्र को जी रहे होंगे और यह संवेदनशीलता उन्हें समझा पाएगी कि उन्हें काम करने को विवश बाल मज़दूरों के लिए क्या करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ऐसी कौन–सी बातें हैं जो किसी के मन को ठेस पहुंचाती हैं।

सवाल 9

दादी अमीना के प्रति हामिद की संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। हमारे बुज़ुर्ग किन मुश्किलों से हमे ं पालते–पोसते हैं और अपनी इच्छाओं को ताक पर रख देते हैं – उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है – यह संवेदनशीलता हामिद के माध्यम से हमें छू जाती है। अपने परिवार, समाज, जेंडर, आस–पड़ोस, पशु–पक्षी आदि के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना भाषा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अनेक भाषाओं में लिखा गया विभिन्न प्रकार का साहित्य पढ़ने–पढ़ाने का एक उद्देश्य यह संवेदनशीलता भी है।

सवाल 10

9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक अंश पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। में बच्चे की पढ़ने की कुशलता का विकास करने की कोशिश की गई है। किन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए उसे दिए गए अंश को ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने का अर्थ है – समझना यानी उसे अंश में कही गई बातों को समझना होगा न कि केवल लिखे गए शब्दों को उच्चरित करना।

इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि भाषा सीखने का उद्‌देश्य बच्चों में वह कुशलता या योग्यता विकसित करना है जिससे वे स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकें और दूसरों की बातों को सुनकर विश्लेषण करते हुए उसकी गहराई को समझ सकें। विभिन्न संदर्भों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए विभिन्न प्रयुक्तियों या 'रजिस्टरों' पर भी अधिकार प्राप्त करना होगा। अतः भाषा की कक्षा में और अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएँ कि वे भाषा का सार्थक प्रयोग कर सकें। अपनी शैली में या अपने तरीके से किसी बात को कहना, लिखना भी भाषा शिक्षण का उद्‌देश्य है। यह भाषा की सृजनशीलता है और बच्चे तो प्रारंभ से ही भाषा का सृजनशील प्रयोग करते ही हैं, चाहे वह कोई कहानी गढ़ना हो या बहाना बनाना हो। किसी से क्या बात कहनी है और कैसे कहनी है – संवेदनशीलता की बात है। अकसर हम किसी से या किसी के बारे में ऐसी बात कह जाते हैं जिसका न तो कोई तार्किक आधार होता है और न ही शिष्टता। कई बार ऐसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं जो किन्हीं की भावनाओं का आहत कर जाती है। कहने का अर्थ यह है कि बात कहते–लिखते समय हमारे शब्दों, वाक्यों का चयन उचित नहीं होता और बात अपने बेहद खराब अंदाज़ में दूसरों को पीड़ा दे बैठती है। ऐसी भाषा जो दूसरों का 'अपमान–सा' या उनकी 'अस्मिता को नकारती हुई–सी' लगती है। भाषा और जेंडर, भाषा और सत्ता, भाषा और अस्मिता आदि अनेक संवेदनशील मुद्‌दों के बारे में आप इकाई 5 में विस्तार से पढ़ेंगे।

भाषा की विभिन्न पाठ्य–पुस्तकों में दिए गए अभ्सास विभिन्न भाषा कौशलों का विकास करने के अवसर देते हैं। यक कौशल हैं – सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने का अर्थ महज़ शब्दों को सुनना नह ीं है बल्कि सुनी गई बात का विश्लेषण करना और उस पर अपनी राय बनाना या प्रतिक्रिया देना है। सुनी गई बातों, कहानियों, कविताओं आदि को अपने निजी जीवन से जोड़ पाना भी ज़रूरी है। यह जुड़ाव सुनने को सार्थकता देता है। बोलना कौशल का अर्थ है विभिन्न संदर्भों में विभन्न विषयों, मुद्‌दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अपनी बात अभिव्यक्त करना है। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना भी बोलना कौशल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम बोलते हैं तो उसमें अनेक मानसिक संक्रियाएँ शामिल होती हैं, जैसे – विचारों को संजोना, तर्क ढूंढ़ना, विचारों की क्रमबद्धता, शब्दों और वाक्यों का चयन आदि। शुरुआती कक्षाओं में बोलने या उच्चारण की शुदधता से अधिक महत्वपूर्ण है – अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की इच्छा, अभिव्यक्त करने का आतमविश्वास। यदि हम बच्चों को उनके अशुद्ध उच्चारण के लिए ही टोकते रहेंगे तो वे संभवतः बोलना ही छोड़ देंगे या 'चुप' हो जाएँगे। पढ़ने का संबंध समझने से है। लिखी या छपी भाषिक सामग्री को पढ़कर अपने लिए उसका अर्थ सुनिश्चित करना पढ़ने की अनिवार्य शर्त है। लिखना कौशल में भी अभिव्यक्ति महत्व्पूर्ण है। श ुरुआती कक्षाओं में

यदि बच्चों के लेखन में हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों की तरफ ही संकेत करते रहे तो संभव है कि बच्चों में लेखनके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएँ लिखना और बोलना में एक पक्ष समान है और वह है – अभिव्यक्ति लेकिन बोलना में हम अभिव्यक्ति के लिए भाषिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने में उन ध्वनियों के प्रतीक चिह्नों या लिपि का। इस प्रकार लेखन में भी वे सभी मानसिक संक्रियाएँ शामिल हैं जो बोलने में शामिल होती हैं। बोलने में हम अनुतान यानी उतार–चढ़ाव, बल, विराम आदि के माध्यम से कहने को पुष्ट करते हैं वहीं लेखन में यह काम विभिन्न विराम–चिह्नों के माध्यम से किया जाता है। वर्तनी का ध्यान रखना केवल इसी रूप ज़रूरी है कि उसकी वजह से कहीं अर्थ बदल न जाए या अर्थ की संगति न बैठ पाए, जैसे – मेला देखने चलागे?/मैला देखने चलोगे? एक और ज़रूरी बात! व्ह यह कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से नहीं बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनते भी है और संवाद में बोलना और सुनना साथ–साथ चलता है। इसी प्रकार पढ़ना–लिखना भी साथ–साथ घटित होता है। जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी जाते हैं। चारों कौशल अंतःसंबंधित हैं। एक कौशल का विकास देसरे कौशल के विकास को प्रभावित करता है। कक्षा में बच्चों को इस प्रकार के अवसर दिए जाएँ कि वे भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और अपने आस–पास फैली भाषिक दुनिया को समझ सकें।

4.5.1 शुरूआती पढ़ना-लिखना : अवधारणा एवं महत्व

मनन 6

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि बच्चे जब अपने आस–पास अलग–अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, तरह–तरह की छपी हुई सामग्री देखते हैं तो उनकी तस्वीर उनके दिमाग में एक तरह से छप जाती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे हम किसी व्यक्ति को पहली बार देखकर उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बसा लेते हैं। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति का नाम भी उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बसा लेते हैं। इस प्रक्रिया को दुबारा देखते हैं तो झट से उसे पहचान जाते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। स्कूल जाने से पहले ही बच्चे अपने आस–पास के प्रिंट से एक रिश्ता बना लेते है, भले ही वे उस भाषा के लिपि–चिह्नों से परिचित ना हों। झुनिया के मामले में भी यही बात है। वह प्रिंट से एक रिश्ता कायम कर चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि यह रिश्ता बनता कैसे है। इस रिश्ते के बनने में प्रिंट के संपर्क में लगातार आना ज़रूरी है। बच्चे लिपि–चिह्नों को जाने बिना भी उन्हें 'पढ़' सकते हैं। दरअसल पढ़ने की प्रक्रिया तभी से शुरू मानी जाती है तब से बच्चे प्रिंट से अपने लिए एक अर्थ का निर्माण करते है। 'पारले जी' बिस्कुट का पैकेट देखकर कुछ बच्चे उसे 'बिस्कुट' कहेंगे तो कुछ बच्चे उसे 'पारले' कहेंगे तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो उसे 'पारले जी' कहेंगे। शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो उसे देखकर वो चाहिए' कहेंगे। इन सभी में एक बात समान है कि बच्चों के लिए उस प्रिंट का एक खास अर्थ है, भले ही वह सबके लिए अलग–अलग हो। यह अर्थ ही 'पढ़ना' का मूल है। यह अर्थ ही 'पढ़ना कौशल को 'पढ़ना' बनाता है।

मनन 7

अपने आस–पास और स्कूल में वर्ग एक और दो के बच्चों का अवलोकन कीजिए और बताइए –

1. वे किन–किन चीजों को पहचानते है?

....

....

....

2. किन–किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं और क्या बात करते हैं?

....

....

....

'क्या है पढ़ना?

क्या हमने कभी सोचा है कि पढ़ना क्या है। क्या अर्थ के अभाव में 'पढ़ना' को 'पढ़ना' माना जाएगा? इस सवाल के जवाब में अनेक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं –

- छपी हुई सामग्री को उच्चरित करना।
- अक्षरों की ध्वनियों को जोड़कर शब्द और फिर वाक्य बनाना।
- लिखी हुई बात को समझ पाना।
- किसी भाषा की लिपि को पहचानना।
- छपी सामग्री की विषय–वस्तु से किसी अनुभव, जानकारी, भावना, घटना, बिंब, आदि का अनायास याद आना।
- छपी सामग्री की विषय–वस्तु को किसी पूर्व–परिचित संदर्भ में रखना।
- तेज़ रफ्तार से अक्षर पहचानकर उन्हें जोड़ पाना।
- रफ्तार से शब्द–पहचान करते हुए और अनुमान लगाते हुए छपी सामग्री को समझना।
- छपी सामग्री पर भावानात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया दे पाना। जैसे–डर, जोश, विस्मय आदि जैसे भावों को स्वयं महसूस करना।
- पढ़े हुए वाक्य के अंश के आधार पर बाकी वाक्य में आने वाले शब्द (दोष को भाँप लेना)।

सरसरी निगाह दौड़ाने पर इनमें से बहुत से जवाब एक–से ही लगेंगे पर उनमें बारीक फर्क है। इन जवाबों में से कोई भी एक जवाब पढ़ने के कौशल का ठीक–ठीक या पूरा–पूरा विवरण नहीं देता है। इन सभी जवाबों में पढ़ने को कुछ अंश शामिल है। और जब इन सभी जवाबों को एक साथ रखा जाए तब 'पढ़ने' के हर पहलू को समझा जा सकता है। यानी पढ़ना केवल लिपि या लिपिबद्ध (भाषा को भेदना ही नहीं बल्कि छपी सामग्री से कई स्तरों और उसके कई पहलुओं से अंतक्रिया करना भी है। पढ़ने की इस समग्र परिभाषा में बहुत से ऐसे कौशल और क्रियाएँ सम्मिलित है। हर एक कौशल की सफलता और सार्थकता दूसरे कौशलों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यह कहना गलत न होगा कि सिर्फ एक या कुछ कौशलों का होना पढ़ने को अधूरा बनाता है।

1. पढ़ना सिखाते समय आप इनमें से क्या–क्या सिखाती है?

अक्षर पहचान, अक्षर–ध्वनि जुड़ाव, वर्तनी, मात्राएँ, बारहखड़ी, संदर्भ से अनुमान लगाना, वाक्य विन्यास से अर्थ समझना, कई युक्तियों का इस्तेमाल, चित्रों को गौर से देखना, पढ़ने से पहले पठन सामग्री पर बातचीत करना।

2. इनमें से सबसे ज़्यादा केंद्र में कौन–सी चीज़ें रहती है? किन्हीं तीन का नाम लिखें।

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

3. ज़रा सोचिए कि पढ़ना सिखाते वक्त, भाषा के कौन–से पक्ष पर आप ज़्यादा ध्यान देती हैं?

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

पढ़ने में शामिल कौशल

पढ़ने का कौशल बेहद सहज और स्वाभाविक है। यह वाक्य उनके लिए सत्य है जिन्हें पढ़ना सिखाया नहीं बल्कि बेरोकटोक पढ़ने के मौके दिए गए हैं। इन व्यक्तियों को पढ़ने की सार्थकता और उसके इस्तेमाल से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

पढ़ने को कौशल जटिल और रहस्मय भी है। यह उन पर लागू होता है जो पढ़ने के कभी करीब नहीं पहुँच पाए क्योंकि वह पढ़ने की तैयारी में ही उलझे रहे। पढ़ने के आनंद और उसके स्वाद से अनभिज्ञ रहे। इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ना एकल कौशल नहीं है। उसमें बहुत से कौशल निहित हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए है और पढ़ने का मूल इन कौशलों के अंतरसंबंध में ही छिपा है। कोई भी उपकौशल अपने आप में पूर्ण नहीं है और एक या दो कौशलों को सीख लेने से पढ़ना आने का दावा नहीं किया जा सकता। ये कौशल कौन–से हैं और उनके अंतरसंबंध की प्रकृति क्या है? कुछ उदाहरणों के जरिए पढ़ने के इस बारीक पक्ष को समझने की कोशिश की जा सकती है।

जक सलली मर्य कोरच थै इप्फना।

ऊपर दिया वाक्य आपने 'पढ' लिया होगा। 'पढ़' इस अर्थ में होगा कि शब्दों को उच्चरित कर लिया होगा। आप इस वाक्य से क्या समझ पाए?

अब एक दूसरा उदाहरण देखें।

वे लोग रातों–रात बनन से कानपुर पहुँचें।

देवनागरी लिपि में लिखा होने के कारण हमने इसे पढ़ तो लिया परंतु क्या समझ पाए? क्या पढ़ना समझ के बगैर संभव है? शब्दों को उच्चरित कर लेना, शब्दशः पढ़ लेना दरअसल पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो तब होता है जब हम पढ़े हुए को समझ पाएँ, अपने अर्थ आरोपित कर पाएँ। परंतु यहाँ किन कारणों से हम ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं?

- हम इस भाषा से परिचित नहीं है। हम इसे समझ नहीं पाते।
- इसमें कही गई बात से हम अपरिचित हैं। यहाँ किन अवधरणाओं की बात की जा रही है उनसे हम वाकिफ नहीं हैं।

तो हम कह सकते हैं कि

- लिपि (अक्षर–ध्वनि) से परिचय
- भाषा से परिचय
- भाषा की वाक्य–संरचना और शैली से परिचय
- विषय से परिचय

इनकी मदद के बगैर हम पढ़ नहीं सकते। 'पढ़ने' में ये सभी सहायक होते हैं।

(i) **भाषा से परिचय** – पढ़ी जा रही भाषा को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा को जानना और समझना होगा। इसके अभाव में 'पढ़ना' संभव ही नहीं है। बोली जानेवाली भाषा ही लिपिबद्ध होती है और यदि हम बोली गई भाषा ही नहीं जानते तो लिखी गई बात पढ़ ही नहीं सकते।

(ii) **भाषा विन्यास/शैली** – हर भाषा एक विशेष संरचना में बँधी होती है चाहे वह शब्दों के स्तर पर हो, ध्वनियों के या वाक्यों के।

(iii) **पूर्वज्ञान/पूर्वानुभव** – भाषा और विषय दोनों से संबंधित ज्ञान ही पूर्वज्ञान कहलाता है जिसकी सहायता से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखने, पढ़ने, सुनने के समय अर्थ निर्मित करते रहना पूर्वानुभव या पूर्वज्ञान की सहायता से ही होता है। पूर्वानुभव या पूर्वज्ञान का अर्थ है। व्यक्ति के पहले के सभी अनुभव से बनी अवधारणाएँ 'स्कीमा' के रूप में हमारे मस्तिष्क में संचित हो जाती हैं। इसे समझने के लिए हम एक डाकखाने को दृष्टांत ले सकते हैं। जिस प्रकार अलग–अलग जगह की चिट्ठियों के लिए खाने बने रहते हैं ओर विशेष जगह की चिट्ठी उन खानों या उस दराज़ में चली जाती है उसी प्रकार हमारे अनुभव भी स्कीमा के रूप में खास खाकों में चले जाते हैं। ये खाके आपस में जुड़े होते हैं। जैसे–जैसे हमें नए अनुभव होते हैं और नयी अवधारणाएँ बनती हैं वैसे–वैसे ही इनमें और 'स्कीमा' जुड़ते रहते हैं। कई बार प्राप्त नए अनुभवों के अनुसार उस स्कीमा के स्वरूप में कुछ फेरबदल भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार स्कीमा का विकास एवं विस्तार निरंतर होता रहता है। पढ़ते समय हम पाठ और 'स्कीमा' में संबंध बिठाते चलते हैं। स्कीमा और पाठ का अंतर्संबंध जितना स्पष्ट होगा हमारे लिए पाठ उतना ही स्पष्ट और अर्थपूर्ण होगा। पाठक पढ़ी जा रही सामग्री तभी समझ पाता है जब वह उसके पूर्व अनुभव से जुड़ती है।'

(एन.सी.ई.आर.टी द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'पढ़ने की समझ',2008:20–24 से साभार।)

मनन 8

नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्या लिखा है?

1. क्वाड़े जाउ छी?

....

2. मूं घर जीबी।

....

3. केमिति आछाँन्ति?

....

यदि आप उड़िया भाषा से परिचित हैं तभी आप इन वाक्यों का अर्थ समझ–समझा पाएँगे। हालांकि उड़िया भाषा के ये वाक्य देवनागरी लिपि में लिखे हैं और आप इन्हें केवल उच्चरित ही कर पाएँगे लेकिन अर्थ तभी समझना संभव होगा जब आप उस भाषा के शब्दों की अर्थ–व्यवस्था से परिचित हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पढ़ना अथवा वाक्यों का उच्चारण या डिकोडिंग मात्र नहीं है बल्कि अर्थ समझना ज़रूरी है।

इस चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि पढ़ने का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है और अर्थ ग्रहण करने में बच्चे के पूर्व अनुभव उसकी मदद करते हैं। अतः यह ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ने के भरपूर अवसर दिए जाएँ। विविध प्रकार की सामग्री से बच्चों को संवाद करने का भी अवसर दिए जाएँ। बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। हाँ, यह बाल साहित्य बच्चों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। पढ़ना सीखने के लिए पढ़ने की प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण होना भी ज़रूरी है। बच्चों को ऐसी पठनसामग्री उपलब्ध कराई जाए जो उनके लिए अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। हम क्यों पढ़ते हैं? आप और हम भी किन्हीं खास उद्देश्यों के लिए पढ़ते हैं। ये उद्देश्य हो सकते हैं – किसी खास जानकारी के लिए पढ़ना, आनंद या मनोरंजन के लिए के लिए पढ़ना, जिज्ञासा के लिए पढ़ना आदि। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किया जाए और प्रिंट भी ऐसा जिसमें बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग हो।

अब सवाल उठता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार बच्चों को पढ़ने के भरपूर दिए जाएँ। यदि कक्षा में 'रीडिंग कॉर्नर' बनाए जाएँ तो दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। रीडिंग कॉर्नर कक्षा का वह महत्वपूर्ण भाग है जहाँ बच्चों के स्तर और मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पढ़ने को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जिसमें बाल साहित्य के विविध रंग देखे जा सकते हैं। इस बाल साहित्य का उपयोग बच्चों को कहानी सुनाने के लिए भी किया जा सकता है और बच्चों को किताब उलटने–पटने, देखने, निहारने, चित्रों के आधार पर लिखी हुई सामग्री के बार में अनुमान लगाने अथवा स्वयं पढ़ने के अवसर देने के लिए भी। पढ़ी

गई कहानी को सुनना, पढ़ना सीखने में बेहद मददगार साबित होता है। बच्चों की परिचित कहानी को जब बार–बार उनके लिए पढ़ा जाता है तब बच्चे कहानी की घटना, घटनाक्रम, वाक्य–संरचना से भी परिचित हो जाते हैं और सही समझ उन्हें अनुमान लगाकर पढ़ने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त कक्षा में लगे बुलेटिन बोर्ड की सामग्री भी पढ़ने की सामग्री बन सकती है। विभिन्न कहानी–कविताओं के पोस्टर, बच्चों द्वारा बनाई गई कहानियाँ, चित्र आदि भी रोचक पठन सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। 'पढ़ना एक ऐसा कौशल है जिसका निरंतर विकास होता रहता है। संगीत की तरह पढ़ना भी कोई ऐसी कला नहीं जिस पर एक बार में ही महारत हासिल कर ली जाएँ अपितु यह ऐसा कौशल है जो अभ्यास के साथ निरंतर निखरता है। यह प्रक्रिया उसी वक्त शुरू हो जाती है जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी पढ़ने–लिखने वाली संस्कृति व पहली पाठ्य–सामग्री के समकक्ष होता है। पहला नियम जिसका सदैव पालन करना चाहिए वह यह है कि पढ़ने को समग्र प्रक्रिया से शुरू किया जाए।' (शैक्षणिक संदर्भ' अंक–29:52 में प्रकाशित प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री के अनूदित लेख 'पढ़ना किसे कहते हैं?' से साभार।)

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पढ़ना एक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य लिखित सामग्री का अर्थ जानना है। पढ़ने की प्रक्रिया के कुछ पड़ाव होते है जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। सभी बच्चे इस प्रक्रिया से गुज़रते हैं और हर बच्चा अपनी ही गति से आगे बढ़ता है, इसलिए बच्चों को रोक–टोक कर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। पढ़ने के की कुशलता का विकास करने के लिए विद्यालय में दाखिले के पहले दिन से ही उन्हें किताबों के संर्पक में आने के अधिक से अधिक अवसर दें। कक्षा में प्रिंट समद्ध वातावरण बनाएँ और उसका इस्तेमाल पढ़ने के विभिन्न अवसर देने के लिए करें। यह भी ध्यान रखें कि बच्चो से आपकी बातचीत, कहानी, कविता सुनाना आदि भी ऐसे अवसर हैं जो भाषाई कौशलों की समझ बनाने में सहायक होते है।

शुरुआती लेखन

आइए, एक और अनुभव पढ़ते है। तीन–चार साल का जतिन अकसर कागज़ पर कुछ–कुछ आड़ी–तिरछी रेखाएँ खींचता रहता है। जब उससे उन रेखाओं के बारे में पूछा जाता है कि यह क्या बनाया है तो वह कहता है कि यह चूहा है। कभी कुछ रेखाओं को चिड़िया/पतंग/मछली आदि बताता है। इन आड़ी–तिरछी रेखाओं में बड़ों को भले ही कोई स्पष्ट आकृति नज़र न आए लेकिन इन सभी का जतिन के लिए एक खास अर्थ है। वह इन आड़–तिरछी रेखाओं में मन की बातें लिखता है, अभिव्यक्त करता है। 'लिखना' भी एक तरह की बातचीत है जिसमें हम अपने मन की बातों को

अभिव्यक्त करते हैं। सवाल अगर अभिव्यक्ति का है तो उसमें भी अर्थ महत्वपूर्ण है। जब बच्चे स्वयं के द्वारा बनाई गई आड़ी–तिरछी रेखाओं में अर्थ खोज पाते है, अर्थ बता पाते हैं तो यह लिखना ही है। यह लिखने का एक पड़ाव है, एक चरण है।

मनन 9

1. विभिन्न बच्चों द्वारा बनाई गई इन आड़ी–तिरछी रेखाओं में आपको क्या तस्वीर नज़र आती है? आपने यह अनुमान कैसे लगाया?

चित्र 1

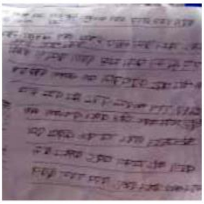

चित्र 2

चित्र 3

(तीनों चित्र एन.सी.ई.आर.टी. के प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम से साभार)

2. बच्चों द्वारा बनाए गए इन चित्रों के माध्यम से उनकी प्रिंट संबंधी कौन–सी समझ व्यक्त होती है?

....

....

....

विभिन्न बच्चों द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों से उनकी प्रिंट संबंधी अनेक योग्यताओं की झलक मिलती है। एक, हम जो बात कहते हैं यानी मन की बात को लिखा भी जा सकता है। दो, हिंदी में लिखने की प्रक्रिया बाएँ से दाएँ चलती है। तीन, जो लिखा जाता है उसका एक अर्थ होता है। चार, लिखी गई बात को पढ़ा जाता है। पहले उदाहरण में बच्चे ने केवल रेखाएँ खींची हैं लेकिन उसका एक अर्थ है। दूसरे उदाहरण में बच्चे ने कुछ 'अक्षर' बनाए हैं और उन पर शिरोरेखा लगाई है। तीसरे उदाहरण में बच्चे ने कुछ चित्र बनाए हैं और उन्हें नाम भी दिया है।

आइए, जानें कि 'लिखना' क्या है।

जब हम लिखने की बात करते है और वह भी कक्षा एक और दो में तो कई ऐसी बातें उठती है जो कहीं न कहीं शिक्षकों की 'लिखना' संबंधी अवधारणाओं से गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सामन्यतः निम्नलिखित कथन सुने जा सकते हैं –

- ये बच्चे पढ़ना तो जानते नहीं, लिखने का काम कैसे करेंगे?
- लिखने के काम में तो ये सिर्फ बोर्ड से देखकर अपनी–अपनी कॉपी में उतार सकते हैं।
- लिखने का क्या है, बस अ, आ, इ, ई, उ लिखना सीख जाएँ, यही बहुत है।
- जब तक अक्षर या वर्ण की सही बनावट नहीं सीखेंगे तो लिखना कैसे सीख पाएँगे?
- हम तो एक–एक पन्ना क, ख, ग लिखने को दे देते हैं। बस यही है लिखना।

इन सभी जवाबों में 'लिखना' की एक संकीर्ण समझ नज़र आती है। अधिकतर शिक्षकों के लिए लिखना केवल अक्षर अथवा वर्ण लेखन तक ही सीमित है। वे आड़ी–तिरछी रेखाओं को 'लेखन' स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करते है। उनके लिए लिखने में अक्षरों, शब्दों की सही–सही बनावट और सही–सही वर्तनी ही महत्वपूर्ण है। वे लिखने के प्रयास की न तो सहारना कर सकते हैं और न ही उसे वर्तनी से मुक्त होकर देख सकते हैं जबकि लिखना एक प्रकार का संवाद है। बच्चे विभिन्न प्रकार से उस अर्थपूर्ण संवाद या बातचीत को अभिव्यक्त करते हैं। वास्तव में लिखने का अर्थ है –

- बच्चे निःसंकोच होकर अपने मन की बात लिख सकें।
- बच्चे आड़ी–तिरछी लकीरों से शुरुआत कर चित्रों/वाक्यों/शब्दों से अपने मन की बात व्यक्त कर सकें।
- बच्चें अपने अनुभवों/इच्छाओं/विचारों आदि को लिखकर व्यक्त करने के लिए उत्सुक हों।

मनन 10

1. अपनी कक्षा के बच्चों की भाषा सहित अन्य विषयों की कॉपियों को देखिए और उनके लेखन के तरीके और विषय–वस्तु का विश्लेषण कीजिए –

....
....
....

2. क्या आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लिखने में रुचि लेते हैं? आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है?

....
....
....

3. क्या आपकी कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते? इसका क्या कारण हो सकता है?

....
....
....

4. दोनों तरह के बच्चों के लेखन के नमूने इकट्ठे कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर नज़र आता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

....
....
....

अनेक बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को लेखन के यांत्रिक अभ्यास की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है तो वे लेखन के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं। कॉपी में केवल अ, आ, इ, ई, उ, नल, पल, फल आदि लिखना एक प्रकार से यांत्रिक लेखन का अभ्यास है जिसमें अर्थ 'नदारद' है। इतना ही नहीं अगर लिखते समय वर्तनी संबंधी कोई त्रुटि हो जाए तो बच्चों को डांट–फटकार और अपमान सहना पड़ता है। गलती हाेने और गलती होने पर अपमानित होने के डर से अधिकतर बच्चे लिखने से कतराने लगते हैं या लिखने में बोरियत महसूस करने लगते हैं। आइए, आपको एक ऐसी कक्षा में ले चलते हैं जहाँ लिखना बच्चों के लिए एक रोचक कार्य है।

दीपा कक्षा एक को पढ़ाती है। उसकी कक्षा में बच्चे उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ बच्चों को प्रिंट समृद्ध परिवेश उपलब्ध नहीं है। न तो उनके घरों में ही अखबार आता है और न ही स्कूल में। दुकानों पर, दीवारों पर भी जो लिखत नज़र आती है वह भी उनके रुचि क्षेत्र से मेल नहीं खाती। लेकिन दीपा ने अपनी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का निर्माण किया है। दीवारों पर बच्चों की मनपसंद कविताओं, कहानियों के चित्र और वह पाठ्य–वस्तु जिनसे बच्चे परिचित हैं, जिन्हें बच्चे गाते, कहते हैं। बच्चों के

लिखित कार्य, चित्रों को भी दीपा ने कक्षा की दीवारों पर अच्छी तरह से लगया हुआ है।

एक दिन दीपा ने बच्चों से कहा कि वे उन चीज़ों के बारे में बताएँ जो वे अपने घर से स्कूल आते–जाते देखते हैं। बच्चे पूरे उत्साह से नाम बताते चले गए और दीपा उन शब्दों को बोर्ड पर लिखती चली गई। दीपा ने बच्चों को बोर्ड पर लिखे शब्दों को पहचानने, उनके बारे में अनुमान लगाने का पूरा अवसर दिया। फिर बच्चों को उन चीजों के चित्र बनाने के लिए कहा जो वे आते–जाते देखते हैं। बच्चों ने चित्र भी बनाए और उनमें रंग भी भरे। हाँ, कुछ बच्चों के चित्रों में उतनी स्पष्टता नहीं थी। कुछ बच्चों के चित्र मुश्किल से समझ में आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बच्चों ने कोशिश तो की। दो–तीन बच्चों ने तो अपने घर के आस–पास का पूरा दृश्य ही कागज़ पर उतार दिया। बच्चों से कहा कि वे चित्रों के नीचे उनके नाम भी लिखें। कुछ बच्चे अनुमान लगाकर नाम लिखने लगे और कुछ बच्चों ने दीपा से पूछ–पूछकर नाम लिखे। नाम लिखने की यह प्रक्रिया अर्थपूर्ण थी, क्योंकि बच्चे जिन शब्दों को लिख रहे थे, उनके नाम से परिचित थे। लिखे हुए को पढ़ने के प्रयास में बच्चे लगातार प्रिंट के संपर्क में आ रहे थे जो पढ़ने–लिखने में मदद करता है। इससे पढ़ने–लिखने के बीच जो गहरा रिश्ता है – वह भी उजागर होता है। दीपा की कक्षा में पढ़ना–लिखना साथ–साथ घटित हो रहा है।

मनन 11

अपनी कक्षा में करके देखें –

1. बच्चों को उन चीजों के बारे में लिखने के लिए कहें जो वे अपने घर में देखते है।
2. बच्चों को अपने स्कूल की वे चीज़ें बनाने के लिए कहें जो उन्हें बेहद पसंद हैं।
3. बच्चों को अपने मन की वह बात लिखने के लिए कहें जो वे अपने दोस्त से कहना चाहते हैं।

बच्चों के काम को देखें और विश्लेषण करें कि बच्चों ने अपने लेखन में क्या–क्या उकेरने की कोशिश की है।

....

....

....

....

उपर्युक्त पूरी चर्चा 'शुरुआती पढ़ना–लिखना' के नज़रिए को उजागर करती है। शुरुआती पढ़ने–लिखने में निम्नलिखित योग्यताएँ मौजूद है।

- पढ़ने की योग्यता
- लिखने की योग्यता

'शुरुआती पढ़ना–लिखना' विद्यालयी जीवन के शुरुआती वर्षों यानी कक्षा एक और दो में पढ़ने–लिखने की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करती है कि बच्चे किस प्रकार पढ़ना–लिखना सीखते हैं। ऐसे कौन–से कारक हैं जो बच्चों के पढ़ने–लिखने को प्रभावित करते हैं? बच्चों के पढ़ने–लिखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक, विद्यालय और अभिभावकों का क्या भूमिका है? आदि।

मनन 12

1. अपने बचपन को याद कीजिए और बताइए कि अपने पढ़ना–लिखना कैसे सीखा?

....

....

....

2. आम तौर पर कक्षा एक और दो में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है?

....

....

....

3. कक्षा एक और दो में बच्चों को लिखना सिखाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है?

....

....

....

....

4. आप अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ना–लिखना कैसे सिखाते हैं?

....

....

....

सामान्यतः कक्षा एक और दो में बच्चों को पढ़ना–लिखना सिखाने के जो तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बल इस बात पर रहता है कि बच्चे किस तरह 'वर्णमाला' सीख जाएँ। शिक्षकों की यह मान्यता है

कि वर्णमाला सीखे बिना पढ़ने–लिखने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने–लिखने की प्रचलित पद्धतियों पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि वहां वर्णमाला पर ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया जाता है। इतना ही नहीं जब भी पढ़वाए जाते हैं या उनके पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है तो वह भी संदर्भहीन होता है। इस तर पढ़ने की पूरी प्रक्रिया अर्थहीन हो जाती है। इस संदर्भ में डॉ. शोभा सिन्हा अपने लेख'शुरुआती पढ़ाई का एक वैकल्पिक रास्ता' में यह स्पष्ट करती हैं कि यदि बच्चों को ऐसे माहौल में रहने का मौका मिले जहाँ उनके इर्द–गिर्द किताबें हों तो वे लिखित भाषा के बारे में अधिक सक्रियता से अनुमान लगाकर सीखते हैं। उन्हें औपचारिक रूप से भाषा के सभी यांत्रिक पहलू सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों के पढ़ने–लिखने के प्रारंभिक प्रयत्नों पर गौर करने से पता चलता है कि यह कैसे होता है। बच्चों की औपचारिक गतिविधियों जैसे लिखने के नाम पर लीक–लकीरें खीचने और किताब लेकर बड़ों की तरह पढ़ सकने की कोशिश करने को देखने से, उनके पढ़ना सीखने के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। समस्या यह है कि बच्चे जब भी इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो उनकी तुलना वयस्को ं से की जाती है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे क्या जानते हैं तो हमें उनकी कल्पनाओं, उनके द्वारा लगाए जाने वाले अनुमानों के बारे में काफी पता चलेगा। तीसरे, पढ़ाई के कार्यात्मक पहलू भी उसके औपचारिक पहलुओं जितने अहम होते है। बच्चे भाषा सीखने और उसका उपयोग एक साथ करते है। पढ़ना सीखने के उद्देश्यों में आनंद और संप्रेषण दोनों शामिल है।

(पढ़ने की दहलीज पर, एनसीइआरटी, 2008: 7–13)

इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि 'शुरुआती पढ़ना–लिखना' का संबंध कक्षा एक और दो में पढ़ने–लिखने की प्रक्रियाओं से है। शुरुआती वर्षों में पढ़ना–लिखना सिखाने के लिए यह ज़रूरी है कि –

- बच्चों को भरपूर रोचक बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाए।
- बच्चों को उन पुस्तकों कें साथ संपर्क बनाने, उन्हें, छूने, उन्हें उलटने–पलटने का अवसर दिया जाए।
- जब शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएँ तो पाठ्यसामग्री पर अंगुली भी रखते जाएँ इससे बच्चों को बोले हुए और लिखे हुए शब्दों के बीच संबंध बनाने का अवसर मिलेगा।

- चित्रात्मक कहानियों का उपयोग बच्चों में पढ़ने और छपे हुए के बारे में अनुमान लगाने का अवसर प्रदान करेगा।
- चित्रों पर बच्चों के साथ बातचीत की जा सकती है। यह बातचीत चित्रित संसार को समझने में उनकी मदद करेगा।
- कक्षा में बच्चों के साथ निरंतर बातचीत की जाए और यह बातचीत भी ऐसी हो जिसमें उनके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सामावेश हो।
- बातचीत के दौरान बच्चों को अपनी भाषा का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। बच्चों के पास विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा का सार्थक पूंजी होती है।
- बच्चों के अनुभव संसार में से कुछ बातों को शिक्षक बोर्ड पर लिख दें। उस लिखे हुए को पढ़कर सुनाएँ। यहाँ लिखित भाषा अपरिचित हो सकती है लेकिन अनुभव या लिखित बात या लिखित विषय–वस्तु परिचित होती है। जो वे जानते हैं उसके सहारे जो वे नहीं जानते उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे बोले और लिखे के बीच संबंध बनाएँगे। वे लिखित भाषा को सार्थक या अर्थपूर्ण रूप में देखेंगे।
- एक सार्थक संदर्भ में ध्वनि–संकेतों को समझने में सक्षम हों और बच्चे अपरिचित शब्दों को भी पढ़ने की कोशिश करें।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=uBsyq7_RPNk

4.6 लिपि

अब तक हमने भाषा सीखने के संबंध में एक बेहतर समझ बना ली है। आइए, अब लिपि के संबंध में कुछ बारीकियों को जानने–समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते ही हैं कि भाषा दुनिया को समझने और उसकी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने का एक साधन है। वह हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। यह अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर की जा सकती है। जब बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है और वही विचार जब लिखकर व्यक्त किया जाएं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थायी रूप देता है, हालांकि, आजकल बातचीत या भाषण आदि को रिकॉर्ड करने की सुविधा उपलब्ध है परंतु मौखिक भाषा का पूर्णतः स्थायी रूप हो नहीं सकता, क्योंकि मौखिक भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा का लिखित रूप लिपि के कारण संभव है और अपेक्षकृत कम परिवर्तनशील है। भाषा की मूल प्रकृति लिप्यात्मक नहीं, उच्चारणात्मक है। लिपि के कारण हम दूर बैठे किसी व्यक्ति या अपने किसी प्रिय को पत्रों, और अब तो ईमेल का ज़माना आ गया है – के द्वारा अपनी बात, कोई संदेश या सूचना दे सकते हैं। इतना ही नहीं आज हम जो लिपि के बारे में बात कर रहे हैं वह भी इसलिए, क्योंकि स्वयं लिपि के बारे में आज बहुत कुछ लिपिबद्ध है। लिपि स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ छोड़ गई है।

क्या है लिपि?

वस्तुतः भाषा ऐसी ध्वनियों का एक सुव्यवस्थित समूह होता है जिसका अपना कुछ विशेष अर्थ होता है। प्रत्येक भाषिक ध्वनि को हम एक चिह्न या संकेत के माध्यम से इंगित करते हैं। यह निश्चित ध्वनि–चिह्न ही लिपि है जो प्रत्येक भाषा में प्रायः अलग है। लिपि से तात्पर्य लिखित चिह्नों की उस व्यवस्था से है जिनके द्वारा भाषा को आकार एवं स्थायित्व दिया जाता है। देवनागरी, रोमन, फारसी सहित कई लिपियाँ हैं जो आजकल प्रचलित हैं।

मनन 13

नीचे दिए प्रश्नों पर विचार कीजिए और अपनी राय दीजिए –

(क) यदि लिपि नहीं होती तो हमारा भाषा संसार कैसा होता?

....

....

....

....

(ख) जब लिपि नहीं थी तो परस्पर संवाद का माध्यम क्या रहता था?

....

....

....

लिपि का विकास

लिपि का आविष्कार सम्याता और संस्कृति के प्रसार, सुरक्षा के भाव तथा विचारों के आदान–प्रदान के लिए हुआ। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि लिपि का आशय सिर्फ वर्ण–लिपि से नहीं है। जिस प्रकार लेखन कला के अभाव में साहित्य का निर्माण संभव है, उसी तरह वर्णमाला के अभाव में भी लिपि का होना संभव है, वर्णमाला के अभाव में मनुष्य रज्जू या रेखाचित्र आदि के सहारे अपने भावों या विचारों को लिपिबद्ध करता था। इसी कारण इन्हें दुनिया की आदि लिपि माना जाता है। लिपि का आविष्कार कब हुआ, यह आज भी हमारे लिए अबूझ पहेली है। हाँ, इतना तो स्पष्ट है कि लिपि का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा बल्कि यह तो सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। आजतक लिपि के संबंध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 10,000 ई॰पू॰ और 4,000 ई॰ पू॰ के बीच लगभग 6000 वर्षो में क्रमशः लिपि का प्रारंभिक विकास होता रहा।

लिपि के विकास–क्रम में हमें निम्न प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं –

(क) चित्रलिपि –

लेखन इतिहास का प्रथम पायदान है। रेखाएँ विकसित होकर चित्र में बदलने लगीं। मनुष्य कुशलतापूर्वक रेखाओं से नक्काशी करने लगा तब चित्रकला की उत्पति हुई। विभिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा परस्पर विचार–विनिमय होने लगा। ये चित्र प्रायः शिलाओं, पेड़ों की छालों तथा जानवरों की खालों, हड्डियों और सींघों पर बनाए जाते थे।

(ख) सूत्र लिपि (रज्जू लिपि) –

सूत्र लिपि या रज्जू लिपि की परंपरा प्राचीन काल से आज तक किसी न किसी रूप में हमारे बीच चली आ रही है। याद कीजिए, न भूलने के लिए आप आज भी रूमाल या साड़ी में गाँठ डालते हैं। गाँठ डालने का काम

रस्सियों को रंग–बिरंगों रंगों से रंगकर, रस्सी में मोती, धोधे आदि बाँधकर, अलग–अलग दूरियों पर गाँठ या गिरह डालकर–आदि तरीकों से होता था। बंगाल के संथालों तथा कुछ जापानी द्वीपों में अब भी यह लिपि कुछ रूपों में प्रयोग में आती है।

(ग) प्रतीकात्मक लिपि –

इस लिपि में कोई लिपि नहीं है फिर भी प्रतीकात्मक सामानों को देखकर ही दूरस्थ व्यक्ति के विचारों को समझा जा सकता है। गार्ड के लाल और हरी झंडी पर गाड़ी का चलना या रुकना, युद्ध में सफेद झंडा फहराना, श्रवण निःशक्त लोगों के वार्तालाप आदि इसके उदाहरण हैं। प्राचीन काल में हल्दी और सुपारी वैवाहिक निमंत्रण के प्रतीक थे वहीं आमंत्रण पत्र के कोने का कटा होना शोक संदेश के प्रतीक थे। इस तरह से समाज में ढेरों प्रतीकों का प्रचलन था जिनसे समाज के लोग परस्पर संवाद स्थापित करते थे।

(घ) भावमूलक लिपि – यह लिपि चित्रलिपि का ही परिमार्जित रूप है। इन लिपियों में कुछ चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं और कुछ ध्वनिमूलक। उदाहरण के तौर पर हम पैर के चित्र के प्रचल को देख सकते है। पैर का चित्र तो पैर का प्रतीक है लेकिन भाव चलने का देता है।

मनन 14

दीपावली एवं अन्य शुभ अवसरों पर घर के दरवाजें पर लोग पैर का चित्र चिपकाते हैं या दवाजे के सामने रंगोली बनाते हैं। जानने का प्रयास कीजिए कि यह किस बात या भाव का प्रतीक है।

....

....

....

....

क्या आप जानते हैं –

- जो हम सालगिरह या वर्षगांठ मनाते हैं इसके नाम में सूत्र या रज्जूलिपि की परंपरा अक्षुण्ण है ?
- अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कुछ और उदाहरण ढूंढ़ने का प्रयास कीजिए। उदाहरण है।

(ङ) भाव ध्वनिमूलक लिपि –

भाव–ध्वनिमूलक लिपि भी चित्रलिपि का विकसित रूप है। इस तरह के लिपियों के कुछ चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं और कुछ ध्वनिमूलक। दोनों का उपयोग भी यथा समय होता है। आधुनिक चीनी लिपि भी कुछ हद तक इसी श्रेणी में है।

(च) ध्वनि मूलक लिपि –

ध्वनि मूलक लिपि ध्वनि प्रकट करते हैं और उसी के आधार पर किसी वस्तु का नाम या भाव लिखा जाता है।

लिपि के प्रकार

लिपि को तीन रूपों में देखा जा सकता है –

(1) श्रव्य चित्र मूलक लिपि (Ideographic) – यह लिपि चित्र लिपि का विकसित रूप है। इस तरह की लिपियों में कुछ चिह्न चित्रात्मक, भावामूलक और कुछ ध्वनिमूलक होते है। आधुनिक चीनी लिपि इसका उपयुक्त उदाहरण है।

(2) आक्षरिक लिपि (Syllabic) – इसकी प्रत्येक इकाई में अगर एक या अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिह्न लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता तो स्वर का पूरा चिह्न लगाया जाता है। देवनागरी, गुरुमुखी आदि लिपियाँ इसी समूह में आती हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में 'च' ↗ 'च्' 'अ'। 'मछली, कितना, मौन, पुकारना, रूप' आदि शब्द भी देखे जा सकते हैं।

(3) वर्णिक लिपि (Alphabetic) – इसमें स्वर अपने पूरे अक्षर का रूप लिए आता है। जैसे अंग्रेजी, जर्मन उर्दू आदि इसके उदाहरण हैं, जैसे – Finish, Mango, sale, Municipal, Purity आदि।

भारत की लिपियाँ

प्राचीन काल से ही भारत में लिपियों की मौजूदगी के साक्ष्य प्राप्त हैं। सिंधु नदीघाटी सभ्यता में लेखनकला के साक्ष्य हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत के पुराने शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियाँ–खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि मिलती हैं।

खरोष्ठी लिपि

इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में कई मत प्रचलित हैं। यह लिपि फारसी लिपि की तरह पहले दाँए से बाँए लिखी जाती थी। कालान्तर एवं बाएँ से दाएँ लिखी जाने लगी। विद्वान इसका कारण इस पर ब्राह्मी लिपि

का प्रभाव मानते हैं। इस लिपि में मूलतः स्वरों का अभाव था। कुछ कमियों की वजह से इसे कामचलाऊ लिपि कहा जाता है। नीचे हम इस लिपि के अक्षरों को देख सकते है।

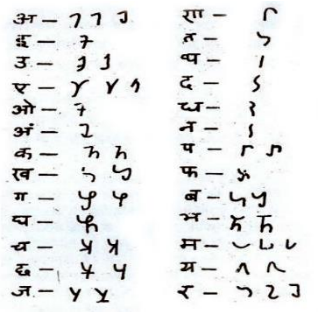

खरोष्ठी लिपि

ब्राह्मी लिपि

यह प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि थी। यदि पश्चिमोत्तर प्रान्तों को छोड़ दिया जाए तो यह अखिल भारतीय लिपि थी। इसकी गति बाईं से दाईं ओर की थी। चौथी शताब्दी में इसकी दो शैलियाँ विकसित हुईं – उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। कालांतर में उत्तरी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी एवं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से नंदीनागरी लिपि का जन्म या विकास हुआ। दोनों ने क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण भारतीय भाष ााओं को लिपि प्रदान किया। ब्राह्मीलिपि के अक्षरों को हम नीचे देख सकते हैं।

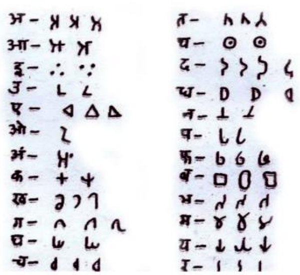

देवनागरी लिपि

यह लिपि प्राचीन लिपि का आधुनिक या वर्त्तमान रूपांतर है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का उदय हुआ। हिंदी, गुजरती, मराठी, भोजपुरी,

मैथिली, मगही, बज्जिका आदि भाषाओं के लिए यह लिपि प्रयोग में लाई जाती है। आप जिस लिपि में यह सामग्री पढ़ रहे हैं, वह देवनागरी लिपि है।

बिहार की लिपियाँ

बिहार में भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, मगही, अंगिका, संथली आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें कुछ भाषाओं की अपनी लिपि भी है। मैथिली पहले **मिथिलाक्षर** या **तिरहुता** लिपि में लिखी जाती थी। इसी तरह संथाली की भी अपनी लिपि **'आल्चिकी'** है। एक और लिपि है – **कैथी** जो वर्षों तक शासन–प्रशासन की लिपि रही हैं। आज भी हमारे घरों में ज़मीन आदि के दस्तावेजों में यह लिपि सुरक्षित है। इस लिपि के पहचान के साथ खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आज न तो हमारे बीच लिखने वाले ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और न ही पढ़ने वाले। कैथी लिपि को हम नीचे देख सकते हैं।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=kg-pzqRSiE0

4.7 भाशा और लिपि

आप अपनी एक ही बात को कितनी भाषाओं या लिपियों में लिख सकते हैं? एक,दो,तीन या चार? आइए, इसे करके भी देखते हैं। नीचे दिए गए एक वाक्य को आप जितनी लिपियों में लिख सकते हैं, लिखिए –

भाषा संवादक माध्यम अछि।	(मैथिली भाषा, देवनागरी लिपि)
Bhasha samvadak madhyam achhi.	(मैथिली भाषा, रोमन लिपि)
The nife is very sharp.	(अंग्रेज़ी भाषा, रोमन लिपि)
द नाइफ इज़ वैरी शार्प।	(अंग्रेज़ी भाषा, देवनागरी लिपि)
त्कड्डह्म कू □ह्य□	(उर्दू भाषा, फारसी लिपि)

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। 'वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। हम कभी भी इस तक पहुंच सकते हैं। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। इसलिए लिखित की एवं वाणी भाषा के बीच के फ़र्क को देखकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि के बीच अथवा हिंदी या संस्कृत तथा देवनागरी के बीच कोई अलंघनीय संबंध नहीं होता है। दरअसल, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं और इसी तरह कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। भाषा और लिपि के बीच इस तरह के रिश्ते के बोध का शिक्षाशास्त्रीय महत्व है। जो शिक्षक इस संबंध की जानकारी रखते हैं वे प्रायः बच्चों की गलतियों के प्रति अपना रुख बदलकर पढ़ाने की नयी विधियां विकसित करते रहते हैं।' (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, 2009:2–3)

आइए, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इस 'फेरबदल' को समझने की कोशिश करते हैं –

रोमन लिपि में एक ही वर्ण का उच्चारण कहीं कुछ तो कहीं कुछ देखने को मिलता है। नीचे के शब्दों को देखिए –

शब्द			**ध्वनि**
Chair	=	चेयर	= 'च'
Cent	=	सेंट	= 'स'
Car	=	कार	= 'क'

तीनों उदाहरणों में शबश का उच्चारण क्रमशः 'च', 'स' और 'क' हुआ है। किसी दूसरी भाषा में लिप्यान्तर के क्रम में यह परेशानी हो सकती है कि किस ध्वनि को सटीक माना जाए। इतना ही नहीं यदि देवनागरी के वर्णों

का विकल्प रोमन में तलाशा जाए तो त, द, ग, घ इत्यादि सरीखे वर्णों के लिए कोई सटीक वर्ण ही नहीं हैं। अरबी लिपि में तो ध्वनि विविधता इतनी है कि एक ध्वनि के लिए कई–कई वर्ण हैं। सिर्फ स/ष की ध्वनि के लिए से, सीन, शीन और स्वाद वर्ण हैं। इसी तरह से 'ज' ध्वनि के लिए जे, ज़े, जीम और ज़्वाद हैं। देवनागरी के घ, ठ, झ, ट, ढ़, म इत्यादि ध्वनियों के लिए कोई वर्ण ही नहीं हैं फिर लिप्यान्तर कैसे संभव है? संभव है। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि साधारण हेर–फेर कर इन समस्याओं का विकल्प तलाशा जा सकता है। नीचे के कुछ उदाहरणों को देखें –

DAL – दाल/डाल/दल (संदर्भ से ध्वनि का मेल कर शब्द चुनेंगे)
Tar – तारा
Haran – हरण
Dhan – धन/धान (संदर्भ के मुताबिक)

उर्दू भाषा में हिंदी के उन वर्णों के लिए अंग्रेजी पैटर्न को अपनाया जाता है जो घ, ठ, द, झ इत्यादि के लिप्यन्तरण में अपनाया जाता है। अंग्रेजी शीश की भूमिका उर्दू में दोचश्मी हे पूरा करता है। नीचे के उदाहरणों में देखते हैं –

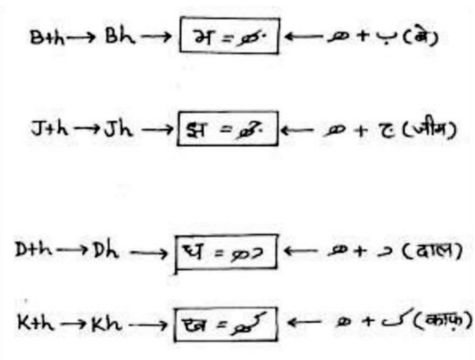

इस प्रकार स्पष्ट है कि थोड़े फेरबदल और संदर्भ के अनुसार लिप्यांतर संभव है यानी किसी लिपि में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है।

लिपि सीखना

आपने लिखना कैसे सीखा? आप बच्चों को लिखना कैसे सिखाते हैं? हम यह कह चुके हैं कि प्रत्येक भाषिक ध्वनि के लिए संकेत या चिह्न होते हैं, जिन्हें लिपि कहा जाता है। असका अर्थ यह है कि हम जिन शब्दों को बोलते हैं उन्हें किन्हीं ध्वनि–संकेत–समूहों के द्वारा लिखित रूप दिया जा सकता है। 'हमारे'शब्द में जो 'ह' की ध्वनि है उसके लिए 'ह' वर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्या हम वैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं? आइए, इसे भी आज़माकर देखते हैं। इन शब्दों को बोल–बोलकर पढ़िए –

हम बहन आह

तीनों शब्दों में 'ह' का प्रयोग है लेकिन तीनों में 'ह' का उच्चारण अलग है। 'हम' के 'ह' और 'आह' के 'ह' में हम इस शब्द को 'बैहैन' के रूप में तो अंतर है ही लेकिन यह अंतर 'बहन' के 'ह' में अधिक नज़र आता है। उच्चरित करते हैं। एक ही 'ह' अलग–अलग शब्दों में अलग जरीक से बोला जा रहा है लेकिन उनका लेखन समान है। इसे भाषिक परिवेश ;सपदहनपेजपब मदअपतवदउमदजद्ध की दृष्टि से समझ सकते हैं जहां आस–पास की ध्वनियां किसी ध्वनि विशेष के उच्चारण को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार अंग्रेज़ी के कुछ शब्दों को बोल–बोलकर पढ़िए –

elephant eleven men set receipt seed seat kite

क्या इन शब्दों में म का उच्चारण एक जैसा है? नहीं ना! ष्मसमकष् में जो आवज़ ष्ममष् की है वही आवाज़ ष्मंजष् के ष्मंष् की भी है। यह कैसे? और षपजमष् में तो ष्मष् की आवाज़ ही नहीं है। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन बच्चे जब लिखना शुरु करते हैं तो वे बोलने और उसे लिखने की जटिल प्रक्रियाओं को सीख जाते हैं। हम उन्हें इतनी बारीकी से नहीं समझाते कि 'सेट और मेन' को बोलने का तरीका या आवाज़ अलग है लेकिन दोनों शब्दों में बीच में 'इ' ही आएगा।

मनन 15

1. दिए गए शब्दों को बोल–बोलकर पढ़िए और बताइए कि क्या इनमें 'म' की आवाज़ समान है –

मछली मदन हम अमर कमरा विनम्र

....

....

2. किसी भी भाषा के ऐसे किन्हीं पांच शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनके बोलने और लिखने में अंतर है।

....

....

यदि आप देवनागरी और रोमन लिपि को देखें तो पाएंगे कि इनमें कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में वर्णों को हम उनके मूल रूप में ही लिखते हैं और एक पंक्ति में यानी बाएं से दाएं, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, जैसे –

Conclusion training assessment suggested supported honest

लेकिन हिंदी में लिखते समय स्वर अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं और मात्रा के रूप में भी। इतना ही नहीं कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जाता है, जैसे –

इमली उस्ताद आम ओर औलाद ऐसा एड़ी (स्वर अपने मूल रूप में)

तितली सुखाना काम मोर पौधा कैसा बेर (स्वर मात्रा के रूप में)

रतलाम कर्म वर्षा ग्रह ट्रक क्रमांक व्रत (व्यंजन एक से अधिक रूप में)

'मिट्टी, चिट्ठी, अड्डा, ब्राह्मी, पत्ता' आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें वर्ण एक–दूसरे के नीचे भी लिखे जाते हैं। इस संदर्भ में रमाकांत अग्निहोत्री अपने एक लेख'बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता' में स्पष्ट करते हैं कि 'शायद देवनागरी में ही ऐसा होता है कि एक ही वर्ण के कई रूप होते हैं और उसे चारों तरफ से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए 'क' को देखिए: 'क', 'क्', 'र्क', 'कि', 'की', 'कु', 'कू', 'के', 'को', 'कं' आदि और फिर 'क्ष' में भी 'क्'। दाएं–बाए, ऊपर–नीचे हर तरफ कुछ न कुछ जोड़ने की संभावना। रोमन लिपि में ऐसा कुछ नहीं। दाईं तरफ को बराबर लिखते जाइए, बस। 'कि' में 'इ' की मात्रा लिखी पहले जाती है, पर बोली बाद में जाती है। अध्यापक अक्सर कहते हैं – देवनागरी सरल है जैसा बोलो, वैसा लिखो। हिन्दी लिखने में यह बात सदा साथर्क नहीं होती। बच्चे बहुत–सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। सच बात यह है कि आज की हिंदी में 'इ' और 'ई' व 'उ' और 'ऊ' में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। इसलिए बच्चे वही लिखते हैं जो सनुते हैं।'

(शैक्षिक संदर्भ, सितंबर–अक्टूबर1999:40–41)

आजकल कुछ ध्वनियां उच्चारण की दृष्टि से लुप्त प्रायः हो रही हैं लेकिन उनका लिखित रूप बरकरार है। उदाहरण के लिए 'ऋ' कर उच्चारण 'रि' की तरह हो रहा है, लेकिन 'ऋषि, ऋषभ, ऋतु, कृषि' आदि। इसी तरह से 'ष' का उच्चारण आजकल 'श' की तरह हो रहा है और लेखन में यह 'श' के रूप में आज भी उपस्थित है। उदाहरण के लिए – 'कृषक, विशेष, कोष, सुषमा' आदि। गुजरात और महाराष्ट्र में इसका उच्चरण 'रु' की तरह होता है। ऐसे बहुत कम ही शब्द हैं जहां 'ष, ऋ' का प्रयोग होता है। यदि इन्हें दो–चार बार बच्चों को समझा दिया जाए, लगातार उनकी नज़र से गुज़रने दिया जाए तो वे इन्हें भी सीख जाएंगे।

एक शिक्षक के लिए लिपि या लिखित भाषा की बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता में विश्वास रखना और उस क्षमता का उपयोग करना भाषा सीखने–सिखाने में मदद करेगा। दरअसल बच्चे अपनी इसी क्षमता के आधार पर लिखित भाषा के भी नियम पकड़ने की सफल कोशिश करते हैं। इस सबके साथ बच्चों को प्रिंट समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराना भी एक शिक्षक का ही दायित्व है जिससे बच्चे लिपि, लिखित भाषा को भी सहजता के साथ आत्मसात कर सकें। लिपि सिखाते समय धैर्य बनाए रखें और यह विश्वास भी कि बच्चे धीरे–धीरे लिखना सीखजाएंगे

4.8 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

- विद्यालयों में भाषा की स्थिति एक विषय के रूप में भी होती है और माध्यम के रूप में भी।
- विभिन्न विषयों का अध्ययन करते समय भी बच्चे एक प्रकार से भाषा भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि उस समय वे अनायास रूप से विभिन्न प्रकार के शब्दों, वाक्य संरचनाओं से भी परिचित होते चलते हैं।
- जब विषय के अध्ययन का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो तो अवधारणाओं का बनना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।
- भाषा पर पकड़ या भाषिक क्षमता अन्य विषयों को समझने में मदद करती है।

- एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण का अर्थ है – भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग की कुशलता में दक्ष बनाना ताकि वे विभिन्न स्थितियों में भाषा का समुचित और प्रभावी प्रयोग कर सकें।
- भाषा सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और भाषा के कौशलों का विकास महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल हैं।
- सुनने का अर्थ है – सुनी गई बात का विश्लेषण करना और उस पर अपनी राय बनाना या प्रतिक्रिया देना।
- जब हम बोलते हैं तो उसमें अनेक मानसिक संक्रियाएँ शामिल होती हैं, जैसे – विचारों को संजोना, तर्क ढूंढ़ना, विचारों की क्रमबद्धता, शब्दों और वाक्यों का चयन आदि।
- पढ़ना केवल लिपि या लिपिबद्ध (भाषा को भेदना ही नहीं बल्कि छपी सामग्री से कई स्तरों और उसके कई पहलुओं से अंतक्रिया करना भी है।
- पढ़ने का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है और अर्थ ग्रहण करने में बच्चे के पूर्व अनुभव उसकी मदद करते हैं।
- 'लिखना' भी एक तरह का संवाद है जिसमें हम अपने मन की बातों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं।
- शुरुआती पढ़ना–लिखना' विद्यालयी जीवन के शुरुआती वर्षों यानी कक्षा एक और दो में पढ़ने–लिखने की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करता है।
- यदि बच्चों को शुरू सक ही पुस्तकों के संपर्क में रखा जाए तो वे अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से पढ़ना–लिखना सीख सकेंगे।
- प्रत्येक भाषिक ध्वनि के लिए निश्चित चिह्न ही लिपि कहलाती है।
- लिपियां कई प्रकार की होती हैं – श्रव्य चित्र मूलक लिपि, आक्षरिक लिपि, वर्णिक लिपि।
- भारत के पुराने शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियाँ मिलती हैं –खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि।
- देवनागरी लिपि का आविर्भाव उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
- बिहार की लिपियाँ हैं – मिथिलाक्षर या तिरहुता, 'आल्विकी' और कैथी लिपि।
- भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता।
- थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है।

- बोली गई भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती हैं।
- कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश बच्चों को पढ़ना–लिखना सीखने में मदद करेगा।
- लिपि या लिखना सिखाने के लिए शिक्षकों को बच्चों की सीखने की क्षमता में विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य भी।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई–संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब–रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।

4.9 प्रदत्त कार्य

1. नीचे दी गई दो केस 'स्टडीज़' को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए–

नियुक्त होने के साथ ही वर्ग–I और वर्ग–II के बच्चों की बागडोर वर्ग शिक्षक के रूप में मुझे मिली। मैंने उत्साह और मनोयोग से शिक्षण कार्य शुरू किया। प्रायः प्रयास करता था कि बच्चों से हिंदी ही में बात करूँ और करता भी था। हाँ बातचीत के क्रम में बच्चों की उदासीनता, अनुशासनहीनता और हल्ला प्रायः मेरे अंदर उनके प्रति क्रोध भर देता था। मैं अकसर बुरी तरह से खीझ जाता था। लाख प्रयास के बाद भी न तो मैं उनको अपने से जोड़ पाया और न ही नियंत्रित कर सका। एक रोज अचानक समानध्वनि वाले (तुकांत) शब्दों को लेकर बच्चों के साथ तुकबंदी का ख्याल दिल में आया।

पहला शब्द मैं बोलता दूसरा शब्द बच्चे बोलते। इसी क्रम में मैंने लाठी शब्द कहा। बच्चों ने इसके बदले, हाथी, साथी, माटी इत्यादि शब्दों को कहा। मैंने और सटीक शब्द के लिए प्रोत्साहित किया। कोई जवाब नही आया। मैंने कहा कि मैं बताऊँ ? उन्होंने हामी भरी। मैंने कहा – ''पाठी'' (बकरी के मादा बच्चे को पाठी कहते हैं।) 'पाठी' सुनते ही वे विस्मित नजरों से हमें देखे फिर एक दूसरे को देखा और हँस पड़े। उन्हीं में एक बच्चा हमसे पूछ बैठा – ''सर जी रउरो खोंसी–पाठी जानत बानी ?'' मैंने कहा – ''हाँ भाई, हमहू जानत बानी।'' मेरी आखिरी पंक्ति ने हम लोगों के बीच भाषाई दीवार को ध्वस्त कर दिया। आज पहली बार मैं बच्चों के बीच खड़ा था– उनका होकर, सिर्फ उनकी मातृभाषा (भोजपुरी) के कारण। आज उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। बातचीत के क्रम में यह बात स्पष्ट हुई कि वे 'लाठी' का तुकान्त शब्द 'पाठी' जानते थे लेकिन उनकी अपनी मान्यता थी कि पाठी या तो उनके घर की भाषा में शामिल है या चरवाही की शब्दावली में। वे इसे विद्यालय में नहीं बोलना चाहते थे। आज पहली बार मैंने उन्हें अपने करीब पाया। एक साधारण घटना ने मेरे छद्‌म ज्ञान को धाराशाही कर दिया। अब मैं समझ चुका था अगर बच्चों का होना है तो इनकी मातृभाषा और उनके अनुभव संसार का सम्मान करना होगा। मैं स्वयं भोजपुरी भाषी था। बच्चों से अब अपनी मातृभाषा में संवाद शुरू हो चुका था। यदा–कदा ही हिंदी का प्रवेश हमारे बीच होता,

अब तो भाषा की घंटी उनके लिए खेल की घंटी बन चुकी थी जहाँ उनके बोलने की आज़ादी थी। धीरे–धीरे बच्चे मातृभाषा के साथ–साथ हिंदी बोलना शुरू कर रहे थे। सुमन कुमार सिंह, शिक्षक, जिला–सिवान मेरी बेटी का नाम अंजलि है। वह गाँव के विद्यालय में वर्ग–ट में पढ़ती थी। पढ़ने में अच्छी थी। अपने वर्ग में प्रायः अव्वल आती थी। घर में विमर्श हुआ कि वर्ग–टप में किसी अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय में दाखिला करा दिया जाए। बेटी की अंग्रेज़ी तो मज़बूत होगी ही प्रतिभा में और भी निखार आ जाएगा। योजना के तहत अंग्रेज़ी माध्यम के एक नामी निजी विद्यालय में दाखिला हो गया। बेटी को पढ़ाने के चक्कर में परिवार शहर में रहने लगा। अंजलि स्कूल जाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसमें एक व्यवहारगत परिवर्तन दिखने लगा। हमेशा विषय से संबंधित बातचीत जो मुझसे अकसर किया करती थी, वह धीरे–धीरे समाप्त होने लगी थी। मैं उसकी पढ़ाई के प्रति निश्चिंत था, क्योंकि अंजलि तो तेज थी ही विद्यालय भी बहुत नाम था। प्रथम यूनिट टेस्ट हुआ। प्रथम शिक्षक अभिभावक गोष्ठी मे मैं स्वयं अंजलि के साथ विद्यालय पहुँचा। ग्रेड कार्ड देखा। मेरा माथा ठनका। अरे यह क्या! हिंदी और संस्कृत को छोड़कर किसी भी विषय में क के उपर ग्रेड ही नहीं था। गणित में तो म था। हाँ हिंदी में ।़ और संस्कृत में । अवश्य था। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैंने शिक्षक से कॉपी देखने की ज़िद्‌द की। कुछ औपचारिकताओं के बाद मुझे कॉपी दिखलाई गई। कॉपी में कहीं–कहीं कुछ लिखा था। कॉपी में कुछ अंक

शिक्षक के कृपांक के रूप में भी मिले थे। मैंने अपनी बेटी के तरफ देखा वह सुबक रही थी। मैंने ढांढस बंधाया और चुपचाप उसे लेकर घर आ गया। पूरा दिन पत्नी और मैं सोचते रहे। दिमाग में एक बात आई। गणित के पर्चे को हमने हिंदी में लिख दिया और हल करने को घर पर दिया। उसने सारे प्रश्न हल कर दिए। शेष विषयों के पर्चों को भी हमने हिंदी में लिख दिया। विद्यालय के अंग्रेज़ी माध्यम की पाठ्यपुस्तक को हिंदी में समझाकर प्रश्नों का जवाब माँगा। जवाब मिले वह भी उम्दा! अब हमें विषय और माध्यम के अंतरसंबंध की जानकारी हुई। फिर हमने नए सिरे से अपनी शिक्षण–योजना को तैयार किया। धीरे–धीरे अंजलि आगे बढ़ती गई। समय के साथ सभी विषयों में । ग्रेड पुनः हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया।

सुमन कुमार सिंह, शिक्षक, जिला–सिवान

(क) शिक्षक के लिए बच्चों की भाषा का सम्मान करना क्यों ज़रूरी है?
(ख) भाषा किस प्रकार शिक्षक और बच्चों के बीच 'दूरी' का कारण बनती है?
(ग) आपके विचार से अंजलि के खराब प्रदर्शन का असली कारण क्या था?
(घ) दोनों 'केस स्टडीज़' भाषा सीखने–सिखाने के किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करती हैं?

2. क्या आप मानते हैं कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है? अपने विचारों के लिए तर्क
3. नीचे दिए गए अनुच्छेद का लिप्यान्तर रोमन या फारसी में कीजिए। संभव हो तो दोनों में कीजिए।
4. किसी भी वर्ग और भाषा की पाठ्य–पुस्तक का गौर से अध्ययन कीजिए और बताइए उस पाठ्य–पुस्तक के पाठ और अभ्यास किन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं?
5. किसी भी वर्ग और विषय की पाठ्य–पुस्तक का गहराई से अवलोकन कीजिए और बताइए कि वह पाठ्य–पुस्तक किस प्रकार से भाषा सीखने में मदद करेगी और भाषा में क्या सीखने में मदद करेगी?
6. अपनी भाषा और लिपि से कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि भाषा और लिपि में अनिवार्य संबंध होता है/नहीं होता।
7. अंग्रेज़ी और हिंदी की लिपियों के बीच के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

8. इस अध्ययन सामगी को पढ़ने के बाद आप अपनी कक्षा में लिखना सिखाने की प्रक्रिया और उद्‌देश्यों में कोई बदलाव लाना चाहेंगे? हां/नहीं, जो क्यों?
9. इस इकाई में आपने जो कुछ जाना, समझा, सीखा उसमें से किन्हीं दस ब्रिदुओं की सूची बनाइए।
10. बच्चों में भाषा कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना)का विकास करने के लिए कोई पांच–पांच अभ्यास बनाइए।
11. किसी एक वर्ग की अलग–अलग भाषाओं की पाठ्‌य–पुस्तकों का अवलोकन कीजिए और भाषा सीखने–सिखाने के उद्‌देश्यों के संदर्भ में उनकी तुलनात्मक समीक्षा कीजिए।
12. शुरुआती पढ़ना–लिखना क्या है? आप वर्ग एक और दो के बच्चों को पढ़ना–लिखना सिखाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग करेंगे?
13. भारत के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ अधिकांश व्यक्ति कम–से–कम दो भाषाएँ जानते हैं। यह जानते हुए भी कि भारत एक बहुभाषिक देश है। स्कूलों में भाषा शिक्षण में ज़ोर किन्हीं एक या दो विशेष भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) पर ही होता है। बच्चों की भाषाओं, जो कि इतनी विविधता लिए हुए होती है, उनको भाषा और बोली, शुद्ध भाषा, मानकीकृत भाषा जैसे मुद्‌दों पर दबा दिया जाता है। अपने जीवन–अनुभव के आधार पर यह बताएँ कि भाषा सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में आपने अपने विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को किस प्रकार विकसित किया।

इकाई 5

भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संदर्भ

5.1 परिचय

5.2 सीखने के उद्देश्य

5.3 पूर्व अनुभव

5.4 भाषा और बोली

5.5 व 5.6 भाषा, अस्मिता और सत्ता

5.7 भाषा और जेंडर

- 5.7.1 शब्दों में पैठा भेदभाव
- 5.7.2 व्याकरण में जेंडर

5.9 शब्दावली

5.10 प्रदत्त काय

5.1 परिचय

भाषा का संबंध व्यक्ति तथा समुदाय के साथ होता है। व्यक्ति तथा समुदाय विभिन्न रूचियों, आस्थाओं, इच्छाओं, विचारधाराओं को मानता है। अलग–अगल लोगों तथा समुदायों की आस्थाओं में सहमति–असहमति हो सकती है। इसी कारण भाषा के उपयोग को व्यापक सामाजिक साँस्कृतिक अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। भाषा एक ओर जहाँ अस्मिता को मजबूती देती है। वहीं इसका उपयोग अस्मिता को नुकसान पहुँचाने के लिए भी किया जाता है। किसी की मातृभाषा उसकी पहचान होती है। लेकिन वह अपनी मातृभाषा का उपयोग अन्य लोगों को जाति सूचक, रंगभेदी, वंशमूलक, जेंडर संबंधी बात कहकर उनकी अस्मिताओं पर आघात करने के लिए भी कर सकता/सकती है।

भाषा, इंसान को ठोस जगत पर निर्भरता से मुक्त कर उसे विचारों के जगत में विचरण करने की शक्ति देती है। लेकिन भाषा, इंसानों के लिए बंधनकारी संरचनाओं के निर्माण में भी सहायक होती है। भाषा की शक्ति का उपयोग अधिक मानवीय कक्षाओं की रचना करने में शैक्षिक को सक्षम बनाना, इस इकाई का उद्देश्य है।

5.2 सीखने के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- भाषावैज्ञानिक आधार पर भाषाओं के बारे में तार्किक समझ बना सकेंगे।
- भाषा और अस्मिता के आपसी रिश्तों को समझ सकेंगे।
- भाषा और सत्ता के आपसी संबंधों को समझ सकेंगे।
- भाषा में पैठे सामाजिक लिंग भेद का विश्लेषण कर उसके परिष्कार के तरीकों पर विचार कर सकेंगे।

5.3 पूर्व अनुभव

यह एक आम धारणा है कि भाषा व बोली दो अलग–अलग चीज़ें हैं। यदि आप किसी को जाकर कहें कि भाषा व बोली में कोई फर्क नहीं होता है तो वह आपकी बात को सिरे से खारिज कर देगा और करे भी क्यों ना? उनके पास इसके लिए अच्छे खासे कारण होते हैं, भाषा शुद्ध होती है, बोली नहीं। भाषा को ज्यादा लोग बोलते हैं, बोली को कम। भाषा को लिख सकते हैं, बोली को नहीं। लेकिन ये सारे कारण कहाँ तक सही हैं और वास्तव में भाषा और बोली में कोई अन्तर होता है या नहीं? यदि है तो यह अन्तर किस आधार पर किया जाता है? आगे की चर्चा इन्हीं सब मुद्दों पर आधारित है।

5.4 भाषा और बोली

आइए, बात की शुरूआत कुछ शब्दों पर विचार करने से करते हैं:

शब्द 1. पगा

शब्द 2. बोल्यो

शब्द 3. कारज

अगर यह पूछा जाए कि उपयुक्त तीन शब्द बोली के हैं या भाषा के। तो अधिकांश लोग कहेंगे ये बोली के शब्द हैं। अब नीचे दिए जा रहे तीन शब्दों पर भी विचार कीजिए।

शब्द 4. नेवता

शब्द 5. रोट

शब्द 6. पाहुन

शब्द 4, 5 तथा 6 को भी अधिकांश लोग बोली के शब्द मानेंगे। आइए इस बहस को आगे बढाते हुए उन मानदंडो पर विचार करते हैं जो भाषा और बोली में अन्तर करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

अन्तर करने के मानदंड :

(क) व्याकरण
(ख) मानकीकृत रूप

(ग) क्षेत्र
(घ) बोलने वालों की संख्या
(ङ) लिखित साहित्य इत्यादि

इनमें से एकाधिक मानदंडो पर अलग–अलग भाषाओं का विश्लेषण करके देखते हैं।

वाक्य 1 – केहू के बोलवे खातिर नेवता भेजल जा ला।
वाक्य 2 – फगुआ में रोट के परसादी बने ला।
वाक्य 3 – हमरा गाँव में पाहुन के खूब खातिर होला।

उपर्युक्त तीन वाक्यों पर बोली और भाषा में अन्तर करने से पहले 'व्याकरण' के मानदंड को लगाकर देखते हैं।

वाक्य– **1** में आठ पद हैं। इन आठ पदों को 8X7X6X5X4X3X2X1= 40320 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए नीचे दिए जा रहे वाक्य का उदाहरण देखिए।

वाक्य 4 – तुम कौन हो?

वाक्य 4 – में तीन पद शामिल हैं। इन पदों को नीचे दिए गए 3ग2ग1त्र 6 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है।

(i) तुम कौन हो?
(ii) तुम हो कौन?
(iii) हो कौन तुम?
(iv) हो तुम कौन?
(v) कौन तुम हो?
(vi) कौन हो तुम?

वाक्य–4 के पदो के उपर्युक्त 6 क्रमों में से कितने क्रमों को वाक्य के रूप में स्वीकृत किया जा सकता हैं? अब विचार करके देखिए कि वाक्य 1 के 8 पदों के क्रमों 40320 क्रमों में से कितने क्रमों को स्वीकृत किया जा सकता हैं? यदि 40320 क्रमों में से केवल दो या तीन रूप ही स्वीकृत हो सकते हैं तो इसका क्या कारण है?

वाक्य 1 मौथिली का है। वाक्य की व्याकरणिक संरचना के मानदंड के आधार पर बताइए वाक्य 1 तथा वाक्य 4 व्याकरण के नियमों का पालन कर रहें या नहीं? क्या वाक्य – 1 तथा वाक्य – 4 के पदों के सभी क्रमों को स्वीकार किया जा सकता है? जाहिर है मैथिली (वाक्य–1) तथा हिन्दी (वाक्य–4) के वाक्य, व्याकरण के अनुसार हैं। तो क्या व्याकरण के आधार पर मैथिली को बोली कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार वाक्य–2 तथा वाक्य–3 का विश्लेषण कर बताइए की क्या व्याकरणिक दृष्टि से इन पर भाषा या बोली होने का लेबल लगाया जा सकता है?

''किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछकर देखिए, वह अत्यधिक विश्वास से आपको भाषा व बोली में अंतर बताने लगेगा। कहेगा, ''भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं। भाषा की लिपि होती है, बोली की नहीं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का स्थानीय। भाषा मानकीकृत व परिमार्जित होती है, बोली नहीं। जिसका प्रयोग साहित्य, पत्राचार, दफ्तरों, अदालतों आदि में हो वह भाषा और जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल हो वह बोली। भाषा में शुद्ध–अशुद्ध का प्रश्न उठता है, बोली में सब चलता है आदि, आदि।''

वास्तव में इस तरह के सभी तर्क गलत हैं, समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। भाषाई दृष्टि से भाषा व बोली में कोई अंतर नहीं। दोनों का व्याकरण होता है। दोनों नियमबद्ध हैं। किसको भाषा कहा जाएगा और किसको बोली यह एक सामाजिक प्रश्न है; राजनैतिक प्रश्न है। सत्ताधारी व पैसे वाले लोग अक्सर जो बोली बोलते हैं, वह भाषा कहलाने लगती है। उसी के व्याकरण व शब्दकोष लिखे जाते हैं। उसी में साहित्य लिखा जाता है। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनकर वही बोली मानकीकृत भाषा बन बैठती है। उसी से मिलते–जुलते, बात–चीत करने के अन्य तरीके उस 'भाषा की बोलियां' कहलाने लगते हैं। भाषा व समाज के इस रिश्ते को समझना आवश्यक है।'' (अग्निहोत्री, 1996 : 39)।

मैथिली को साहित्य, क्षेत्र, व्याकरण तथा मानकीकरण के आधार पर भाषा कहें या बोली? क्या साहित्यिक कृतियों की कोई तय संख्या है जिससे कम संख्या में जिस भाषा में साहित्य की पुस्तकें मिलेंगी उसे बोली कहा जाएगा। यदि बोलने वालों की संख्या को आधार बताया जाए तो सिंधी तथा मणिपुरी को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कोटि में शामिल करने का क्या कारण है? भारत में 0.25: लोग सिंधी भाषा बोलते हैं और 0.14: लोग मणिपुरी बोलते हैं। यानि 10,000 लोगों में 25 लोग सिंधी और 14 लोग मणिपुरी बोलते हैं। जबकि 10,000 लोगों में 118 यानि (1.18%) लोग मैथिली बोलते हैं। अगर संख्या भाषा और बोली में अंतर करने का आधार है तो आठवीं अनुसूची में मैथिली को स्थान न देने का कारण क्या है। इस आधार पर संख्या के आधार पर भाषा और बोली में अंतर करने का तर्क खारिज हो जाता है।

इस प्रकार ''लिपि के प्रश्न को लीजिए। अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं जैसे भाषा व लिपि का कोई जन्मजात संबंध हो। वास्तव में संसार की सभी भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। और एक ही भाषा को लिखने

के लिए आप संसार की सभी लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा व देवनागरी व रोमन लिपि को लीजिए:–

हिन्दी (देवनागरी) : *मोहन खेल रहा है।*
हिन्दी (रोमन) : *Mohan khel rahaa hai.*
अंग्रेज़ी (रोमन) : *Mohan is playing.*
अंग्रेज़ी (देवनागरी) : *मोहन इज़ प्लेइंग।*

भारत की अनेक भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं व एक संस्कृत को लिखने के लिए भारत में ही अनेक लिपियों का प्रयोग होता है। ऐसा भी नहीं है कि लिपि होने से ही किसी भाषा में साहित्य की संभावना होती है। ऋगवेद जैसे साहित्य के लिए सदियों किसी लिपि की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारे भारत में फिर भी ऋगवेद का वाचन एक ही तरह से होता है। गांव–गांव में रामचरितमानस नित गाया, सुना जाता है लिपि की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा प्राचीन है; लिपि अभी कल का आविष्कार। लिपि होने न होने से भाषा–बोली में अंतर करना संभव नहीं। आप कुछ दोस्त मिलकर अपनी भाषा के लिए बड़ी आसानी से अपनी एक अलग लिपि बना सकते हैं। उसे कितना राजनैतिक समर्थन मिलेगा वह एक अलग बात है। संथाली आज कई लिपियों में लिखी जाती है देवनागरी, रोमन, बंगला, उड़िया व ओल चिक्की। इनमें से कौन–सी लिपि मानकीकृत हो जाएगी यह एक राजनैतिक प्रश्न है।'' (वही : 41)।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=gbvCD29Sg58&t=10s

5.5 और 5.6 भाषा, अस्मिता और सत्ता

भाषा के संदर्भ में अस्मिता का मतलब है–भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। भाषा की यही पहचान सत्ता के नियामक–तन्त्र से भी जुड़ी है। ज़रा सोचिए जब हम किसी अनजान व्यक्ति या फिर परिचित व्यक्ति से ही जब अनेक तरह के सवाल पूछते हैं या जिज्ञासाएँ जाहिर करते हैं। तब अनजाने ही जवाब के तरतीब या बेतरतीब क्रमों में क्या एक खास नज़रिए की मौजूदगी नहीं पाते हैं। भाषा वैज्ञानिक डेविड क्रिस्टल का विश्लेषण गौरतलब है, 'आप कौन हैं? आप कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? ऐसे की सवालों के उत्तर हमारे बोलने के ढंग में छिपे होते हैं। जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, सुनने वाले (जीम पदजमतसवबनजवत) को बिना ज्यादा सोचे– विचारे और बिना चाहे, अपने बारे में, अपने निजी इतिहास और सामाजिक पहचान के बारे में कई बातों की झलक दे देते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा, हमारी पहचान का निशान होती है। जो भाषायी संकेत हमारे संवाद में होते हैं वे इतने विशिष्ट होते हैं कि जानकार व्यक्ति उससे बहुत कुछ जान लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा यह दिखाती है कि हम कहाँ के हैं और भाषा ही हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय पहचान का स्वाभाविक बिल्ला अथवा चिह्न है। 'यानी अन्य शब्दों में कहें तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों या क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों में हम अलग – अलग तरह की भाषागत अभिव्यक्ति पाते हैं।

गतिविधि -1

- आप अपने आस – पास विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों की व्यवसायगत और अनौपचारिक बातचीत का ब्योरा इकट्ठा कीजिए और उनकी बातचीत के आधार पर अलग – अलग तरह की भाषायी विविधताओं का दस्तावेज़ीकरण कीजिए।
- क्या आपको ऐसा लगता है कि अलग – अलग पृष्ठभूमि के आलोक में विभिन्न भाषायी समूहों का विकास होता है ? यदि हाँ तो विभिन्न पृष्ठ्भूमि के आधार पर बने भाषायी समूहों की भाषागत विशिष्टताओं का आकलन कीजिए।

हमारी भाषा सामाजिक ढाँचे की समझ को सचेत रूप से वहन करती है। भाषा के उपयोग के आधार पर यह तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, धार्मिक निर्मितियों जैसी अवधारणाओं के प्रति हमारी क्या राय है ? हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढाँचे की निर्मिति को रचते – समझते हैं।

> यदि भाषा किसी की पहचान को सहज बनाती है बजाय इसके जो अस्मिता अस्तित्व में उसकी खोज भर करे तो यह अस्मिता–संकेतकों की व्यवस्था देखने वाली तथा प्रतीकों और यादों के ढेर को वहन करने वाली नहीं रह जाती बल्कि इसकी भूमिका और व्यापक हो जाती है तब यह ऐसी स्प्रिंगबोर्ड हो सकती है, जो हमारे लिए अनेक संभावनाओं की गहराई में गोता लगाने के लिए; लांचिंग पैड का काम करे।
>
> पृष्ठ – 5, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

अस्मिता से जुड़ा एक मसला है सत्ता तंत्र में किसी भाषा समूह की हैसियत। यानी भाषायी समूहों की भी एक राजनीति होती है जो शासन – तंत्र में अपनी हैसियत का निर्धारण करती है। इसे गहरायी से समझने के लिए हमें भाषा को लोकतांत्रिक सरोकारों के आलोक में समझने – रेखांकित करने की ज़रूरत है। आइए भाषा के सिलसिले में हम भारतीय प्रायद्वीप के भाषायी सरोकारों के कतिपय ऐतिहासिक प्रसंगों को देखें। आज़ादी के पहले विभिन भाषा समूहों को यह लगा था कि आज़ादी के बाद विभिन्न भाषायी अस्मिताओं को स्वीकार किया जायेगा। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े नेतृत्व ने विभिन्न

भाषा – भाषी समूहों को यह आश्वासन भी दिया था कि आज़ादी के बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जायेगा। पर आज़ाद भारत के बाद विभिन्न दंगों से झुलसे लहूलुहान भारत के हुक्मरानों को लगा कि भाषायी आधार पर राज्यों का गठन अलगाववाद को बढ़ावा देगा। तत्कालीन परिस्थितियों पर एन.सी.ई.आर.टी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक विश्लेषण दर्ज़ करती है, 'प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप – प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल, दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे । विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि ''उपद्रवकारी प्रवृत्तियाँ सिर उठा रहीं हैं'' जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजूट होना चाहिए। ' जाहिर सी बात है आज़ाद भारत की केन्द्रीय सत्ता भाषायी आधार पर राज्यों के गठन के खिलाफ थी। पर भाषा स्वीकार का मतलब था भाषा बोलने वालों की अस्मिता का स्वीकार। विभिन्न भाषायी अस्मिताओं ने इस सिलसिले में कड़ा एतराज जताया। कन्नड़भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने – अपने राज्यों के गठन के लिए सक्रिय हुए। हिन्दी भाषी राज्यों ने इसे देश की संप्रभुता के लिए खतरा माना। कालांतर में यह भावना निर्मूल साबित हुयी। विभिन्न भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, लेकिन इससे देश की संप्रभुता पर कोई आँच नहीं आयी। उल्टे यह देश की एकता के लिए एक बेहतरीन निर्णय साबित हुआ। आइए उस दौर के भाषायी संघर्षों पर एक नज़र डालें। यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम यह बखूबी समझ सकें कि भाषायी अस्मिताएँ कैसे एक राजनैतिक सवाल में रूपांतरित हो जाती है। भाषा के स्वीकार के सिलसिले में सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसीडेंसी के तेलुगु भाषी ज़िलों में प्रकट हुआ। 1952 के अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगुभाषी लोगों के हितों के आधार अलग राज्य 'आंध्र प्रदेश' के गठन की माँग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गये। धीरे – धीरे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जुड़ गये और अनेक स्थानों पर हड़तालें होने लगीं, धरना, जुलूस, प्रदर्शन हुए। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। इसके बाद जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन हुए। केन्द्र सरकार को आखिरकार इस माँग के आगे झुकना पड़ा और एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्तूबर 1953 को हुआ। सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड और तेलुगु भाषियों के लिए अलग – अलग प्रांतो के गठन के सिलसिलें में विभिन्न ज़िलों और क्षेत्रों का निर्धारण किया जाय। उसी तरह उत्तर भारत के विशाल हिन्दी क्षेत्र को कई भागों में विभाजित कर कई राज्य बना दिया गया। परिणामतः 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती दो भागों में बाँट दिया गया। उसी तरह 1966 में पंजाबी और हिन्दी भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा दो राज्य

बनाये गये। इन बातों का लब्बोलुआब यह है कि भाषायी अस्मिता का संदर्भ बेहद संवेदनशील है। आइए निम्नांकित विवरण को पढ़ें।

श्रीलंका में क्या हुआ

1956 में, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका (तत्कालीन नाम सीलोन) की संसद ने एक कानून पारित कर सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल कालेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नये कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि 'जब आप मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हो'। एक और नेता ने चेतावनी दी' आप सीलोन को बाँटना चाहते हैं। निश्चिंत रहिए। मैं आश्वासन देता हूँ कि (आपको) एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। 'सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि सरकार अपना रूख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो' इस छोटे से देश में से दो टूटे – फूटे रक्तरंजित देश भी पैदा हो सकते हैं।

पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा है जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बँट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है । इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है। कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने – फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता, जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझ कर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषायी राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया बल्कि उन्होंने` इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषायी समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं।

- हमारे अतीत –!!,

भाग – 2, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली, सितंबर – 2008

गतिविधि - 2

- आपकी नज़र में किसी विद्यार्थी की भाषायी अस्मिता को स्वीकार कर उसका शिक्षणशास्त्रीय उपयोग कैसे संभव है?
- शेख मुजिबुर्रहमान के नेतृत्व में चले उस भाषायी अस्मिता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण कीजिए, जिनके चलते पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तित हुआ।
- क्या किसी देश में एक ही भाषायी अस्मिता को स्वीकार करना उसके सहज विकास में बाधा पहुँचाना है? अपनी सहमति या असहमति के कारणों का भी उल्लेख कीजिए।

आइए भाषायी अस्मिता से जुड़े एक महत्त्वपूर्ण पहलू हिन्दी – उर्दू के रिश्ते की पड़ताल करें। 1921 में जब ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता द्वारा असहयोग आँदोलन चलाया गया तब तत्कालीन सरकारी स्कूलों के समानांतर राष्ट्रीय विद्यापीठों (काशी, बिहार और गुजरात) की स्थापना की गयी तब प्राथमिक, एवं माध्यमिक स्तर पर हिन्दी विषय अनिवार्य कर दिया गया। 1923 में पहली बार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी की पढ़ाई आरंभ हुई। पर हिन्दी का यह रूप कैसा था, इस पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। महात्मा गाँधी ने काशी विद्यापीठ के स्थापना दिवस के अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा ' हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है जिसे 21 करोड़ आदमी बोलते हैं।..... हमें उर्दू और देवनागरी दोनों लिपि सीखना चाहिए। हमें वही हिन्दी चलाना है, जिसमें संस्कृत और उर्दू मिली हो। (काशी विद्यापीठ पंचांग, 1922 ई.) इस दिशा में वर्ष 1932 एक निर्णायक मोड़ है, जिसका सिरा तत्कालीन सांस्कृतिक – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबद्ध है। 1932 के पहले तक हिन्दी और उर्दू एक ही रीडर से पढ़ायी जाती थी। पाठों के विषय वस्तु और प्रस्तुति एक जैसे होते थे, केवल लिपि अलग – अलग हुआ करती थी। आगे चलकर ब्रितानी हुकूमत ने सहज ही उर्दू के अलग रीडर की माँग को स्वीकार कर लिया। इसी समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी की अलग पाठ्य– पुस्तकें तैयार की। पढ़ाई की पहले से चली आ रही परिपाटियों में बदलाव किया गया, जिनपर तत्कालीन सांस्कृतिक संदर्भों और विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इन संदर्भों का ज़िक्र इसलिए किया गया कि आप अस्मिता से जुड़े उन सांस्कृतिक पहलुओं को भी पहचान सकें जिनके चलते भाषाओं के बीच रिश्ते बनते – बदलते हैं।

इस महत्त्वपूर्ण बदलाव के सिलसिले में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो.कृष्ण कुमार का विश्लेषण ध्यान देने लायक है –

उन्नीसवीं सदी के अनेक हिन्दी प्रचारकों और लेखकों में पुनरत्थानवादी प्रवृत्ति पहले से मौजूद थी। इस प्रवृत्ति को हिन्दी – उर्दू के अलगाव से प्रोत्साहन मिला। कुछ प्रोत्साहन औपनिवेशिक शासन की इस पूर्वधारणा से मिला कि भारतीय जनसंख्या को समूह में बाँटने के हर संभव आधार को रेखंकित किया जाय जैसा कि अमृत राय (ए हाउस डिवाइडेड, अरक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली, 1984) ने लिखा है, संस्कृत – प्राकृत परंपरा की शब्दावली को निकालकर और नयी फारसी शब्दावली को डालकर उर्दू को शुद्धीकत करने की प्रवृत्ति अठारहवीं सदी में ही आरंभ हो चुकी थी। इस प्रवृत्ति का परिणाम उर्दू को एक घबराये हुए अभिजात की वर्गबोली बनानी और उसकी पहचान इस्लाम से किए जाने में हुआ। अंग्रेज शासन ने इस प्रतीक गठबंधन को रेखांकित करने में तनिक भी आलस नहीं किया। इस प्रतीक गठबंधन की प्रतिक्रिया हिन्दी को नागरी लिपि और हिन्दू धर्म से जोड़े जाने तथा उसकी शब्दावली से अरबी फारसी परंपरा के तत्त्वों के 'शुद्धीकरण' में हुई।

गतिविधि - 3

- आपनी भाषा में उर्दू और हिन्दी के शब्दों को पहचानिए और बताइए की आपकी भाषायी अस्मिता की रवानगी या प्रवाहमयता के लिए ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ?
- भाषायी अस्मिता का कोई सिरा कब धर्म से जुड़ जाता है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ?
- शब्द निर्माण की परंपरा में शुद्धीकरण की प्रक्रिया को आप किस रूप में देखती हैं ?

अस्मिता से जुड़ा एक पहलू है कि हम किसे भाषा कहें और किसे बोली। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बिहार की कक्षाओं में जब कोई बच्ची किसी अध्यापक द्वारा यह पूछे जाने पर कि आखिर वह बच्ची देर से क्यों आयी, उसका जवाब कुछ इस तरह मिलता है 'हम तो समय से चलबे किये थे बाकि का करें बैग में रक्खल टिफिन का तरकारी गीर गया और कितबवा कॉपिया भींग न गया'। अध्यापक का जवाब होता है कि तुम अशुद्ध बोल

रही हो। असल में भाषा का रिश्ता सामाजिक संरचना से होती है। सामाजिक हैसियत जिस भाषा को मिलती है, उसे 'मानक भाषा' का दर्ज़ा भी प्राप्त होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्ची की भाषा का अस्वीकार उसकी सहजता और कल्पनाशीलता में रूकावट डालना है। अध्यापक प्रायः खुद को मानकीकृत भाषा का रखवाला मान लेते हैं, जबकि यह मामला समझ और नज़रिए का है। सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री का कहना है, 'व्याकरण को लेकर शुद्ध – अशुद्ध का प्रश्न भी बार – बार सामने आता है। विशेषकर अध्यापक स्वयं को शुद्ध व मानकीकृत भाषा का रखवाला मान लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न समझने व दृष्टिकोण का है। पहली बात – बच्चा जिस भाषा को लेकर स्कूल आता है वह पूर्ण रूप से व्याकरणयुक्त है। दूसरी बात उसकी भाषा उसकी शिक्षा क माध्यम नहीं बन पायी है यह एक राजनैतिक, सत्तागत प्रश्न है। तीसरी बात – मानकीकृत भाषा के सीखने के प्रयास में जो अशुद्धियाँ बच्चा करता है वे निराधार या बेतरतीब नहीं होती, उनकी अपनी संरचना होती है। चौथी बात– किसी अध्यापक के शुद्ध करने से बच्चे अपनी गलती एकदम सुधार नहीं लेते। गलतियाँ समय आने पर ही सुधरती हैं। पाँचवीं बात कोई भी बच्चा, कोई भी भाषा (पहली, दूसरी या दसवीं) बिना गलतियाँ किए नहीं सीखता। (अग्निहोत्री 1996 : 30) अर्थात अस्मिता और सत्ता का भाषा और बोली के संदर्भ में उल्लेखनीय महत्त्व है।

गतिविधि - 4

- अपनी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा के मूल स्रोत को पहचानिए और उन भाषाओं में रचे गये सृजनात्मक साहित्य का पता लगाइए।
- भाषा और बोली के रिश्ते को प्रभुत्व के आलोक में परखिए और बताइए कि कैसे कोई भाषा उच्च हैसियत प्राप्त कर लेती है।

5.7 भाषा और जेंडर

आपके अनुभव में ऐसे दृश्य अवश्य आए होंगे जिनमें किसी शिक्षक द्वारा किसी छात्रा को बेटा कहकर संबोधित किया जाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब किसी बेटी द्वारा कोई बहादुरी का काम किया जाता है तब माता–पिता उसकी तुलना बेटे के साथ करते हैं। क्या शिक्षक और माता–पिता द्वारा किया जाने वाला इस प्रकार का व्यवहार बराबरी तथा आत्म–सम्मान की दृष्टि से उपयुक्त माना जा सकता है? छात्रा या बेटी के लिए बेटा शब्द का उपयोग करना सामाजिक संरचना के किस रूप का पता देता है? इस संदर्भ में 'बेटा' शब्द, शब्द मात्र न होकर पितृसतात्मक संरचना के पुरूष के पक्ष में प्रभुत्वशाली ओर वर्चस्वशाली होने का परिचय देता है। जो लड़कियों की कमतर सामाजिक स्थिति को और मजबूती देता है। सामाजिक लिंग भेद से भरी भाषा का विश्लेषण हम भाषा और जेंडर के अंन्तर्गत करेंगे।

> क्या आपके अनुभव में ऐसा दृश्य आता है, जिसमें छात्रों को बेटी कहकर संबोधित किया जाता रहा हो?

''जेंडर का मुद्दा आधी नहीं बल्कि पूरी मानवता का मुद्दा है। समय के साथ भाषा ने अपनी बुनावट में कई तत्वों को समाहित कर लिया है जो जेंडर के प्रति रूढ़ियों को लगातार पोषित करती आ रही है। कई अध्ययन १अकैमरन 1985, 1995; लैकॉफ 1975, 1990; टैनेन 1990; बटलर 1990 और अन्य) भाषा और जेंडर के संबंध पर ही केंद्रित होकर किए गए हैं। न सिर्फ विद्वानों ने, बल्कि भाषाविदों ने भी स्त्री भाषा को 'तुच्छ' व 'मोतियों के हार' की उपमा तो दी है जिससे कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आती, किंतु वाक्यगत व कोश के स्तर पर अभिव्यक्तियों में जेंडर–पूर्वाग्रह झलक जाते हैं। स्त्री–पुरूष के बीच की बातचीत के सूक्ष्म विश्लेषण से भी ज्ञात हुआ है कि कैसे पुरूष अपनी बात को लादने के लिए भाषिक खेल खेलते हैं।

पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के बारे में बनी–बनाई धारणाएँ व्यवहार के स्तर पर पुनर्निर्मित तो होती ही हैं और कई बार शायद अनजाने ही हमारी पाठ्यपुस्तकों द्वारा भी संचरित होती रही हैं। दरअसल, ज्ञान के क्षेत्रों में लैंगिक ज्ञान के संरचना के स्तर पर भेदभाव के कारण हानि अब तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। भाषा, अन्य व्याख्याएँ और दृश्य–विज्ञापन इस तरह के ज्ञान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसलिए भाषा में इस पक्ष को अति गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है कि पाठ्यपुस्तक लेखक और शिक्षक इस तथ्य को स्वीकार करें कि निष्क्रिय व हेय समझी जानी वाली भूमिकाएँ, जिनसे स्त्रियों को स्वभावतः जोड़कर देखा जाता रहा है, सामाजिक–सांस्कृतिक रूप से निर्मित हैं और इन्हें जितनी जल्दी हो सके नष्ट करने की जरूरत है। स्त्रियों की आवाज को पूरी गरिमा के साथ हमारी पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण–पद्वति में जगह दी जाए।

(भारतीय भाषाओं का शिक्षण, 2009: 6)

यह समझना आवश्यक है कि जेंडर आधारित निर्मितियाँ करने के आधार में किस प्रकार के समाज को बनाने का उद्देश्य होगा। क्योंकि ऐसी निर्मितियों पर समाज जितने संसाधन खर्च करता है वह खर्च अनजाने में नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 'ममता' की अवधारणा को मुख्यतः स्त्रियों के साथ जोड़ने का या स्त्रैण कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। वे कौन सी सामाजिक संरचना जिसे बनाने तथा बनाए रखने के लिए 'ममता' को स्त्रियों के साथ जोड़ा जाता है? इसी प्रकार 'वीरता' की अवधारणा को पुरूषों के साथ जोड़ने से किस प्रकार की सामाजिक संरचना की रक्षा की जाती है? इसलिए तो झांसी की रानी के लिए 'मर्दानी' विशेषण का उपयोग किया जाता है। भाषा के द्वारा जेंडर आधारित अप्राकृतिक भूमिकाओं को प्राकृतिक बताकर स्थापित किया

मई, 2013 में अरूणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। कीर्तिमान यह नहीं कि वे एवरेस्ट पर चढीं। बल्कि यह कि यह काम उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे किया। कृत्रिम पैर से चलने और वह भी सख्त तथा खडे पहाड़ों पर चढ़ने में होने वाली पीड़ा की अनुभव आधारित कल्पना करके उनके द्वारा सहे गए दर्द का अनुमान लगाइए। याद कीजिए कि हमें पुरूषों द्वारा पीड़ा सहे जाने के कितने महिमामंडित किस्से रटाए गए हैं।

अरूणिमा सिंह द्वारा सही गई पीड़ा तथा किस्सों के नायकों द्वारा सही गई शारीरिक पीड़ा को समझकर, पीड़ा सहने तथा स्त्री या पुरूष होने के मध्य संबंध की समीक्षा कीजिए। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि उनके दूसरे पैर में लोह की छड़ डाली हुई है।

जाता है। आइए 'ममता' की अवधारणा पर विचार करें। इस अवधारणा को स्त्रियों के साथ जोड़ देने का एक कारण है–स्त्रियों को धर की चाहरदिवारी के भीतर समेटकर बच्चों के लालन– पालन की जिम्मेदारी सौंप देना। इस बात को कहने का यह अर्थ नहीं है कि बच्चों का लालन–पालन कोई कम महत्व का काम है। समस्या तब उठती है जब इसे लिंग विशेष की जिम्मेदारी मान लिया जाता है। इसी प्रकार 'वीरता' के अनेक रूप तथा स्तर होने पर भी इसे पुरूष के संदर्भ में ही उपयोग किया जाता है। इन दो शब्दों से दो दुनियाँओं की रचना होती है। एक दुनिया है धर के भीतर सीमित संसार की जिसमें कोमल भावों को अतार्किक तौर पर स्त्री के साथ जोड़ा जाता है। दूसरी दूनिया है बहादुरी दिखाने के लिए विस्तृत दुनिया की इसमें भी हिंसा की भावना को अनिवार्य तौर पर पुरूषों के साथ जोड़ा जाता हैं।

हमें यह समझना चाहिए कि लैंगिक भेदभाव पैदा करने, प्रचारित करने में भाषा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। कक्षा में तथा स्कूल में ऐसी अनेक स्थितियाँ हो सकती है, जब सामाजिक लिंग भेद के बारे में हमारे दिलोदिमाग में बन चुकी धारणाएँ सक्रिय होकर नकारात्मक वातावरण की रचना करे। हम बच्चो को खेल के अवसर देते समय भेदभावपूर्ण समझ का उपयोग करके खास तरह के खेल खेलने के लिए लडकों को तथा दूसरी के तरह के खेल खेलने के लिए लडकियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सोचिए अगर ऐसा हमारे द्वारा किया जाता है तो क्यों किया जाता है? हम ऐसा न करें इसके लिए क्या –क्या करना होगा?

आइए अपने स्कूल की कक्षाओं को याद कीजिए। क्या हम कक्षा में विद्याथियों को संबोधित करते हुए पुल्लिंग केंन्द्रित भाषा का उपयोग करते है या नहीं?

करके देखिए

अगर आपकी कक्षा में केवल लड़के पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं तो किसी पाठ को पढ़ाते हुए केवल स्त्रीलिंग वाले संबोधनों का उपयोग कीजिए। जैसे– 'छात्रा, छात्राओं, करती, करतीं, थी आदि' इस गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों जैसे– प्रश्नों पर अपने अनुभव लिखिए:

प्रश्न 1 : कक्षा के लड़कों की क्या प्रतिक्रिया रही?

प्रश्न 2 : कक्षा की लड़कियों की क्या प्रतिक्रिया रही?

प्रश्न 3 : क्या विद्यार्थियों में इस पर कोई बहस हुई?

प्रश्न 4 : इस गतिविधि से भाषा और जेंडर के रिश्ते के बारे में आप क्या समझ पाए।

अनेक बार हम लडकियों को संबोधित कर रहे होते है लेकिन हमारे संबोधन पुल्लिंग होते हैं। सह–शिक्षा की कक्षाओं में भी हम विद्याथियों कहने की बजाए 'छात्र' ही कहते हैं।

इस प्रकार की भाषा के प्रति सेचत होकर इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि भाषा में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन में सहायता मिलती है।

5.7.1 शब्दों में पैठा भेदभाव

हमने पहली ईकाई में पढ़ा कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। इंसान ने जिस सामाजिक व्यवस्था की रचना की, उसके अनुकूल वाचिक प्रतीकों को भी गढ़ा। मान लीजिए मानव ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के बारे में सोचा ही न होता तो क्या उसमें लोकतंत्र से संबद्ध शब्दों का प्रयोग हो रहा होता? यदि होते भी तो क्या वे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते? इस बात को समझने के लिए आइए कुछ शब्दों पर विचार करते हैं

1 श्रमशक्ति	(Manpower)
2 भाईचारा	(Brotherhood)
3 साहस	(Manfully)
4 मानवता	(Mankind)
5 श्रम के घंटे	(Manhour)
6 प्रबंध करना	(Manage)
7 राजनैतिक व्यक्ति	(Statesman)
8 कृत्रिम	(Menmade)
9 श्रमशक्ति	(Manpower)
10 अधिवेश	(Mandate)
11 नियमावाली	(Manual)

(पाठक, 2013)

ऊपर ग्यारह शब्द दिए गए हैं। क्या इन शब्दों के स्त्रीलिंगी प्रर्याय उपलब्ध हैं?

इनमें से शब्द–2 ठतवजीमतीववक है। इसका हिन्दी पर्याय होता है–भाईचारा। जिन संदर्भों में इस शब्द का उपयोग किया जाता है उन संदर्भों में`पेजमतीववक या बहनचारा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर उस सामाजिक संरचना का विश्लेषण करने से मिलेगा जिनमें इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का उपयोग दो समूहों के बीच सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए किया जाता है। उन समूहों के बीच सौहार्द होगा या नहीं होगा इसका निर्णय उन समूहों के पुरूष करते हैं तभी तो उन पुरूषों के बीच सौहार्द की स्थापना।

करने के लिए भाईचारा शब्द का उपयोग किया जाता है। सांप्रदायिक दंगे हों या जातीय दंगे दोनों ही स्थितियों में 'भाईचारा' शब्द का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दंगे फैलाने या शांति कायम करने की सामाजिक प्रक्रियाओं से स्त्रियों को बाहर रखा जाता है। वे ऐसे दंगों का शिकार भर होती हैं। इसी कारण 'बहनचारा' शब्द का उयोग करना तो दूर वह रचा तक नहीं जाता।

उपर दी गई सूची में शब्द–8 पर विचार कीजिए। यह शब्द है उंदउंकम। मानव जाति ने जो कुछ बनाया, जिस किसी भी चीज की रचना की वह सब–कुछ पुरूष द्वारा उत्पन्न की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। प्रकृति के अलावा जिस भी चीज की रचना की गई वह पुरूष द्वारा रचित मान ली गई। क्या मानव सभ्यता के विकास में स्त्रियों का योगदान शून्य है? दुनिया में हुए नृशास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि मानव सभ्यता में औजारों के विकास में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर क्या कारण हैं कि उनकी भूमिकाओं को नकार कर सब कुछ उंदउंकम की श्रेणी में डाल दिया गया? यह समाज में मौजूद जेंडर को समझने का एक रास्ता होने के साथ–साथ उसकी मौजूदगी का प्रमाण भी है।

5.7.2 व्याकरण में जेंडर

डॉ0 रवीन्द्र कुमार पाठक ने अपने लेख –अर्थात लिंग–विमर्श में लिंग–भेद का सांस्कृतिक नेपथ्य'' (2013) में व्याकरण में जेंडर की उपस्थिति के अनेक क्षेत्रों का वर्णन किया है। उनमें से एक क्षेत्र है–शब्द–निर्माण। उनके अनुसार शब्दों के निर्माण में पुल्लिंग की भूमिका को महत्व दिया जाता है। जैसे–

लड़का +ई = लड़की

बाल +आ = बाला

God + ess = Godess

Hero + ine = Heroine

क्या व्याकरण ने शब्द–निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से भी वर्णित किया है?

लड़की + आ = लड़का

घोड़ी + आ = घोड़ा

जाहिर है नहीं किया।

''भाषा की यह व्यवस्था जिसका संधान व्याकरण ने किया है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग के सामने कमतर आँकने की मानसिकता की देन है। क्या व्याकरण का यह दोष है अथवा लोकभाषा में चल रही शब्द–निर्माण की प्रक्रिया का निर्दोष भाग व्याकरण भाग है? चाहे शब्द–निर्माण में लोक कितना भी स्वतंत्र

हो, पर उसकी प्रक्रिया को 'पुल्लिंग शब्द (स्त्री) प्रत्यय' के रूप में विवेचित करने और इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों को मूल और स्त्रीलिंग को व्युत्पन्न (गौण) बनाने का दोष तो व्याकरण ने ही अपने सिर पर लिया है। व्याकरण चाहे अपनी सीमा की कितनी भी सफाई दे, पर 'प्रकृति. प्रत्यय' कल्पना का ढंग तो थोड़ा–बहुत बदला ही जा सकता है, जिससे स्त्रीलिंग शब्दों का द्विवितीयक (व्युत्पन्न) ही मानने की रूढि टूटे।'' (वही. पृ. 5)

आइए समाज में पैठी पितृसत्तात्मक सोच तथा उस सोच को बनाए रखने वाले सामाजिक ढाँचों में भाषा की भूमिका के होने को समझने के लिए एक उदाहरण और लेते हैं। यह उदाहरण व्याकरण की संकल्पना 'एकशेष' से संबद्ध है। (वही. पृ. 7)।

इस संकल्पना में जेंडर की उपस्थिति को समझने के लिए नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिए।

उदाहरण 1. बारात में कितने आदमी थे ?

उदाहरण 2. 10वीं के चार लाख छात्रों ने परीक्षा दी।

उदाहरण 1 तथा 2 में 'आदमी' तथा 'छात्रों' का उपयोग करके किस लिंग के व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है? इस सवाल का जवाब कुछ देर में देंगे। आइए इससे पहले नीचे दिए गए दो उदाहरणों पर विचार करें।

उदाहरण 3. बारात में कितनी औरतें थीं।

उदाहरण 4. 10वीं की चार लाख छात्राओं ने परीक्षा दी।

क्या जो बात 'आदमी' शब्द में है वह 'औरतें' शब्द में भी है? जिस प्रकार 'आदमी' में 'औरत' को शमिल मान लिया जाता है क्या उसी प्रकार 'औरतें' शब्द में 'आदमी' को भी शामिल मान लिया जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें मानना होगा कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग को समाहित मानने का तथा स्त्रीलिंग में पुलिंग को समाहित न मानने की सोच भेदभाव पूर्ण है। और इस भेदभाव की प्रवृत्ति को भाषा में ढालकर उसे व्यापक सामाजिक स्वीकृति दिलवाई जाती है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि भाषा में बदलाव से समाज में बदलाव हो सकता है। इसलिए व्याकरण में 'शब्द–निर्माण', 'एकशेष', विशेषण आदि पर चर्चा करते हुए तथा व्याकरणिक तत्वों को समझने के लिए उदाहरण देते समय भाषा की सामाजिक शक्ति के महत्व को समझकर उसका

प्र. जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में व्याकरण अपनी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार कर सकता है?

समतामूलक सामाजिक संबंधों की स्थापना की दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए।

बच्चों के साथ काम करते हुए इस विचार को आत्मसात करने की जरूरत है कि जेंडर का मुद्दा केवल लड़कियों का नहीं है। वह लड़कों का मुद्दा भी है। इस बात को इस तरह से समझिए। मान लीजिए भेदभाव को बढ़ावा देने वाली भाषा का उपयोग सीखकर लड़के भेदभाव वाला व्यवहार करते हैं। इससे एक ओर जहाँ सीधे तौर पर लड़कियों के बुनियादी हको का हनन होगा वहीं दूसरी ओर स्वयं लड़कों की मानवता तथा नागरिक कर्तव्यों का भी हनन होगा। इसलिए यह एक मानवीय मुद्दा है।

वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें

https://www.youtube.com/watch?v=cTWHSGEhk3o

5.8 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

मात्रा भाषा संप्रेषण का साधन नहीं है। भाषा एक सामाजिक औजार है जिसका संबंध राजनीति से भी है। राजनीति से संबंध होने के कारण भाशाओं के बीच स्तरीकरण बनता है।

आपने समझा कि जिस प्रकार किसी औजार के उपयोग के अलग–अलग उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार सामाजिक ओजार होने के कारण भाषा के उपयोग के भी अलग–अलग उद्देश्य होते हैं। आपमें इस बात को सामाजिक लिंग भेद (जेंडर) के संदर्भ में समझा। उम्मीद है कि आप स्कूल से जुड़ी दुनिया में व्याप्त उस भाषा की पहचान तथा उसका परिष्कार कर पाएँगे जो सामाजिक लिंग–भेद को मजबूत करती है।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई–संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो–विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब–रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।

5.9 शब्दावली

जेंडर रू सामाजिक भेदभाव की वह स्थिति जिसमें लिंग के आधार पर अधिकारों, कर्तव्यों, भूमिकाओं आ दि का निर्धारण किया जाता है। इसमें लड़की या लड़के के रूप में जन्म लेने को सामाजिक भूमिकाओं के बँटवारे का आधार माना जाता है। इसलिए जेंडर की अवधारणा समाज में अलोकतंत्र को समझने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर देती है।

5.10 प्रदत्त कार्य

1. पहली से आठवीं कक्षा की किसी एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण कर पता लगाइए कि उसमें उपयेाग में लाई गई भाषा में कहाँ–कहाँ जेंडर (सामाजि लिंग–भेद) उपस्थित है?
2. अपने स्कूल की प्रातःकालीन सभा का पाँच दिन तक अवलोकन कीजिए तथा उसका रिकॉर्ड रखिए। अपने अवलोकन तथा रिकॉर्ड

के आधार पर उस सभा में प्रयुक्त भाषा का जेंडर की दृष्टि से विश्लेषण कीजिए तथा जेंडर आधारित भाषा को समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए।

3. अपने आस–पास बोली जाने वाली भाषाओं का सर्वेक्षण करके, भाषायी विविधता पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।
4. अपनी मातृभाषा के किन्हीं 20 शब्दों की सूची तैयार करते हुए यह अध्ययन कीजिए कि आपके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका आदि) में उनके क्या प्रयोग हैं?
5. किन्ही तीन स्थानीय अखबारों की एक–एक प्रति का अध्ययन करके भाषा की बहुभाषिक विशेषताओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

उपयोगी पठन सामग्री

- कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार बच्चे की भाषा और अध्यापक– एक निर्देशिका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली.
- कामताप्रसाद गुरू (2010). हिन्दी व्याकरण. लोक भारती प्रकाषन. इलाहबाद
- कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, (हिंदी की पाठ्य–पुस्तक) (2012–13), बिहार स्टेट टेक्स्टबुक प. को.
- कोठारी आयोग रिपोर्ट (1964–66), भारत सरकार.
- कैया सखावत हुसैन (1905). सुल्ताना का सपना. चेन्नई : टाटा पब्लिशिंग (2005).
- मुले, गुणाकर (2010),भारतीय लिपियों की कहानी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2008), राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार
- ब्रिटन, जेम्स (2006). भाषा और अधिगम, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
- किसलय, भाग 3,कक्षा 8 (हिंदी की पाठ्य–पुस्तक)(2012–13), बिहार स्टेट टेक्स्टबुक प. को.
- सिंह, निरंजन कुमार और अन्य (1990). सरल हिन्दी व्याकरण और रचना. एनसीईआरटी. नयी दिल्ली.
- विज्ञान, कक्षा 9 (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- तिवारी, डॉ भोलानाथ (1951). भाषा –विज्ञान. किताब महल प्रा. लि.इलाहबाद.
- पढ़ने की समझ (2008), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- पांडे, लता (संकलन एवं संपादक) (2008), पढ़ना सिखाने की शुरूआत, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- पांडे, लता(संपादक) (2008), पढ़ने की दहलीज़ पर, एन.सी.ई. आर.टी., नई दिल्ली।

- पाठक, डॉ रवीन्द्र कुमार (2010), हिन्दी व्याकरण के नवीन क्षितिज, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली.
- प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं का पाठ्यक्रम (2008), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- रमाबाई, पंडिता (1988). धर्म व समाज में स्त्रियों का स्थान (अंश), हिंदू स्त्री का जीवन, संवाद प्रकाशन, मुंबई
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- रावत, बीरेन्द्र सिंह (2005). दिशाबोध. अंक 2. सितंबर–अक्टूबर, 2005 और अंक 1. जुलाई–अगस्त, 2006.
- समान्तर. सेन्टर फॉर कल्चरल एक्शन एण्ड रिसर्च. जयपुर.
- राजकिशोर (2006). स्त्री के लिए जगह. वाणी प्रकाशन : नयी दिल्ली
- रानडे, रमाबाई (1910). औरतों की असहमति. फरीदाबाद, गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस पृष्ठ 47–50
- संध्या सिंह और कीर्ति सिंह (2010). समझ का माध्यम. एन.सी.ई.आर.टी.
- देवी प्रसाद चट्ोपाधयाय (स). (2011), साहित्य–संस्कृति, जाने की बातें, भाग 5, राजकमल प्रकाशन, पृ. 11–18.
- व्यागोत्स्की,एल.एस. (2007). विचार और भाषा, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
- चक्रवर्ती, उमा (2000), पितृसत्ता. नारी वादी राजनीति : संघर्ष व मुद्दे पत्रिका (अन्य हिंदी रूपान्तर), हिंदी माध्यम
- कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.
- फोकस ग्रुप रिपोर्ट, भाषा का महत्व. शिक्षा के उद्देश्य. एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली.
- अंकुर, भाग 2 कक्षा 2(हिंदी की पाठ्य–पुस्तक)(2012–13), बिहार स्टेट टेक्स्टबुक प. को., पटना
- अग्निहोत्री, रमाकांत (1999), बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, शैक्षिक संदर्भ, जुलाई–अगस्त 1999, एकलव्य,
- शंकर नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश
- अग्निहोत्री, रमाकान्त (2013). हिन्दीः एक मौखिक व्याकरण. वाणी प्रकाशन. नयी दिल्ली.
- गणित, कक्षा 7(2006), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

- Blossom, Part 2, class2(English textbook) (2012-13) The Bihar State Textbook Publishing Corporation Ltd.Patna
- Wren & Martin (1988). High School/English grammar and composition- S chand & company (Put) Ltd. New Delhi.

इस पठन सामग्री के विशय में अपने फीडबैक तथा अन्य नोट्स लिखने के लिए

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्रू, पटना, बिहार - 800006